खण्ड-131, अंक-7
सोमवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(15 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 131 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तरप्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह , श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल डगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्स दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह ,श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बरदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मौत्तल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त, दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग शर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनाराणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

सिकन्दरबाग, लखनऊ का केन्द्रीय सरकार को दिया जाना

*१—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने सिकन्दरबाग, लखनऊ को केन्द्रीय सरकार को दे दिया है ?

कृषि उप-मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—जी हां।

*२—श्री बलवन्त सिंह—यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रान्तीय सरकार दवाइयों के पौधों पर अनुसंधान के लिये एक योजना चला रही थी, किन्तु इस कार्य के लिये काफी रुपया नहीं दे सकती थी। भारतीय सरकार की कौंसिल आफ साइन्टिफिक ऐन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च ने इस योजना के लिये काफी रुपया खर्च करने का निश्चय किया है, जिससे इस योजना और बाग की काफी उन्नति हो सकती है। अतएव सरकार ने इस बाग को उक्त कौंसिल को दे दिया।

*३—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार वह शर्तें सदन के सम्मुख रखेगी जिनके अनुसार वह केन्द्रीय सरकार को दिया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कोई विशेष शर्त नहीं रखी गयी है। किन्तु यह समझौता है कि उक्त योजना पर काम जारी रहेगा और बाग की हालत बिगड़ेगी नहीं।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बाग का इस समय मालिक कौन है प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय सरकार ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मालिक तो प्रान्तीय सरकार है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती) —क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि गत वर्ष इस बाग से कितनी आमदनी हुई थी और उस पर कितना खर्च हुआ था?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज भवन के कुछ रकबे को भी सिकन्दर बाग की जमीन में इस काम के लिये शामिल कर लिया गया है?

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)---राज भवन के कुछ हिस्से में वह काम हो रहा है जो कि सिकन्दर बाग में हुआ करता था।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जो ट्रांसफर केन्द्रीय सरकार को किया गया है इसमें कोई पैसे का कन्सिडरेशन भी था?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, पैसे का कोई कन्सिडरेशन नहीं था।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मन्त्री जी वह कार्य बताने की कृपा करेंगे जो सिकन्दर बाग में हुआ करता था?

श्री चरण सिंह---सिकन्दर बाग में नर्सरी का काम होता था। कुछ छोटे-छोटे पौधे रखे जाते थे लोगों को देने के लिये। असली काम नर्सरी का ही था जो कि और दूसरे हार्टिकल्चरल गार्डेन्स हैं उनमें जो काम होता है वही सिकन्दर बाग में हो रहा था आधे हिस्से में और आधे हिस्से में रिसर्च हो रही थी। अब चूंकि आधा हिस्सा गवर्नमेंट आफ इन्डिया को दे दिया इसलिए जरूरत हुई दूसरी जगह यह काम करने की। तो जो राज भवन में जगह खाली पड़ी थी उसमें यह काम होता है।

श्री बलवन्त सिंह---इस बाग की मांग केन्द्रीय सरकार ने की थी या प्रान्तीय सरकार ने स्वयं उसको दे दिया?

श्री जगन प्रसाद रावत---केन्द्रीय सरकार ने मांग की थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सिकन्दर बाग में कुछ पिकनिक केन्द्र भी खोले जा रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---सिकन्दर बाग में पिकनिक केन्द्र बहुत अर्से से हैं और उनको कायम रखा जा रहा है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सिकन्दर बाग का कोई नया नामकरण भी हुआ है?

श्री जगन प्रसाद रावत---नामकरण तो अभी नहीं हुआ है।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर कलेक्टरी कचहरी में अवैतनिक नवसिखुओं की नियुक्ति

*१---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर कलेक्टरी कचहरी में ता० २७-३-५३ को वैतनिक नवसिखुओं (Paid apprentices) की जो भेंट (Interview) हुई थी उसमें कुल कितने उम्मीदवार लिये गये?

मालमन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---कुल तीन उम्मीदवार लिये गये थे। परन्तु यह चुनाव सरकार के उस आदेश के प्रतिकूल होने के कारण जिसके द्वारा ऐसी भर्ती पांच साल के लिये रोक दी गयी थी, रद्द कर दिया गया है।

*२---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त चुनाव में कितने हरिजनों की दरख्वास्तें थीं और कितने नियुक्त किये गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---उपरोक्त चुनाव में केवल एक हरिजन की दरख्वास्त थी पर वह नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि परीक्षा में उसने उत्तीर्ण होने योग्य अंक नहीं पाये।

*३---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने स्थानों के लिये Interview हुई थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---केवल तीन स्थानों के लिये भेंट हुई थी।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भर्ती किस सन् में हुई थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जूलाई सन् १९५१ में।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी दरख्वास्तें पड़ी थीं और उनमें कितने हरिजनों की थीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कुल दरख्वास्तें ५१ थीं और हरिजन की एक दरख्वास्त थी।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीन स्थान रिक्त हैं या कोई उम्मीदवार काम कर रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---वहां तो भर्ती रोक दी गयी। कायदे के खिलाफ भर्ती हो गयी थी वह लोग हटा दिये गये। किसी स्थान के रिक्त होने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इसके लिये कुछ विज्ञापन भी किया गया था ?

श्री चरण सिंह---जब विधान के खिलाफ और आदेश के विरुद्ध भर्ती हो गयी थी तो गवर्नमेंट जरूरत नहीं समझती है कि इसमें ज्यादा प्रोब किया जाय। जो काम किया गया वह गलत किया गया। जो पहले के पेड़ अप्रेंटिस और रिट्रेंच्ड इम्प्लाईज हैं उनका अधिकार यहां आने का था।

रोडवेज कर्मचारियों के लिए स्टैंडिंग आर्डर्स तथा स्थानान्तरण के नियम

४---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् ४६ के ऐक्ट के अनुसार रोडवेज कर्मचारियों के हेतु स्टैन्डिंग आर्डर्स अब तक लेबर कमिश्नर द्वारा अधिकृत (certify) कर दिये गये हैं अथवा नहीं ?

परिवहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---जी नहीं।

*५---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज के कर्मचारियों के एक रीजन से दूसरे रीजन को ट्रांसफर किये जाने के क्या नियम हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---रोडवेज के कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए कोई खास नियम नहीं है। जो नियम अन्य कर्मचारियोंके लिये लागू हैं वे रोडवेज वालों के लिये भी हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी ने रोडवेज के कर्मचारियों के लिए कोई स्टैंन्डिग आर्डर्स भी बनाये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी अभी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी स्टैंन्डिग आर्डर्स बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---कुछ हिदायतें देने का खयाल तो जरूर है।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस जमाने में जो ड्राइवर्स हैं क्या उनको शिष्टाचार सम्बन्धी जानकारी कराने के लिये किसी प्रकार का विचार रखती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---कोई स्कूल या कालेज खोलकर तो नहीं लेकिन इस बात की कोशिश की जाती है कि वह शिष्टाचार सीखें और उचित रूप से व्यवहार करें ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसफर करने में घर की निकटता का ध्यान रखा जाता है या नहीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---अगर उससे कोई दोष न हो तो रखा जाता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कब तक स्टैंन्डिग आर्डर्स बना देंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---यह ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि छोटे छोटे कर्मचारियों का ट्रांसफर गोरखपुर से मेरठ तथा आगरा इत्यादि को कर दिया जाता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां, किया जा सकता है उनके हित में।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर कौन अधिकारी करता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---सम्बन्धित अधिकारी।

तराई-भावर के गोठों में रहने वाले काश्तकारों को हक-हकूक की लकड़ी देने की मात्रा

*६---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भावर तराई के गोठों में बारहो मास रहने वाले निवासियों को हक-हकूक की कितनी लकड़ी निजी इस्तेमाल के लिये दी जाती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---तराई भाबर के गोठों में बारह मास रहने वाले काश्तकारों को हक हकूक की लकड़ी की कोई मात्रा निश्चित नहीं है। काश्तकार की प्रार्थना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार लकड़ी दी जाती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तराई भाबर में बारह मास रहने वाले काश्तकारों की कितनी संख्या है जो गोठों में रहते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार इन गोठों में रहने वालों के लिये वही अधिकार लागू करने की कृपा करेगी जो तराई भाबर की खाम स्टेट में रहने वाले काश्तकारों के लिये हैं ?

श्री चरण सिंह---ऐसा कोई प्रस्ताव गवर्नमेंट के विचाराधीन नहीं है।

जिला बलिया में टेस्ट वर्क चलाने की आवश्यकता

*७---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश बलिया ने अपने जिले में किस किस जगह टेस्ट वर्क्स चलाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिलाधीश बलिया ने टेस्ट वर्क चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजा।

*८---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---उनमें से कहां कहां टेस्ट वर्क चलाये गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में स्केयरसिटी कन्डीशन को मानते हुये क्या सरकार ने स्वयं वहां टेस्ट वर्क्स खोलने के लिये प्लानिंग कमेटी या डी० एम० से नहीं पूछा था ?

श्री चरण सिंह---अगर टेस्ट वर्क की आवश्यकता होती तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद गवर्नमेंट को सिफारिश करते और कोई सिफारिश नहीं आयी इसलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा और जहां तक मुझे याद पड़ता है किसी माननीय सदस्य ने भी जो वहां का प्रतिनिधित्व करते हों गवर्नमेंट से आग्रहपूर्वक कभी इसके लिये कहा नहीं।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि बलिया की प्लानिंग कमेटी ने टेस्ट वर्क खोलने के लिये सरकार से सिफारिश की थी ?

श्री चरण सिंह---जहां तक मेरी याददाश्त काम देती है, नहीं की थी।

बाढ़ समिति की बैठकें तथा प्रतिवेदन

*९---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कमेटी बाढ़ की रोक थाम के लिये बनायी गयी थी उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१९४८ में संगठित बाढ़ समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६० पर)।

*१०—श्री राजा राम शर्मा—उक्त समिति के जितने सदस्य मनोनीत किये गये थे उनमें से कितने सदस्य वर्तमान विधान सभा या विधान परिषद् में चुनकर आये हैं और कितने नहीं आये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस समिति के सदस्यों में तीन सज्जन विधान सभा के भी सदस्य थे। इनमें से दो पुनः विधान सभा में निर्वाचित होकर आ गये हैं एक सदस्य निर्वाचित नहीं हुए।

*११—श्री राजा राम शर्मा—उपर्युक्त समिति कितनी बार बैठी ? क्या सरकार इस समिति का पुनः संगठन करके शीघ्र से शीघ्र उससे रिपोर्ट मांगने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपर्युक्त समिति की बैठक दो बार हुई। सन् १९५३ में सरकार ने समिति का पुनस्संगठन किया और उसकी बैठक ५ दिसम्बर, १९५३ को हुई। बाढ़ समिति की रिपोर्ट तैयार हो गयी है और वह माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गयी है।

श्री राजा राम शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो समिति पुनस्संगठित की गयी है उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उसमें २० सदस्य हैं—माननीय चरण सिंह जी, कृषि मन्त्री, श्री कमलापति जी, श्री कृपा शंकर जी, श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री राधामोहन सिंह, श्री द्वारका प्रसाद पाण्डेय, श्री बेंदा सिंह, श्री एस० एस० गैरोला, श्री ए० एन० झा, श्री जे० निगम, आई० सी० एस०, लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर, श्री एस० एस० हसन, आई० सी० एस०.....

श्री अध्यक्ष—आपने वह रिपोर्ट तो मेज पर रख दी है। तो फिर यही उत्तर आप दे सकते थे कि वह उस रिपोर्ट में से पढ़ लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सफा तीन और चार पर नाम दिये हुए हैं।

श्री राजा राम शर्मा—बाढ़ समिति की जो रिपोर्ट अंग्रेजी में मेज पर रखी गयी है, क्या उसका हिन्दी में भी अनुवाद पढ़ने को मिलेगा ?

श्री चरण सिंह—जी हां, मिल जायगा।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समिति के सदस्यों ने क्या उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को घूमकर भी देखा था ?

श्री चरण सिंह—इस रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम हो जायगा कि उन्होंने रिपोर्ट देने से पहले क्या क्या उसके लिये काम किया।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि यह कमेटी अभी है, और आगे भी रहेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कमेटी का कार्य खत्म हो गया है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो यह पुनस्संगठित समिति थी, उसमें बाढ़ क्षेत्र के भी थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो सदस्यों की सूची देखने से माननीय सदस्य को स्वयं पता चल जायगा।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि समिति की कार्यवाही हिन्दी में हुई थी, या अंग्रेजी में हुई थी ?

श्री चरण सिंह---अधिकतर हिन्दी में हुई थी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सदन की भाषा हिन्दी होने के बावजूद अंग्रेजी में रिपोर्ट क्यों पेश की गयी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि दोनों भाषाओं में रख देंगे।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट के उपरान्त सरकार तत्काल कौन कार्य करने का विचार करती है ?

श्री चरण सिंह---अभी इस विषय में सदन के सम्मुख बजट पेश होने वाला है और उनको मालूम हो जायगा कि सरकार क्या कार्य करने वाली है।

कलेक्शन अमीनों को वेतन न मिलने की शिकायत

*१२---श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कलेक्शन अमीनों को तनख्वाह न मिलने की शिकायत सरकार को मिली है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को ऐसी शिकायतें चार जिलों से प्राप्त हुई थीं। सरकार के पास इस सम्बन्ध में किसी जिले की कोई आम शिकायत नहीं आयी परन्तु कुछ व्यक्तिगत प्रार्थनापत्र मिले थे, जो लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिये गये थे।

*१३---श्री गेंदा सिंह---क्या यह सच है कि देवरिया जिले में उक्त कर्मचारियों को पिछले अप्रैल, और मई का भी वेतन अब तक नहीं मिला है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं। देवरिया जिले में इन महीनों का वेतन मिलने में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ था। परन्तु जुलाई के पहिले सप्ताह तक कुल वेतन का बकाया दे दिया गया था।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये चार जिले कौन थे जिनसे शिकायतें आयी थीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पीलीभीत, बिजनौर, लखनऊ और देवरिया।

श्री गेंदा सिंह---उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बकाया पड़ गयी थी, लेकिन अब उसका भुगतान कर दिया गया है।

श्री गेंदा सिंह---बकाया पड़ने के क्या कारण थे, क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह---बहुत छोटे छोटे कारण थे ।

श्री अध्यक्ष---एकाध बता दीजिये, मैं समझता हूं सब कारण बताने की आवश्यकता नहीं है । वह संकेत चाहते हैं ।

श्री चरण सिंह---एक तो यह था कि तहसीलदारों ने उन अमीनों की पूरी रिपोर्ट को समय पते के नहीं भेजा था, और जरूरी वृत्तांत के साथ नहीं भेजा था, इसलिए देर हो गयी । ज्यादातर देर होने का यही कारण था ।

श्री गेंदा सिंह---क्या ऐसी भी शिकायत माननीय राजस्व मन्त्री जी को मिली है कि कलेक्शन अमीनों से काम ज्यादा देर तक लिया गया और तनख्वाह कम दी गयी ?

श्री चरण सिंह---नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो संकेत कर रहे हैं, वह उस बात की तरफ कर रहे हैं कि कुछ लोगों को तनख्वाह तब तक नहीं दी गयी, जब तक कि जो बकाया था, उन्होंने मुकम्मिल नहीं कर लिया ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि एक निश्चित रकम की वसूली की नाकामयाबी के बाद अमीनों को तनख्वाह नहीं दी जाती है, और वे निकाल दिये जाते हैं ?

श्री चरण सिंह---जो टार्गेट काम का रक्खा जाता है, उसके पूरा न होने पर वे अवश्य निकाल दिये जाते हैं । २००, ४०० या ५०० रुपये तक तो नजरन्दाज कर दिये जाते हैं, लेकिन उम्मीद यह की जाती है कि ढाई, तीन हजार रुपया वे वसूल करें । अगर नहीं कर पाते हैं तो निकाल दिये जाते हैं ।

जिलों को अभावग्रस्त मानने के कारण

*१४---श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कौन कौन जिले अभावग्रस्त माने जाते हैं और उन्हें अभावग्रस्त मानने का क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिले तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार अभावग्रस्त होते तथा माने जाते हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक जिले को अभावग्रस्त माना जाय । यदि वर्षा समय पर होती रही, फसल ठीक रही, कोई दैवी प्रकोप न रहा, तो कोई भी जिला अभावग्रस्त न होगा ।

श्री गेंदा सिंह---बनारस, गोरखपुर और फैजाबाद-लखनऊ कमिश्नरी के कुछ जिलों को सरकार अभावग्रस्त मानती रही है, उसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री क्या समझते हैं ?

श्री चरण सिंह---अभावग्रस्त वहां किसी को भी नहीं मानते रहे हैं ।

श्री गेंदा सिंह---गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी के कुछ जिलों की आबादी और जमीन को देखते हुए क्या खाने भर का अन्न प्रतिवर्ष वहां पैदा हो जाया करता है?

श्री चरण सिंह---माननीय सदस्य अभावग्रस्त उन क्षेत्रों को मान रहे हैं जहां उनके खाने भर का अन्न पैदा नहीं होता और मेरी परिभाषा में वे अभावग्रस्त क्षेत्र नहीं कहलाते ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय राजस्व मन्त्री जो परिभाषा अभावग्रस्त की है, उसे बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह---वह फेमीन कोड में दी हुई है ।

प्रान्त के सरकारी कृषि फार्म

*१५--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में सरकारी कृषि फार्म कहां कहां और कितने कितने एकड़ में हैं ?

*१६--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन फार्मों में से प्रत्येक में सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में कितने कितने मन गल्ले की पैदावार हुई तथा इन्हीं दो वर्षों में कुल व्यय अलग अलग कितना हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत--आवश्यक सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६१-५६४ पर।)

श्री गेंदा सिंह--जो उत्पादन के आंकड़े दिये गये हैं, क्या उनमें गन्ने और हर तरह के उत्पादन शामिल हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनमें गन्ना शामिल नहीं है।

श्री गेंदासिंह--तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ने का उत्पादन कितना हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत--नोटिस चाहिए।

आजमगढ़ टेस्ट वर्क की सहायता का तहसीलों में वितरण

*१७--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, सन् १९५१ से १५ जनवरी, सन् १९५२ तक आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क तथा सहायता कार्य और मुफ्त सहायता में जो धनराशि दी गयी है, वह जिले की प्रत्येक तहसीलों में कितनी कितनी व्यय की गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वित्तीय वर्ष १९५१-५२ में १५ जनवरी, सन् १९५२ तक आजमगढ़ जिले के लिये २०,००० रु० टेस्ट वर्क के लिये तथा २,००,००० रु० बीज की तकावी के लिए स्वीकृत किया गया था।

अहेतुक सहायता के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी थी, परन्तु जिलाधीश ने जिला नेचुरल कैलामिटीज रिलीफ फन्ड से ७५ रु० की सहायता घोसी तहसील में वितरित की। जिले की भिन्न भिन्न तहसीलों में टेस्ट वर्क तथा बीज तकावी पर जो व्यय हुआ उसका विवरण निम्न प्रकार है:--

नाम तहसील	टेस्ट वर्क रु०	टेस्ट वर्क आ०	टेस्ट वर्क पा०	बीज के लिये तकावी रु०
सदर	..	..		५०,०००
मोहम्मदाबाद	९,४३१	४	०	३०,०००
लालगंज				३९,०००
घोसी				३०,०००
सगड़ी				३०,०००
फूलपुर				२८,७८०

नोट--तारांकित प्रश्न १५ व १६ श्री गेंदा सिंह ने पूछे।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि घोसी, सगड़ी और फूलपुर में टेस्ट वर्क की जरूरत नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप विवाद कर रहे हैं ?

श्री राम सुभग वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि आजमगढ़ टेस्ट वर्क पर कितनी मजदूरी दी जाती थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जो मजदूरी का नियम टेस्ट वर्क के लिये रखा गया था, वह मजदूरी दी जाती थी।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह टेस्ट वर्क कितने दिन से चल रहा है ?

श्री चरण सिंह---यह सवाल तो सन् १९५१-५२ से वास्ता रखता है।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फूलपुर तहसील में टेस्ट वर्क पर कितना रुपया खर्च किया गया है अब तक ?

श्री चरण सिंह---क्योंकि आप चाहते हैं अब तक का, इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बीज तकावी पर दिया गया था, उस पर शरह सूद क्या था ?

श्री चरण सिंह---जो बीज तकावी के लिये रुपया दिया गया था, और जो तकावी के लिये रुपया दिया जाता है, उसके लिये एक ही सूद होता है ?

श्री राम कुमार शास्त्री---आप फरमा रहे हैं कि एक ही सूद होता है, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार वह क्या शरह है ?

श्री चरण सिंह---तकावी रूल्स में दिया हुआ है।

श्री उमाशंकर---क्या यह सही नहीं है कि सरकारी आफिसर लोग रुपया न देकर उसका गल्ला उस समय तकावी में किसानों को बांटते थे ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, सरकारी अफसरान ऐसी गलती नहीं करते, जब तक कि यहां से हुक्म न हो।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस रुपये से हर तहसील में कितना टेस्ट वर्क हुआ ?

श्री चरण सिंह---तीनों तहसीलों का एकजाई रुपया दिया हुआ है। अब अगर माननीय झारखंडे राय जी समझते हैं कि बड़ा भारी जनहित का सम्पादन होगा अगर हर तहसील के अलग-अलग आंकड़े इकट्ठा हो जायं, तो मैं इतना समय खराब करूंगा, जिला मैजिस्ट्रेट का।

श्री अध्यक्ष---अगर आप को मालूम नहीं है, तो आप नोटिस मांग सकते हैं।

गोरखपुर जिले में भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५२ के अनुसार दरख्वास्तों की जांच

*१८—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले में भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ (ऐक्ट ३१, सन् १९५२) की धारा ४ के अनुसार कितनी दरख्वास्तें पड़ी हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—५४० दरख्वास्तें।

*१९—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि उन दरख्वास्तों की जांच अब तक नहीं हुई ? अगर नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—४७७ दरख्वास्तों की जांच हो चुकी है। शेष ६३ दरख्वास्तों की जांच, जो अभी बाकी है, शीघ्र ही हो जावेगी।

श्री उमाशंकर—क्या जिन दरख्वास्तों की जांच हुई है, वह दोनों पार्टियों के आमने सामने हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जांच तो गांव में मौके पर होती है, और वहां दोनों पार्टियां रहती ही हैं।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस आफिसर के मातहत यह जांच सुपुर्द की गयी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिस क्षेत्र से जो आफिसर सम्बन्धित था, उसके जिम्मे वह जांच थी, हाकिम परगना आम तरीके पर और तहसीलदार साहबान को भी अख्तियार दिया गया था। भिन्न भिन्न दरख्वास्तों को भिन्न भिन्न अफसरों ने जांच की होगी।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी यह कृपा कर बतलायेंगे कि जिन ५४० दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका है, उन फैसलों में से एक की भी अमल दरामद लेखपाल के कागजों में नहीं हुई है ?

श्री चरण सिंह—आप तो यह कह रहे हैं कि नहीं हुई है, आप यह तो जानना नहीं चाहते कि हुई है या नहीं हुई है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

सरकारी बसों में अंग्रेजी में लिखी सूचनाओं को हिन्दी में लिखाने पर विचार

*२०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकारी बसों में इंगलिश में लिखी सूचनाओं को वह हिन्दी में लिखाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां, रोडवेज के समस्त जनरल मैनेजरों को आदेश दे दिया गया है कि शीघ्र से शीघ्र सभी रोडवेज बसों में इंगलिश में लिखी सूचनाओं को देवनागरी लिपि में लिखवा दें।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये उनके आदेश रोडवेज में बटने वाले टिकिट्स और बोर्ड्स् के सम्बन्ध में भी दिये गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—टिकिट छपने का काम टी० सी० के दफ्तर से होता है, जिसके लिये जनरल मैनेजर को हिदायत देने की जरूरत नहीं। बाकी सब चीजें हिन्दी में लिखी जायं, जैसे बोर्ड इत्यादि इनके लिये हिदायत दे दी गयी है।

*२१---२---श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)---[५ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये] ।

जौनपुर की विभिन्न तहसीलों में गायें खरीदने के लिये तकावी का वितरण

*२३---श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिला में अच्छी नस्ल की गाय जैसे हरियाना किसानों को तकावी के रूप में देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---प्रदेश के प्रत्येक जिले में किसानों को तकावी पर अच्छे नस्ल की गाय अर्से से दी जाती है ।

*२४---श्री रमेशचन्द्र शर्मा---यदि हां, तो जौनपुर जिले के लिये भिन्न भिन्न तहसीलों में कितना रुपया गाय की तकावी में दिया जाने वाला है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---वर्तमान वित्त वर्ष में जौनपुर जिले की सदर तहसील के "की विलेज ब्लाक" क्षेत्र के किसानों को २,००० रुपया की गायें तकावी के रूप में देने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की दूसरी तहसीलों में भी तकावी दी जाने वाली है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जैसा उत्तर में कहा गया है, सदर तहसील के लिये व्यवस्था की गयी है और तहसीलों के लिये अभी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तकावी का रुपया कितने साल में वसूल किया जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो तकावी कई तरह से दी जाती है । कई कामों के लिये और हर एक के लिये अलग अलग व्यवस्था है ।

श्री बाबू नन्दलाल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अच्छी नस्ल की गायों के गर्भाधान के लिये भी कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, सूबे में जगह जगह अच्छी किस्म के सांड भी हैं और कृत्रिम गर्भाधान के जरिये से भी वहां पर इसकी व्यवस्था होती है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर तहसील में किस किस किस्म के गायों की नस्ल के लिये रुपया दिया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जौनपुर में जहां तक मैं समझता हूं, मंगातोरी गाय की नस्लें के लिये दिया गया है ।

देवरिया जिला में महाल मंझरिया को बाढ़ के कारण ऊंचे पर बसाने का विचार

*२५---श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि देवरिया जिला तहसील सलेमपुर का दक्षिणी क्षेत्र जो सरजू नदी के किनारे पर है, उसमें महाल मंझरिया हर साल बाढ़ से तबाह रहता है ?

नोट---तारांकित प्रश्न २५ से २७ तक श्री रामजी सहाय ने पूछे ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--महाल मंझरिया इतनी नीची भूमि में बसा है कि प्रायः प्रति वर्ष इसमें सरजू नदी की बाढ़ का पानी आ जाता है।

*२६--श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार उस ग्राम को ऊंची जगह पर बसाने का कार्यक्रम बना रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सन् १९५० ई० में इस ग्राम के निवासियों को ग्राम तेंदुआं में घर बनाने को भूमि प्राप्त हो गयी थी, परन्तु उन्हें वह पसन्द न आयी और वे पूर्ववत् पुराने ग्राम ही में रह रहे हैं।

इस वर्ष हाल में ही जिलाधीश ने इस ग्राम को ऊंचे भूमि पर हटाने का प्रस्ताव भेजा है जो विचाराधीन है।

श्री रामजी सहाय--क्या यह कार्यक्रम आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व कार्यान्वित होने की आशा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कोशिश की जायगी कि वर्षा ऋतु से पहले ही इस पर निर्णय हो जाय।

नैनीताल तराई में उपनिवेश विभाग द्वारा निर्मित मकानों पर व्यय

*२७--श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तराई नैनीताल में जो भी घर सरकार की तरफ से उपनिवेश विभाग द्वारा बने हैं, उनमें कुल कितना रुपया लगा ? क्या ये मकान अब गिर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत--तराई नैनी ताल में सरकार की तरफ से उपनिवेशन विभाग द्वारा बनाये गये १८०४ मकानों में मार्च, १९५३ तक कुल २९,७९,४१४ रु० लगा। तराई योजना के प्रारम्भ में सीमेंट लोहा इत्यादि की कमी तथा जल्दी के कारण उपरोक्त मकानों में से १२४ के निर्माण में जंगली लकड़ी का उपयोग किया गया। पिछले वर्षा काल में वर्षा की अधिकता तथा गृह निवासियों द्वारा समयानुसार आवश्यक मरम्मत न कराने के कारण, इन मकानों की छतें व दीवारें गिर गयीं। इनमें से अधिकांश की मरम्मत हो चुकी है। इस समय कोई अन्य मकान गिरने की सूचना नहीं आयी है।

गोरखपुर शहर के निकटवर्ती गांव मंझरिया के आस पास राप्ती नदी की बाढ़ से क्षति

*२८--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर शहर के निकटवर्ती गांव मंझरिया के आस पास के प्रायः ५०० घर इस साल की राप्ती की बाढ़ के कारण खतरे में आ गये थे और उनमें से कुछ गिर भी गये थे और प्रायः २,००० बीघे की खेती पूरी चौपट हो गयी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गोरखपुर शहर के निकटवर्ती गांव मंझरिया तथा उसके आस-पास के अन्य चार गांवों में डोमन डांड, डूहिया, बेलघाट, लहसड़ी में राप्ती नदी की बाढ़ का प्रभाव पड़ा, परन्तु मकानों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। जल प्लावन के कारण ३९३ एकड़ खरीफ की फसल को अवश्य कुछ हानि पहुंची।

*२९--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार पुराने बांध के तोड़ दिये गये हिस्से की मरम्मत कराके इस पूरे ५०० परिवारों की रक्षा और २,००० बीघा जमीन को बाढ़ से मुक्त करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो क्या और कब तक ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु श्रमदान द्वारा इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले श्रमदान सप्ताह में तो यह कार्य नहीं किया जा सका, परन्तु प्रान्तीय रक्षक दल के द्वारा ग्रामवासियों को समझाया जा रहा है कि वे स्वेच्छा से इस कार्य को पूरा कर लें।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार की ओर से हानि का कुछ तखमीना लगाया गया है ? अगर हां, तो वह कितनी हानि हुई थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---करीब करीब ३९३ एकड़ जवाब में बतलाया गया है।

श्री झारखंडे राय---मैंने यह पूछा था कि कितने रुपये की हानि हुई थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष बाढ़ में लहसड़ी गांव बिलकुल नष्ट हो गया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---लहसड़ी गांव में ४१ एकड़ एरिया पानी के अन्दर हो गया था, लहसड़ी गांव बिलकुल नष्ट नहीं हुआ था। बाढ़ से फसल नष्ट हुई थी।

श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार को मालूम है कि लहसड़ी गांव के लोगों ने जिलाधीश और सरकार के पास कोई प्रतिनिधि मण्डल भेजा था ?

श्री चरण सिंह---यह सरकार को नहीं मालूम है कि कोई डेपुटेशन जिलाधीश के पास भेजा गया था या नहीं ?

श्री अक्षयवर सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लहसड़ी गांव में कितना गल्ला था और उनमें कितना बरबाद हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार लहसड़ी और मंझरिया गांवों में बस्ती में कितनी हानि हुई, इसका पता लगाने की योजना बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष---योजना है यह आपको मान कर प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री केशव पाण्डेय---इस बस्ती की फसल को कितना नुक्सान हुआ, क्या सरकार यह बताने की कोशिश करेगी ?

श्री चरण सिंह---अगर माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से दरियाफ्त करके यह बतला दिया जायगा।

श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लहसड़ी का पूरा गांव डूब गया था और उसमें एक बुढ़िया मर गयी थी ?

श्री चरण सिंह---जिस वक्त बाढ़ आयी थी, याद पड़ता है कि उस वक्त एक बुढ़िया मर गयी थी।

*३०---**श्री झारखंडे राय**---[८ मार्च, १९५४ को प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*३१-३३--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--[५ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]।

तहसील बाह, जिला आगरा में सूखा से फसल को हानि

*३४--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार को विदित है कि इस साल वर्षा की कमी के कारण तहसील बाह, आगरा में खरीफ की पैदावार बहुत कम हुई है और रबी को भी नुकसान पहुंचा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--तहसील बाह, जिला आगरा के केवल एक गांव में सूखा के कारण खरीफ १३६१ फसली की फसल को हानि हुई। रबी की फसल को भी कुछ क्षेत्रों में हानि हुई जिसका तखमीना किया जा रहा है।

*३५--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार इस क्षेत्र में मालगुजारी में छूट देने पर विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मालगुजारी में छूट देने के लिये जिलाधीश के प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है, उसके प्राप्त होने पर नियमानुसार छूट की मन्जूरी दी जायगी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को यह मालूम है कि तहसील बाह को छोड़ कर खरीफ की फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ ?

श्री चरण सिंह--तहसील बाह में कोई नुकसान नहीं हुआ यह सूचना है। बाकी जो पांच तहसीलें हैं, उनमें नुकसान हुआ और उनमें १४ लाख रुपये में से सवा पांच लाख रुपया छूट में देने का प्रस्ताव है।

जिला हमीरपुर में सम्मिलित संग्रह योजना के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, अमीन व क्लर्कों की नियुक्ति तथा प्रत्येक में हरिजनों की संख्या

*३६--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्शन के सम्बन्ध में कुल कितने अतिरिक्त नायब तहसीलदार, अमीन, क्लर्क और चपरासी जिला हमीरपुर में लिये गये हैं, तथा प्रत्येक में हरिजनों की क्या संख्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिला हमीरपुर में सम्मिलित संग्रह योजना के अन्तर्गत ४ नायब तहसीलदार, ९९ अमीन, १३ क्लर्क और १८५ चपरासी रक्खे गये। इनमें हरिजनों की संख्या निम्न प्रकार है :--

नायब तहसीलदार	--
अमीन	५
क्लर्क	१
चपरासी	२५

*३७--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि उपर्युक्त नियुक्तियों में हरिजनों के लिए जो १८ प्रतिशत रिजर्वेशन है, उसका भी ध्यान रक्खा गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, हरिजनों के रिजर्वेशन का ध्यान रक्खा गया, पर इनको १८ प्रतिशत जगहें नहीं दी जा सकीं, क्योंकि वसूली का तजुर्बा रखने वाले व्यक्तियों में हरिजनों की संख्या कम थी और दरख्वास्तें भी थोड़े ही हरिजनों ने दीं। सम्मिलित संग्रह योजना में केवल वे ही लोग नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनको कम से कम एक से ज्यादा फसल की वसूली का तजुर्बा हो और जिनका काम अच्छा रहा हो।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहले जो नये ढंग से सरकार ने वसूलयाबी करायी, उसमें कितने हरिजन रक्खे गये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री परमेश्वरी राम (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई नायब तहसीलदार हरिजनों में से क्यों नहीं रक्खा गया ?

श्री चरण सिंह—इस बारे में गवर्नमेंट की यह स्कीम थी कि जो पहले से काम कर रहे थे उन्हीं में से रखे गये थे। या तो उनमें हरिजन न होंगे अथवा जो होंगे भी तो उनका काम अच्छा न होगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार ने इन जगहों के लिये कोई एडवर्टाइजमेंट भी किया था ?

श्री चरण सिंह—कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पहले थे उन्हीं में से रखे गये और उनका रेकार्ड अफसरों के सामने का था। मैं इतना और बता दूं कि जहां तक जिलाधीश ने गवर्नमेंट के इस आदेश की अवहेलना करके, शायद उनके समझने में गलती रह गयी थी, बाहर से कुछ हरिजन ले लिये थे अब उनकी रिपोर्ट यह आयी है कि काम अच्छा नहीं है और कलेक्शन का काम पिछड़ा हुआ है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—जिन जगहों में रिजर्वेशन पुराना था, वहां उसको पूरा करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—पहले जब वे भर्ती हुए, पिछली स्कीम में, उस समय हुकुम १० फीसदी का था। इसलिए जितने १० फी सदी थे उन्हीं में से लिये जा सकते थे। तो जब पहले ही कम थे, तो अब कभी पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि ओवरराइडिंग कन्डीशन यह थी कि पुराने लोगों में से लिये जावें।

राजा बीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे भी नायब तहसीलदार रखे गये, जिनकी योग्यता १ साल से कम थी ?

श्री चरण सिंह—हो सकता है, लेकिन शर्त तो १ फसल की थी, न कि १ साल की।

श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार की कोई ऐसी आज्ञा है कि यदि एक साल रिजर्वेशन पूरा नहीं हो, तो दूसरे साल कर लिया जाय ?

श्री चरण सिंह—जो लोग काम कर रहे हैं और अगर उनका काम अच्छा है, तो उन्हें केवल कोई रिजर्वेशन पूरा करने के लिये नहीं निकाला जा सकता।

जिला बनारस में रेवेन्यू वसूली के सिलसिले में कर्मचारियों की भर्ती

*३८—श्री रामलखन (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेवेन्यू वसूली के सिलसिले में बनारस जिले में दिसम्बर, ५३ में कुल कितने अमीन, चपरासी एवं क्लर्क तथा नायब तहसीलदार भर्ती किये गये ? क्या इसकी भर्ती के वास्ते जिलाधीश बनारस ने कोई विज्ञापन प्रकाशित कराया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--रेवेन्यू वसूली के सिलसिले में बनारस जिले में दिसम्बर, १९५३ में कुल १० नायब तहसीलदार, १९ क्लर्क (सहायक वासिलबाकी नवीस), १०७ अमीन और २१४ चपरासी भर्ती किये गये। केवल हरिजन उम्मीदवारों की भर्ती के लिये जिलाधीश बनारस ने विज्ञापन प्रकाशित कराया था।

*३९--श्री रामलखन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्थानों में कितने हरिजन उम्मीदवार अमीन, चपरासी, क्लर्क तथा नायब तहसीलदार के पदों पर लिये गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उक्त स्थानों में १ नायब तहसीलदार, २ क्लर्क, २० अमीन और ३७ चपरासी, हरिजन जाति के लिये गये।

श्री रामलखन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश बनारस ने हरिजनों की भर्ती के लिये विज्ञापन किस तारीख को किस अखबार में भिजवाया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गवर्नमेंट प्रेस के द्वारा प्रकाशित कराया था। तारीख के लिये सूचना की जरूरत है।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--क्या माननीय माल मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश से बार बार कहने पर भी उन्होंने विज्ञापन स्थानीय अखबारों में समुचित समय पर नहीं निकाला ?

श्री चरण सिंह--जी, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस जिले का जिक्र मैंने किया था वह यही जिला था, जहां गलती हुई। विज्ञापन की जरूरत नहीं थी। जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से भर्ती करना चाहिए था। मैं आपकी आज्ञा से एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि पहले भी हुआ था, और आज भी हो रहा है। प्रश्न तो जब फ्रेश एप्वाइन्टमेंट हो तो तब १८ फीसदी का उठता है। पहले ८ सौ एप्वाइन्टमेंट हो चुके थे, उन्हीं में से २ सौ रखने थे। सेलेक्शन उन्हीं रिट्रेंच्ड लोगों में से करना था, तो उनमें यह सवाल नहीं होता। बाहर से लेने के लिये नियम नहीं था इसलिए नहीं लिये गये और इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रामलखन--क्या सरकार को यह मालूम है कि जिलाधीश ने बहुत से नये उम्मीदवारों की भर्ती की जिन्होंने कभी कलेक्शन का काम नहीं किया था ?

श्री चरण सिंह--यह तो मैंने अभी अर्ज किया था कि वह जो काम कर रहे हैं, उन्हीं की भर्ती किया था और हमने जो नये भर्ती किये और जिनको तजुर्बा नहीं था, उनका काम एक्स्ट्रीमली पुअर है। यदि आप आज्ञा दें, तो मैं वह खत भी सुना देना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जिसकी वजह से हम यह खतरा सारे सूबे में नहीं उठाना चाहते।

श्री अध्यक्ष--आप उसका खुलासा बाद में हिन्दी में कह दीजियेगा।

श्री चरण सिंह--जी हां, बाद में कर दूंगा। वह पत्र इस तरह पर है --

" The appointments in Kharif 1361 F. according to the integrated scheme of Collection for Government dues had to be made from the staff which had already worked in 1360 F. *vide* Land Reforms Commissioner's D. O. No. 522636-310/II-Coll-45/53, dated November 18, 1953. The staff of 1360 F. was enough to cover up all the vacancies in the revenue scheme. To bring up the number of the Scheduled Caste candidates to the

prescribed level, it was felt necessary to recruit some Harijan candidates from outside recommended by the Employment Exchange. Since the Employment Exchange could not furnish the required number of Harijan candidates, all other possible sources just as Harijan Sahayak Singh, were also tapped. A news item had also been got published in the Government Press inviting application of qualified Harijan candidates. Many Harijan candidates turned up and slection was made out of them. These candidates have been working for about a month. The collections of the Harijan Amins have been extremely poor and they have proved failures in field work. This has adversely affected the collection results of this District.

उसका तर्जुमा यह है कि उन्होंने लिखा है कि १८ फीसदी कं. पूरा करने के लिये हमको बाहर से भर्ती करनी पड़ी और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को लिखा गया। वहां से भी जब हमको पूरी मदद इस मामले में न मिली, तो हमने हरिजन सहायक विभाग से मदद ली। इस के लिये खबर गवर्नमेंट प्रेस से छपवा कर स्थानीय अखबारों में प्रकाशित कराया। किसी तरह से जब १८ प्रतिशत की पूरी भर्ती हो गयी, तो इनसे भी काम लिया गया। लेकिन ये जो नये हरिजन अमीन भर्ती किये गये थे, इनका काम बहुत पुअर (असन्तोषजनक) है और इसी वजह से सारे जिले के कलेक्शन का काम पिछड़ा हुआ है।

जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में हरिजन नायब तहसीलदारों की नियुक्ति

*४०—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में कुल कितने नायब तहसीलदार रक्खे गये हैं, और उनमें कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आवश्यक सूचना प्रत्येक जिले से एकत्रित की जा रही है।

श्री बाबू नन्दन—प्रत्येक जिले से सूचना कब तक आने की सम्भावना है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पूरे प्रदेश से सूचना एकत्रित करने में जितना समय लग सकता है, उतने समय के अन्दर।

अलीगढ़ में परिगणित जाति के स्थायी अमीनों की नियुक्ति

*४१—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में कितने स्थायी अमीन नियुक्त किये गये हैं, और उनमें परिगणित जाति के कितने हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सम्मिलित संग्रह योजना के अन्तर्गत जिला अलीगढ़ में १४८ बारहमासी अमीन नियुक्त किये गये हैं जिनमें से ३ परिगणित जाति के हैं। ये सब अभी अस्थायी हैं।

*४२—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमीनों की कम से कम योग्यता का Standard क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अमीनों के लिये शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निर्धारित नहीं है, परन्तु तरजीह ऐसे आदमियों को दी जाती है, जो मैट्रिकयूलेर मिडिल पास हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति एक से अधिक फसल में मालगुजारी आदि देयों की वसूली का कार्य ठीक तौर पर कर चुके हों।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अमीनी के लिये कुछ ऐसे उम्मीदवारों ने भी प्रार्थनापत्र दिये थे जो मैट्रिक पास थे और जिन्होंने एक वर्ष काम भी किया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अमीनों में कुछ महिलायें भी नियुक्त हुई हैं ?

श्री चरण सिंह--महिलायें नियुक्त नहीं हुई हैं और मैं महिलाओं को इस काम के लिये सर्वथा अनुपयुक्त समझता भी हूं।

*४३--**श्री राजाराम शर्मा** [१२ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]।

मिर्जापुर जिले में सिंचाई रेट बढ़ाने के सम्बन्ध में श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री राम नारायण त्रिपाठी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है --

"सरकार द्वारा मिर्जापुर जिले में सिंचाई रेट को सन् १९४६ के मुकाबिले तिगुना कर देने के विरोध में विभागीय अधिकारियों तथा सिंचाई मंत्री के सामने अपनी माँगों को रखने तथा वहाँ से निराश होने के बाद किसानों द्वारा संचालित सत्याग्रह के प्रति जिसमें अभी तक १०० आदमी पकड़े गये और ४५ जेल में बन्द हैं, उपेक्षा तथा दमन से मिर्जापुर के आसपास के जिलों के किसानों में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।"

इसमें मैं इतना कह देना चाहता हूं कि प्रस्ताव के शब्दों में बहुत बहस की बात नहीं आनी चाहिये लेकिन तिस पर भी विषय जो है यह निश्चित सा तो है और महत्व का भी है। एक बात मैं जानना चहता हूं कि आया इससे कुछ सरकार से सम्बन्ध है या नहीं या यह केवल रोजाना के इंतजाम से संबंधित है। मैं श्री राम नारायण त्रिपाठी से पूछूंगा, वह मुख्तसिर में बतलायें कि इसका कैसे सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और वह रोज के इंतजाम से संबंधित नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं अनुगृहीत हूं कि आपने इस संबंध में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है। इससे सरकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। सरकार की तरफ से सन् १९४६ में यह नियम बने थे कि छिटवा धान पर ढाई रुपये बीघे के हिसाब से और रोपनी धान पर २० रुपये बीघे के हिसाब से लिये जायेंगे और इस घोषणा के बावजूद भी जब कि ९० प्रतिशत छिटवा धान होता है फिर सरकार ने रोपनी के हिसाब से दुगुना कर लेना शुरू कर दिया था। सन् १९४८ ई० में ३ रुपये २ आने बीघे के हिसाब से, १९५० में ३ रुपये १४ आने के हिसाब से और १९५३ में ६ रुपये ४ आने के हिसाब से लेना शुरू किया। इस तरह से यह तिगुना हो गया। एक तो यह कि छिटवा धान और रोपनी धान में कोई तमीज नहीं की जाती है और रोपनी धान के हिसाब से कर ले लिया जाता है।

दूसरी बात यह है कि आंदोलन शुरू करने से पहले वहाँ के किसानों ने एक संघर्ष समिति बनायी और उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी के सामने अपनी माँग पेश की और तीन महीने से वह प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल ने सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखे और ३-२-५४ को जब माननीय सिंचाई मंत्री वहाँपर तशरीफ ले गये थे तो वहाँ पर श्री राजनारायण जी ने और संघर्ष समिति के संयोजक श्री लज्जा सिंह माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया था। लेकिन इसके बावजूद उस पर कुछ विचार नहीं हुआ। अंत में किसानों को सत्याग्रह करना पड़ा। इसलिये इसका सरकार से सीधा संबंध है।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एक तो यह कि श्री राम नारायण त्रिपाठी ने जो स्पष्टीकरण दिया उनके सम्बन्ध में और दूसरे जो वह वाकयात बतला रहे हैं, उनके सम्बन्ध में वह कुछ कहना चाहें तो कहें।

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी आंदोलन है, इसका सम्बन्ध अकेले मिर्जापुर से नहीं है बल्कि सारे प्रदेश से है। सारे प्रदेश में सिंचाई का जो रेट है उसमें कहीं ५० प्रतिशत और कहीं १०० प्रतिशत बढ़ाया गया है इसलिये यह सारे प्रदेश की बात है। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन भी किया लेकिन गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि जो आर्डर दे दिया है वह जारी रहेगा। इसी के सिलसिले में कई जगह आंदोलन हुआ इटावा में भी गिरफ्तारियाँ हुयीं। यह कोई नयी चीज नहीं है। मिर्जापुर में ३ मार्च से गिरफ्तारियाँ शुरू हुयीं और आज १५ मार्च है। अगर कोई अर्जेंसी होती तो यह सवाल बहुत पहले आजाना चाहिये था। रेट वसूल करने का काम इरीगेशन डिपार्टमेंट तथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों का था। इसलिए यह बिलकुल इंतजामी मामला हो गया। सरकार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—१०० आदमियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में और ३ मार्च के सम्बन्ध में जो यह कह रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहले तीन मार्च को ३ गिरफ्तारियाँ हुयीं, ६ मार्च को ७ आदमी गिरफ्तार हुए। इसके बाद जहाँ तक हमारी सूचना है ९ मार्च को १७ आदमी गिरफ्तार हुए और १० मार्च को २१ आदमी गिरफ्तार हुए। इस तरीके से हमारी सूचना के अनुसार ३ मार्च से लेकर कुल ४८ आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले गिरफ्तारी ३ मार्च को शुरू हुयी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ इनफारमेशन के लिये मुझे इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी इजाजत नहीं दी इस प्रश्न को उपस्थित करने की। मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा आपसे इस विषय में नहीं पूछूंगा।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, यदि आप कहें तो मैं कुछ स्पष्टीकरण.....

श्री अध्यक्ष—स्पष्टीकरण तो श्री राम नारायण त्रिपाठी दे चुके हैं। मैं उनसे पूछूंगा। मैंने अभी इसको पेश करने की इजाजत नहीं दी है। जो गिरफ्तारियाँ हुयी उनके विषय में आपको कुछ कहना है?

श्री राम नारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, ३ तारीख से पहले गिरफ्तारियाँ नहीं हुयीं और सत्याग्रह चालू है और गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं। अब तो पुलिस वालों ने यह रवैया कर लिया है कि वह लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजते हैं। १०० आदमियों में से ४५ आदमी गिरफ्तार हुए हैं।

श्री राज नारायण—श्रीमन्, मैं कल ही आ रहा हूं, यदि आप आज्ञा दें तो.....

श्री अध्यक्ष—और लोगों को भी जानकारी होगी। यह मालूम होता है कि सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध है और महत्वपूर्ण तो मैं कह ही चुका हूं। तो मैं इस बात की अनुमति देता हूं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी को कि वे इस सदन से अनुमति माँगने के लिये जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन इतना इस विषय

में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चूंकि आगामी बजट के अनुदानों पर वोटिंग का सवाल है इसलिये वे सिर्फ पाँच मिनट ही अपने भाषण के लिये रखें। पाँच मिनट में आप अपनी बात कह देंगे। फिर मैं सदन की अनुमति के लिये प्रश्न रखूंगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में सदन की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूं। प्रस्ताव तो सदन के सामने उपस्थित ही है। जैसा कि मैंने कहा था इस सम्बन्ध में सरकार से सीधा सम्बन्ध है और सत्याग्रह अब तक इस सम्बन्ध में चल रहा है और मुझे यह भी सूचना मिली है कि बनारस, इलाहाबाद और वहाँ के समीप के जिलों के और भी किसान इस सम्बन्ध में संगठित हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं और इस बात की भी सम्भावना है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह आंदोलन चल सकता है और इस तरह से प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन में एक छिन्नभिन्नता आ सकती है। और बातें मैंने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से और भी कह दी हैं। ज्यादा मुझे कहना नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--श्री ब्रजभूषण मिश्र, आप क्या इसका विरोध करना चाहते हैं ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र--उन्होंने कुछ गलत बातें इस सम्बन्ध में कहीं हैं, उसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह कुछ कहना चाहते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में सदन स्थगित करने का सवाल उठता ही नहीं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी, अगर आप कोई वाकयात की बात कहना चाहते हो तो कहें।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यही कह रहा हूं कि सन् १९४६ में ढाई रुपया बोया वहाँ था और.....

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जो वाकयात आपकी नजर में आये हो वह बतला सकते हैं।

श्री राज नारायण--सत्याग्रह वहाँ चल रहा है, बहुत तीव्र गति से और परसों वहाँ एक नयी बात यह हो गयी है कि सरकार के जो नहर विभाग के कर्मचारी हैं वह गाँव में जाते हैं और किसानों को जबर्दस्ती पकड़ पकड़कर एक जगह बैठाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो बकाया है वह दो। उनके साथ कुछ पुलिस के कर्मचारी भी जाते हैं। इस प्रकार उन तमाम परगनों के किसानों के ऊपर एक दमन चक्र चल रहा है और जिन जिन के लिये मालूम हो जाता है कि इन्होंने सत्याग्रहियों की लिस्ट में अपना नाम दिया है उनके घर में जा करके उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है और जो वहाँ शिविर खुल रहा है सत्याग्रहियों का वहाँ पुलिस के कर्मचारी हर तरह से बाधा दे रहे हैं। श्रीमन्, जब मैं वहाँ गया और मेरी वहाँ पर तैनात दरोगा साहब से बातचीत हुई, मैंने उनसे निवेदन भी किया लेकिन एक अजीबोगरीब बात मैं आपकी आज्ञा से माननीय पुलिस मंत्री को बता दूं कि वह खुद हमसे पूछ रहे थे कि आप हमें यह बता दीजिये कि आप अगर आये हैं तो इस सत्याग्रह को तेज करने आये हैं या बन्द करने आये हैं। तो मैंने कहा कि वह तो हमारी गतिविधि जो है उससे ही पता लग जायगा। ताज्जुब की बात यह है कि सी०आई०डी० पुलिस भी जाकर के हमारी पार्टी के लोगों से पूछती है कि.....

श्री अध्यक्ष--यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री राज नारायण---तो मैं यह कह रहा हूं कि हर दृष्टिकोण से सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध है, पुलिस का सीधा सम्बन्ध है और यदि सदन इस पर विचार नहीं करेगा तो वहाँ पर जो अव्यवस्था फैलेगी वह केवल मिर्जापुर ही नहीं बल्कि बनारस और आसपास के सभी क्षेत्र उससे प्रभावित होंगे। वहां पर एक और विशेष बात है जो श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं बता दूं। जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सारे सूबे का मामला है किन्तु जो हिसाब लगाया गया है मिर्जापुर में, वह जिस प्रतिशत से रेट बढ़ना चाहिए उससे भी अधिक रेट बनाकर के दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---आप उसकी डेटिल्स में मत जाइये।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---यह समाचार जो है वह हमारी तहसील का है और मेरा घर भी सौभाग्य से वहीं है जहाँ नाइर का क्षेत्र है। यह आन्दोलन जो चल रहा है वह किसानों का नहीं है। किसानों का इसमें बहुत हाथ नहीं है। यह एक पार्टी का आन्दोलन है। अभी सदन में यह बताया गया कि इसने ६० प्रतिशत छिड़ुआ धान है और दस प्रतिशत रोपनी धान है। यह बिलकुल निराधार है।

श्री अध्यक्ष---सत्याग्रह जो हो रहा है क्या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं?

श्री राजकुमार शर्मा---वह कुछ है नहीं। थोड़े से कुछ पार्टी के आदमी हैं। उन्हीं का यह आन्दोलन है। किसानों का हाथ इसमें नहीं है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---जो लोग प्रस्ताव के लिए अनुमति देने के पक्ष में हैं वे कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जायं।

(गणना के पश्चात्)

२५ की संख्या हुयी और ३६ होनी चाहिए। इसलिए इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए सदन की अनुमति नहीं है, मैं यह सूचना माननीय रामनारायण जी को दे रहा हूं।

प्राक्कलन समिति का सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बद्ध प्रथम प्रतिवेदन†

आचार्य जुगलकिशोर (जिला मथुरा)---प्राक्कलन समिति द्वारा मुझे यह अधिकार और आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं उक्त समिति का सभापति होने के नाते समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं। तदनुसार मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित यह प्रथम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं इस वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान प्राक्कलन समिति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही समिति के कुछ अन्य प्रतिवेदन भी आपकी आज्ञा से प्राप्त करने के बाद यथासमय प्रस्तुत करूंगा।

समिति ने अपने प्रथम पदकाल में इस बात का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है कि समिति अधिक शीघ्रतापूर्वक किस प्रकार कार्य करे और अब यह आशा की जाती है कि भविष्य में समिति के प्रतिवेदन बहुधा शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे और यह सम्भव हो सकेगा कि वर्तमान विधान सभा के जीवन काल में समिति द्वारा समस्त विभागों के कतिपय प्राक्कलनों का निरीक्षण किया जा सके।

इस अवसर पर मैं समिति की ओर से विभिन्न विभागों के उन पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिनके विभागों के प्राक्कलनों का अब तक निरीक्षण किया गया है और जिन्होंने समिति को सहयोग देने तथा समिति के समक्ष आवश्यक तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत करने में तत्परता दिखायी है। इस रिपोर्ट के तैयार करने में जो सहायता और सहयोग इस समिति के कर्मचारियों तथा विशेष अधिकारी श्री राजेश्वर सक्सेना तथा श्री राम प्रकाश से मिली है मैं उसका भी बहुत कृतज्ञ हूं, आभारी हूं।

† यहाँ पर छापा नहीं गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्राक्कलन समिति के कार्य में जो रुचि दिखलायी है तथा अवसर पड़ने पर हमारे कार्य संचालन में सुविधा प्रदान करके अपना जो अमूल्य परामर्श एवं सहायता देने की कृपा की है उसके लिये हम आपके कृतज्ञ हैं और समिति की ओर से मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) इस पर अभी डिबेट होने वाला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं यह चाहता हूं कि इसके लिए समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—एक तरीका यह है कि एस्टीमेट्स कमेटी की प्रथा यह रही है कि जो सुझाव इसमें सरकार के लिये दिये गये हैं चूंकि वह सदन की समिति है इसलिए वह एक तरह से सदन की ही सिफारिशें हैं। उन पर विचार करके जो कुछ कार्यवाही सरकार करे, वह सदन में पेश करे। सरकार यह सदन को बतावेगी कि उसने कौन सा सुझाव माना और कौन सा नहीं माना इस कारण कि वह सरकार अमल में नहीं ला सकती। यानी जो कुछ भी सरकार इस पर कार्यवाही करे वह सदन के सामने पेश करे और उस वक्त उस पर विचार हो सकता है।

दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि सरकार से अभी सदस्यगण माँग करें कि हम पूरी रिपोर्ट पर विचार करना चाहते हैं। यदि सरकार उसे स्वीकार करे तो कोई समय मुकर्रर करके उस रोज उस पर बहस हो सकती है। यह भी तरीका हो सकता है।

वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—इन अनुदानों के लिए समय निश्चित कर लिया जाता तो अच्छा था। मेरा यह सुझाव है कि अनुदान संख्या १ और २ एक साथ ले ली जायं और सवा चार बजे तक उन पर विवाद हो और अनुदान संख्या २१ सवा चार बजे से पांच बजे तक चले। ये तीन ही अनुदानें आज ली जायं।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

माल मंत्री श्री चरण सिंह—फिर से बतला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अनुदान संख्या १ और २ एक साथ ले लिये जायं और सवा चार बजे तक उन पर विवाद हो और सवा चार से पांच बजे तक अनुदान संख्या २१ ली जाय और इन तीनों पर हो आज बहस हो और बाकी अनुदानों पर कल बहस हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल—पहली दोनों अनुदानें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि जो कटमोशन मूव करे उसे बीस मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—बीस मिनट का समय देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसके बाद विरोधी दल की तरफ से और माननीय सदस्य कम बोलें। यह न हो कि नम्बर भी ज्यादा हो और समय भी ज्यादा लिया जाय। इसी तरह से समय की व्यवस्था हो सकती है वर्ना और माननीय सदस्यों के साथ मैं समझता हूं कि एक तरह से अन्याय होगा।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—आपने तै किया था कि एक घंटे में चार सदस्य बोलें और उनमें एक विरोधी दल का हो। उसी के अनुसार आप हमारा चौथायी समय तय कर दें।

श्री अध्यक्ष--वह तो हम अन्दाजा कर लेंगे ।

अनुदान संख्या १--लेखा शीर्षक ४---कृषि आयकर की उगाही पर व्यय और अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी

*श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १--कृषि आय कर की उगाही पर व्यय (लेखा शीर्षक ४--कारपोरेशन कर को छोड़कर आय पर दूसरे कर) के अन्तर्गत ३,२२,५०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय और अनुदान संख्या २--मालगुजारी (लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी) के अन्तर्गत ४,२२,४८,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय ।

इस समय कृषि आयकर के लिये ३,२२,५०० रुपये माँगे जा रहे हैं और बमुकाबिले २,७६,४०० रु० के जो पिछले साल रक्खे गये थे और जो ४६ हजार रुपये का खर्चा बढ़ा है वह इस कारण कि जिनसे इनकम टैक्स वसूल किया जायगा उनकी तादाद बढ़ गयी है। पहले २२ हजार थी और अब २८ हजार उनकी तादाद हो गयी है। इसकी वजह से कुछ स्टाफ की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी। ११० तो नायब तहसीलदार ६ महीने के लिये और ८० क्लर्क साल भर के लिये रक्खे गये। इसलिये यह ४६ हजार का खर्चा ज्यादा बढ़ गया।

अब जहाँ तक दूसरी ग्रांट का ताल्लुक है इसमें २,८६,८०,००० रु० रक्खे गये थे। इस साल १,३२,६८,००० का खर्चा कुछ ज्यादा नहीं है बल्कि दूसरे शीर्षक का रुपया इस शीर्षक में ट्रांसफर कर दिया गया है आसानी के लिये। कोई नया खर्चा नहीं हुआ है। जो नया खर्च इस सारी ग्रांट में है ४८ लाख के करीब हुआ वह चकबंदी की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए हुआ वैसे तो डिडक्शन हुआ है। ३२ लाख २५ हजार की जो दूसरी काफी बड़ी रकम है वह बचत इस कारण है कि लेखपालों की तादाद बजाय २८ हजार के १८ हजार ही रह गयी जिससे ३२ लाख रुपये की खर्च में कमी हुयी।

अब जमींदारी हमारे सूबे में जिस प्रकार और जिस शांति के साथ खत्म हुयी वह सबके लिए एक देखने की चीज है। आज देहातों में जमींदारी विनाश के जो असरात थे वे दिखायी पड़ने लगे हैं। आज देहातों में रैयत नहीं रह गयी। हमारे सूबे के शब्द-कोष से शब्द "रैयत" बिल्कुल निकल गया और जहाँ तक काश्तकार की बात थी काश्तकार कोई किसी का नहीं रह गया और उसके सर पर जो बेदखली की तलवार टंगी रहती थी उसका सवाल हर्गिज हर्गिज रहा ही नहीं। हर आदमी एक दूसरे के बराबर है। यह दूसरी बात है कि किसी के पास दो बीघा जमीन हो और किसी के पास बीस बीघा और किसी के पास बिलकुल न हो लेकिन जो फ्यूडल चैनल्स थीं वे आज टूट गयीं। जमींदारी की जो बेड़ियाँ थीं वे टूट चुकी हैं। साथ ही जो भूमिहीन लोग थे, जो दस्तकार थे गाँव में आज उनके बन्धन भी टूट चुके हैं। कायदे रिवाज के मातहत मजदूर जमींदारी के मातहत थे वह चीज भी आज खत्म हो गयी। जो लोग गांव के रहने वाले हैं और जिनको गाँव की हालत का पता है उन्हें इसकी पूरी वाकफियत है कि आज गाँव में कैसी संतोषजनक हालत है। तरह तरह के अन्दाजे लोग लगाया करते थे कि बड़ी अशाँति होगी सारे सूबे भर में और बदइन्तजामी होगी और झगड़ा होगा लेकिन आज ऐसी शांति देहात भर में छायी हुयी है कि वह सब को विदित है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता उस जमींदारी के खात्मा होने के बाद गांव समाज या विलेज कम्युनिटी को बहुत अधिकार मिल गये हैं। तो वह अधिकार इतने ज्यादा हैं कि मैंने किताबें बहुत कम पढ़ी हैं लेकिन जो थोड़ी बहुत पढ़ी हैं दूसरे देशों की भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे अभी तक यह नहीं मालूम हो सका है कि किसी देश में गांव समाज को या विलेज कम्युनिटी को इतने अधिकार दिये गये हैं जितने कि उत्तर प्रदेश में दिये गये हैं। उस सिलसिले में उन अधिकारों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का किस प्रकार से प्रयोग किया जाय इसके सिलसिले में बहुत से आदेश जारी किये गये और हिदायत जारी हुयी हैं। वह आदेश विलेज मैन्युअल के रूप में एक जगह संकलित कर दिये गये हैं और देहात में लाखों की तादाद में उनको तकसीम कर दिया गया है और इस सदन के माननीय सदस्यों को भी एक एक प्रति उसकी दी गयी है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह सबको मिल चुकी होगी। गांव समाज को वही अधिकार दे दिये गये हैं जो कि पुराने ज़मींदारों को थे और अब वही अधिकार गांव समाज के हो गये हैं। बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि पुराने जमींदारों के जो अधिकार थे उनसे भी ज्यादा अधिकार गाँव समाज को हो गये हैं। हमारे गांव के अनपढ़ आदमियों को जिनकी बड़ी संख्या है इतने अधिकार मिलना एक नयी बात है। वह किस प्रकार से इन अधिकारों का सदुपयोग करें यह एक बड़ी भारी समस्या गवर्नमेंट के सामने है। उन अधिकारों को समझाने की लोगों को बड़ी भारी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से जो मेरे मित्र यहां पर बैठे हुये हैं मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने हलकों में जाकर और गांव गांव में जाकर जो गांव वालों को अधिकार मिल गये हैं उनको समझाने की कृपा करें। जो कानून के असरात हैं और जो कानून से होने वाला हो वह तो है ही लेकिन उससे गांव वालों को समझाने में देर लगेगी और वह लुत्फ भी नहीं आयेगा कि अगर अधिकारी के जरिये से या वकील के जरिये से अधिकार उनके कानों तक पहुंचे। अगर गैर-सरकारी तरीके से या जिन लोगों ने जनसेवा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुयी है अगर वह लोग जाकर उनको समझायें तो फिर भी आनन्द ज्यादा आयेगा और उसका फायदा भी ज्यादा होगा और आपके जरिये से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो उस मूक जनता के प्रति जो हमारा कर्त्तव्य है उसका पालन सच्चे मायने में हम कर सकेंगे। साथ ही कानून हो, यह जरूरत है लेकिन जिस पर अभी बल देने की जरूरत है वह यह है कि वे लोग ईमानदारी और आपस में प्रेमभाव से मिलकर भूमि का प्रबन्ध करें तो अध्यक्ष महोदय, मेरी उम्मीद यह है और इस गवर्नमेंट का सपना यह है कि हमारे देहातों की काया पलट हो जायगी। हमारे १० परिवारों से कम आबादी वाले जो गांव थे यानी जहां पर १० खानदान से कम बसे हुए थे उनको हमने पड़ोस के गांव में मिला दिया है और उनकी तादाद ८५ हजार हो गयी और रेवेन्यू कागजात में गांवों की तादाद ९७ हजार थी। मैदानी इलाकों में जहां पर जमींदारी का विनाश कानून लागू हो चुका है और जहां पर १० खानदान से कम परिवार बसे हुए थे उनको पड़ोस के गांव में मिला देने से ८५ हजार संख्या हुयी और गांव समाज की संख्या भी, भूमि प्रबंधक कमेटी की भी संख्या इतनी हुयी। लेकिन गवर्नमेंट के निश्चय के अनुसार २५० से कम आबादी वाले गांव पड़ोस में जो मिलाये जा रहे हैं जैसा कि मैंने अभी २,३ दिन हुए बतलाया था कि अनुमान यह है कि उनकी तादाद ६० हजार तक हो जायगी और अभी जो ४ जिले का औसत मिला है उसके अनुसार ३७ १/२ प्रतिशत गांव कम हो जायंगे। तो गांव समाज या गांव सभा में जो कुछ लोगों को भेद मालूम होता है वह मिट जायगा। अगरचे अमल में कोई दिक्कत नहीं है। गांव सभा तो काम करने वाली एक जमात है लेकिन गांव समाज की कोई रजिस्ट्री नहीं है। इस प्रकार के जो भेद हैं वह सब मिट जायेंगे। गांव सभा और गांव समाज एक हो जायेंगे। इसी प्रकार से गांव पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति एक हो जायगी। आज भूमि प्रबन्धक समिति गांव पंचायत की उपसमिति है यानी उसकी सब-कमेटी है। जितने मेम्बर जिस गांव से चुनकर गये हैं वही उस गांव की भूमि का प्रबंध करेंगे। तो आज जो गांव पंचायत है वही भूमि प्रबंधक समिति हो जायगी। आज ९ हजार पंचायतें हैं जो एक एक गांव की हैं और ६ हजार ऐसी हैं जो २,२ गांवों की हैं, ६ हजार ऐसी हैं जो ३,३ गांवों की हैं, १५ हजार गांव पंचायत ऐसी हैं जो ४ से लगाकर ६,७ गांवों की हैं। जब यह हो जायगा तो एक गांव में एक ही गांव पंचायत होगी और वह भूमि का प्रबंध करेगी। आगे चलकर लेखपाल और पंचायत राज्य सेक्रेटरी की जगह एक ही राजकर्मचारी इन दोनों के कामों को करेगा। तो गांव समाज का एलैक्शन करने में, गांव-गांव जाने में काफी देर लगेगी। फिर सड़कों का अधिकार देना, हाट, बाजार और मेले वगैरह के आंकड़े जमा करना और बहुत सा ऐसा

[श्री चरण सिंह]

काम था जो यहां पर्दे के पीछे सेक्रेटेरियेट में होता है, जो जनता के सामने नहीं आता इसमें भी देर लगती है। तो साल भर के बाद भूमि प्रबंधक कमेटियों के चुनाव की बात और तब उनकी ट्रेनिंग इत्यादि की बात है। उसमें देर लगी। खैर, बाकी इस बारे में फिर बताऊंगा। फिलहाल, इतना मैंने गांव समाज के बारे में अर्ज किया।

पहले पटवारी हमारे गांव वालों के मस्तिष्क में और उनके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते थे। वे पटवारी लोग चले गये और उनके जाने की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। उनकी तादाद २८,००० से अब १८,००० रह गयी है। उनके वे अधिकार, जो लोगों के आर्थिक जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव रखते थे, अदालत के हुकुम बिना वे इन्दराज कर या बदल सकते थे, वे सभी अधिकार उनके पहले ही खत्म हो चुके थे। लेखपालों को ऐसे अधिकार नहीं हैं। सिर्फ एक अधिकार ऐसा था कि जिसके सिलसिले में मेरे पास शिकायत आयी और वह यह है कि गांव वालों को किसी एक्सटेंट की फर्द या खतौनी की आवश्यकता है तो कायदा यह था कि वह ८ आने लेखपाल को दे और ले ले नहीं तो तहसील में जाय और किसी वकील साहब के मुहर्रिर का खुशामद करे और फिर भी उस दिन उसे नकल नहीं मिलती थी। जब लेखपाल अगली तारीख पर आवें तो तहसील के कर्मचारी नकल लें। इस प्रकार गांववालों का खर्चा २ बार आने जाने में दुगुना हो जाता था। उन लोगों की आपस में कुछ बातचीत भी हो जाती थी तो और भी ज्यादा परेशानी गांव वालों को होती थी। लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों की इत्तिला के लिये यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अभी हमने कोई १५,२० दिन हुए यह कर दिया है कि अगर किसी किसान का फर्द खतौनी की या इसी प्रकार की जरूरत है तो उसे तहसील जाने की आवश्यकता नहीं है। वह भूमि प्रबन्धक कमेटी के सभापति के पास जाय और वह सभापति लेखपाल को बुलाकर मौके पर फर्द खतौनी दिलवा देगा (करतल ध्वनि)। मैं समझता हूं कि यही एक शिकायत बाकी थी जो आगे नहीं रहेगी और अगर इसमें गफलत होती है तो उसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।

जैसा जमींदारी उन्मूलन का कार्य इस सरकार ने उठाया था बिलकुल उसी अहमियत और महत्व का दूसरा महत्वपूर्ण कदम चकबंदी उठाने जा रही है और वह है खेतों की चकबंदी करना। जैसा कि सभी दोस्तों को मालूम है कि उस कानून पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं और अगले महीने दो जिलों में काम शुरू होना चाहिये। १८-२० जिलों के लिये अफसरों को ट्रेनिंग दी जायगी और अगले साल १८-२० जिलों में काम शुरू हो जायगा। चकबंदी के फायदे तो स्वयं सिद्ध हैं। जितने भी माननीय मित्र यहां आते हैं वे देहातों से ही आते हैं और देहातों को रिप्रेजेन्ट करने वाले हैं। उससे किसानों का समय नष्ट होने से बच जाता है, खेतों का नुकसान कम होता है, सिंचाई में आसानी होगी, मेड़ बनाने में सुविधा होगी, वहां वह झोंपड़ी डाल कर रह सकता है। इस प्रकार से सब कुछ हो जायगा तो आशा है खेतों की पैदावार ३० प्रतिशत बढ़ जायेगा। यह सभी जानते हैं कि बहुत से किसान चकबंदी चाहते हैं और अन्य देशों में भी यह चकबंदी हुई है।

गवर्नमेंट के सामने, जमींदारी खत्म करने के बाद एक बहुत बड़ा काम यह था कि वह मालगुजारी कैसे वसूल करे। उसके चार ही रास्ते थे—

(१) नंबरदारों के जरिये उसकी वसूल कराना, (२) पटवारियों के जरिये वसूल कराना, (३) गांव पंचायतों के जरिये वसूल करवाना, तथा (४) राज कर्मचारियों के जरिये वसूल करना। सोचा यह गया कि नंबरदारों के जरिये वसूल कराने में जो इलेक्टेड गांव सभायें हैं उनके प्रधानों के मुकाबिले में एक इन्स्टीट्यूशन कायम होता है, अगर पटवारियों के द्वारा करते हैं तो एक तो उनके पास ही रिकार्ड्स रहते थे दूसरे उस समय तक पटवारी लोग पुराने किस्म के ही थे। अगर उनको वसूली के अधिकार दिये जाते तो लोगों को शिकायत हो जाती। हां, गांव पंचायतों के जरिये जो मालगुजारी वसूल करने की बात गवर्नमेंट उसको

आदर्श स्थिति मानती है जब कि हमारी गांव पंचायतें स्वयं अपना देय, मालगुजारी और तकावी स्वयं वसूल कर लिया करेंगी। अगर ऐसा हो जायगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। इसी नक्शे को सामने रख कर भूमि व्यवस्था अधिनियम में धारा २७५ और २७६ के अनुसार यह अधिकार लिये गये कि गांव पंचायतों के जरिये मालगुजारी वसूल करा ली जाय और यह काम २८७ गांव पंचायतों को दिया भी गया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी गांव पंचायतें और भूमि प्रबंधक समितियां नयी हैं, उन्हें तजुर्बा नहीं। यह भी कहने में कोई हर्ज न होगा कि उनमें अभी पढ़े लिखे कम हैं तथा जो पब्लिक स्पिरिट और जन सेवा का भाव होना चाहिये, उतना वह डेवलप नहीं कर पाये हैं। अभी तो म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी इस काम को संतोषजनक रूप में नहीं कर पाते हैं। मालगुजारी और सिंचाई कर वसूल करना तो दूर रहा, अभी तो वे अपने ही टैक्सों को वसूल नहीं कर पाते हैं। उनके लिये भी महकमे माल के अमीनों के जरिये वसूली करायी जाती है। अभी तो इस सिलसिले में फूंक-फूंक कर कदम उठाया जा रहा है और इसके लिये सारे सूबे की मालगुजारी वसूल करने के लिये राजकर्मचारियों का एक समूह इकट्ठा किया गया। और फौरन बहुत जल्दी में हमने हजारों अमीन, हजारों चपरासी, सैकड़ों नायब तहसीलदार और दर्जनों कलेक्शन आफिसर मुकर्रर किये। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में खुशी होती है कि इस कलेक्शन एजेंसी ने जिस तरह काम किया, यों हजारों आदमियों की शिकायतें हो सकती हैं गलतियां हुयी होंगी, मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन सामूहिक तरीके से जो उन्होंने काम किया उस पर मुझे गर्व है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमने उनके अफसरों को कई बार यह लिख कर भेजा कि देखो जरा गलती न हो, जरा किसानों की शिकायत न हो, और ये टेम्पोरेरी लोग हैं, अगर कानूनी सबूत आपके पास न हो लेकिन अखलाकी हो जाय कि उन्होंने कोई बेजा बात की तो उनको निकाल दिया जाय, कोई भी हो, एक पैसा, दो आना या रिश्वत की कोई भी बात हो तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। जिलाधीशों ने उस आदेश पर खुशी के साथ काम किया और उस पर बड़ी निगाह रखी। मैं पहले भी पिछली दफा कुछ आंकड़े सुना चुका था लेकिन उनको फिर दोहराने और सुनाने की जरूरत है क्योंकि मुमकिन है कि उस वक्त कुछ माननीय सदस्य न रहे हों। पहले कहा जाता था कि जब जमींदारी खत्म हो जायगी तो जो वर्ग शांति स्थापित करने वाला है वह मिट जायगा और इस तरह से मालगुजारी वसूल करने में बड़ा अन्याय होगा। अशांति तो होगी ही, लोगों को शिकायतों का बड़ा मौका होगा लेकिन इस तरह के जो पैसिमिस्ट थे, निराशावादी थे जो अनजाने या जानबूझ कर लोगों को गुमराह करना चाहते थे, मुझे खुशी होती है यह कहने में कि जो उनकी आशंकायें थीं वे निर्मूल साबित हुई हैं। वह इस तरह से कि जब कि जमींदारी कायम थी तब कोअर्सिव प्रोसेसेज कायम थे। अब जब कि जमींदारी खत्म हो गयी है और ७,८ गुना लोगों से मालगुजारी वसूल करनी है तो कोअर्सिव प्रोसेसेज ७, ८ गुना बढ़ जाता लेकिन ७ गुना ८ गुना बढ़ने की बात तो दूर जितना पहले होता था उतना भी अब नहीं होता है।

पिछले साल जो आंकड़े मैंने फसली सन् १३६० के दिये थे सन् १९५१-५२ में ५०९ रिट आफ डिमांड्स जारी हुए और सन् ५२-५३ में ४३४ जारी हुए। साइटेशन आफ पावर यानी आकर जवाब दो कि क्यों मालगुजारी नहीं देते हो, ऐसे केसेज पहले २७,८८७ थे और पिछले वर्ष १४,१७२ थे। वारंट आफ अरेस्ट्स पहले १५,१९४ जारी हुए और पिछले वर्ष ३२,२६५ जारी हुए। यह तो करीब करीब दुगुना जरूर रहा लेकिन वाकई में गिरफ्तारी की जो नौबत आयी वह पहले की संख्या तो २,०२३ रही और पिछले वर्ष की १,३०२ रही। यानी ८० फीसदी कम। कुर्की जो माल मनकूला की हुयी वह पहले ७७७२ थी और पिछले वर्ष ९५६५ थी, जिसमें नीलाम की नौबत पहुंची, पहले तो २२८ नीलाम हुए और पिछले वर्ष १०९ ही नीलाम हुए यानी नीलाम होने की नौबत आधी रही। इसी तरीके से कुर्की गैरमनकूला जायदाद की संख्या पहले सन् ५१-५२ में ४४४ थी और सन् ५२-५३ में १२

[श्री शरण सिंह]

जिनमें नीलाम हुए सन् ५१-५२ में ७ और सन् ५२-५३ में कुल ४ इस सिलसिले में मैं आपकी इजाजत से अर्ज कर देना चाहता हूं कि कलेक्टर खुद नीलाम कर सकता था लेकिन अब हमने उस नियम को बदल दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी होल्डिंग की नीलाम की नौबत आये। तो हमने यह नियम बदल दिया है कि अब बिना गवर्नमेंट की इजाजत के कोई होल्डिंग नीलाम नहीं की जायगी। एस्टैब्लिमेंट आफ होल्डिंग के पहले के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। इधर एस्टैब्लिमेंट आफ होल्डिंग ७१ हुए और सेल आफ होल्डिंग ४३ हुए। तो इस तरह से मालगुजारी वसूल की गयी। पहले मालगुजारी वसूल करने के लिये अलग एजेंसी थी, आबपाशी वसूल करने के लिए अलग एजेंसी थी और तकावी वगैरह के लिये अलग अमीन रखे जाते थे। जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वह अब एक इंटीग्रेटेड एजेंसी हो गयी। पहले एक फसल में तीन महीने के लिये अमीन, नायब तहसीलदार और चपरासी रखे जाते थे अब वह १२ महीने के लिये रखे जायं ऐसा कर दिया है। तादाद उनकी जैसा का काम करनी पड़ी है क्योंकि उनको यह इत्मीनान तो कम से कम हो कि वह १२ महीने के लिए रोजगार में है। शिकायतों की गुंजाइश भी कम होंगी। जो आदमी केवल ३ महीने के लिये, या जो फसल भर के लिये रखे जाते थे उनको यह उम्मीद नहीं हो सकती थी कि हम अगले साल रखे जायं या न रखे जायं तो उसको लालच ज्यादा होने की आशंका रहती है लेकिन जब वह १२ महीने के लिये रहते हैं और अगले साल भी रहने की उम्मीद होती है तो वह ज्यादा जोश और ज्यादा ईमानदारी के साथ काम करेगा।

जमींदारी खत्म होने के बाद एक बड़ा भारी काम कागजात मुआविजे के ठीक तैयार करने थे। जमींदारी खत्म कर दी जाय और वह कह दिया जाय कि मुआविजा नहीं देना है या कोई ऐसा स्कीम आफ थम्ब जिसमें बहुत हल्का काम हो तो बहुत हल्के तरीके से बड़ी आसानी से हो सकता था लेकिन जो हमारा कानून बना और उसके मातहत जो नियम बने वे तहसील से बने, वे इतने माइन्यूट डिटेल से बने कि अध्यक्ष महोदय, २८ नक्शे तैयार करने के बाद २७ वें नक्शे में कम्पेर्सेशन निकल पाता था। इतना काम एस० डी० ओ० तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जो जमींदारी अबालिशन के क्लर्क रखे गये थे, पटवारी वगैरह इन सब को करना पड़ा। एक एक पाई का हिसाब, यानी जो जमीन करोड़ों एकड़ देहरादून से बलिया तक बिछी हुयी है एक एक चप्पे पर जिनका नाम खेवट में दर्ज था उन सब का हिसाब इन लोगों को करना पड़ा। जो जो आंकड़े बतलाये भी रहा हूं इनसे भी ठीक अन्दाज उस काम का नहीं हो सकता है जो राज्य कर्मचारियों को करना पड़ा। हमारे यहां सारे सूबे में २ लाख ७६ हजार मोहाल हैं और ३१ जनवरी तक इन सब २ लाख ७६ हजार मोहालों के कागजात तैयार हो गये जिनमें २ लाख ५६ हजार अर्थात् ९४ फीसदी मोहालों के नक्शे पब्लिश किये जा चुके हैं और यह सूचना हमारे पास ३१ जनवरी तक की है और बाकी ६ फीसदी बचे थे वे भी तैयार हो चुके होंगे। यह मैं कह सकता हूं। उनके मुआविजे के रोल्स तैयार हो चुके होंगे। पब्लिश होने के २ महीने के अन्दर मध्यवर्तियों को मौका रहता है कि वे एतराज कर सकें तो उनमें से १६ फीसदी तो तैयार हो चुके हैं यानी अंतिम रूप फाइनल शेप धारण कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वे फाइनल जरूर हो गये होंगे क्योंकि जब वह पहली बार प्रकाशित हुये उसको २ महीने हो गये। यह दो महीने की बात है अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी का मौका यह है कि अब तक शिकायतें जो अब तक हुये हैं वह २ लाख ३६ हजार २६ हुये हैं जिनमें से साढ़े सोलह हजार पर फैसला हो चुका है और उन साढ़े सोलह हजार फैसलों में केवल १२९ के खिलाफ अपीलें हुयीं। अगर यह रेवेन्यू स्टाफ की मेहनत, और एंफीशियेंसी का सबूत नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि और क्या सबूत हो सकता है। डिमोक्रेटिक तरीके से जमींदारी खत्म करना, किसी की जायदाद को ले लेना फिर उससे जो काम फैलता है उसके एक एक पाई का हिसाब, एक एक चप्पे का हिसाब बनाना, यह एक असाधारण काम है जो इस सूबे में हुआ।

अब तक अंतरिम कंपेंसेशन की दरख्वास्तें १ लाख ८३ हजार लगीं और ३१ जनवरी तक उनमें से १ लाख ६७ हजार पर हुक्म दर्ज किये जा चुके थे और ३ करोड़ २८ लाख रुपये अंतरिम मुआविजा दिया जा चुका था ।

अंतरिम ऐनुइटिज स्कूलों, औषधालयों, मंदिरों और मस्जिदों को जो इस तरह के रेलीजस ट्रस्ट्स थे उनको जो ऐनुइटीज मिलनी थी उनकी दरख्वास्तें ६ हजार २१५ आयी जिनमें से ३१ जनवरी तक २ हजार ५७८ पर हुक्म हो चुके थे ।१४,१८,५६९ रु० उनको दिये जा चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछली लड़ाई के जमाने से जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था तबसे कई कारणों से हमारा रेवेन्यू स्टाफ अर्थात कलेक्टर, एस० डी० ओ०, तहसीलदार वगैरह के लिए पहले से कायदा बना हुआ था कि वह लोग देहात में जाड़ों में जाया करें ताकि लोगों की तकलीफों को सुन सकें और मौके पर जैसे फैसला किया जा सकता है वैसे फैसला दे सकें इसके अलावा उनको हालात से वाकफियत भी हो जाय ताकि लोगों की और अच्छी सेवा कर सकें लेकिन उस वक्त से वह विन्टर का जो टूर था वह नहीं हो पाया या अगर हुआ तो सरसरी तरीके पर हुआ । क्योंकि उस वक्त वह गवर्नमेंट लड़ाई में लगी हुयी थी और उसके बाद हमारे यहां नई संग्रह योजना चली । फिर १९४७-४८ में कई कारणों से हमारे यहां अशांति रही, फिर एलेक्शन वगैरह का मामला रहा और फिर जमींदारी एबालिशन फंड वगैरह इकट्ठा करना इन सब कारणों से वह विन्टर सीजन टूर नहीं हो पाया । इस साल गवर्नमेंट ने आदेश जारी किये हैं कि हर कलेक्टर ७५ दिन और हर एस० डी० ओ०, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ६० दिन इस काम के लिए दें । बल्कि मैं जो दिन कह रहा हूं वह गलत कह रहा हूं उसमें रात भी शामिल है । क्योंकि रात में जब आफिसर तम्बू वगैरह डालकर रहते हैं तो गांव वालों को उनके पास जाने का मौका रहता है और अफसरों को भी गांवों में रहने का मौका मिलता है । फिर जब रात में रहते हैं तब दिन का रहना इनश्योर होता ही है ।

इस तरह से उनको ऐसा करने और बहुत से काम देखने के लिये हुक्म जारी हुए हैं मसलन जो गांवों को ठीक मिलाने की तजवीज है उसमें किस गांव से मेल खाता है । इसके अलावा मुकम्मिल पड़ताल है वह भी हुयी है । काग़जात की दुरुस्ती वगैरह और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटीज को बुलाकर उनको ट्रेनिंग देना हर तहसील में, ऐसा हुआ है । हर लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी को बुलाकर अफसरान ने ट्रेनिंग दी है । मौके पर हदबन्दी करना कि यह जमीन गांव के मुश्तरिक काम के लिये महफूज रहेगी और अगर उस जमीन का रकबा १० फीसदी से ज्यादा हो लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी को यह अधिकार रहेगा कि वह उसे लगान पर उठा सकें । फिर जहां जमीन दाब ली गयी है उसको उन लोगों से समझा बुझा कर दिला देना और अगर नहीं तो नोटिस जारी कर देना कायदा ११५ के मातहत । यह देखना कि भू-दान ऐक्ट पर ठीक अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है । उनके पास इस तरह से और मुकदमों के कामों के अलावा रेवेन्यू मुहकमें की उनके पास बहुत सी हिदायतें गयी हैं । हर लेखपाल के हलके में या एक गांव में किसी न किसी अफसर का जाना लाजमी था । अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट चाहती तो यह थी कि कोई गांव ही न बचे जिसमें तहसीलदार या एस ०डी ०ओ० न जाय लेकिन यह फिजिकली नामुमकिन था मसलन बस्ती जिले को हम ले लें । साढ़े ७६ सौ गांव बस्ती जिले में हैं और ५ तहसीलें हैं । इस तरह से साढ़े १५ सौ गांव एक तहसील में पड़ते हैं । अब अगर तहसीलदार जायगा तो नायब तहसीलदार नहीं जायगा क्यों वहां एक अफसर का रहना जरूरी है । तो औसतन ७ सौ या साढ़े ७ सौ गांव थे बस्ती जिले में जहां एक आफिसर को जाना था इसलिए यह किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं था । इसलिए हमने उनसे यह कहा कि पटवारी के हलके में या उस गांव में जिसमें ज्यादा झगड़े हों उसमें ही कोई न कोई आफिसर जाय । तो खुद मैंने कोशिश की बहुत से जिलों में जाने की और वहां अफसरों को बुला करके सबसे मुलाकात हुयी, सबसे पूछा कि क्या आप को कठिनाई है, क्या सुझाव आप दे सकते हैं जिससे गांव समाजें

[श्री चरण सिंह]

ठीक तरह से चल सकती हों, उन्होंने सुझाव दिये और कठिनाइयां अपनी बतलायीं, और अध्यक्ष महोदय, फौरन दौरे से वापस आ कर जो कठिनाई दूर हो सकती थी, उसको दूर करने की कोशिश की गयी। मैं यह जानता हूं कि हर गांव में आफिसर नहीं जा सके। लेकिन फिर भी उनके जाने से एक बड़ा भारी इत्मीनान गांव के लोगों को हुआ। हमारे गांव के जो किसान हैं, और लोग भी जो हैं, उनको कलेक्टर में और डिप्टी कलेक्टर में उसकी इम्पार्शेलिटी में और उसकी इंटेग्रिटी में बड़ा विश्वास है। जहां जहां वह गये हैं कुछ गांवों में, जैसा मैंने अर्ज किया, वहां एक कांफिडेंस पैदा हुआ है। उन लोगों को नये अधिकार मिले थे, नयी भूमि व्यवस्था कायम हुयी थी और जो अधिकार मिले थे वह मुस्तकिल तरीके से गांव के जीवन पर असर डाल रहे थे, गांवों में एक अजीब हलचल थी और जागृति थी। इसलिये हमने अपने अपने अफसरों से दरख्वास्त की कि जाओ और देहातियों में जा करके घुलो मिलो, यह उनके लिये और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के आजाद होने पर हमको गांव वालों की सेवा करने का मौका मिला है। तो वह लोग गये हैं। अभी वह सब रिपोर्टें आयेंगी और तब हम देखेंगे कि कितने कितने दिन गये हैं, लेकिन सब जगह मैंने यह उन पर जाहेननशीं करने की कोशिश की कि ६० के ६५ और ७५ हो जायेंगे तो चाहे गवर्नमेंट का खर्चा और बढ़ जाय उसकी हमको परवाह नहीं होगी, लेकिन किसी की रिपोर्ट में यह सुनने के लिये तैयार नहीं हूं कि ६० के बजाय ५९ दिन गये। वह लोग इस तरह से घूमे हैं।

इसके अलावा इस सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जब से यह मंत्रिमंडल अपना बना है मई सन् ५२ से तब से बराबर इस बात की कोशिश की गयी कि एफिशियेंसी बढ़े, कार्यक्षमता बढ़े और जो भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायतें हों उन पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय। इसके फलस्वरूप यह हुआ है कि २ तहसीलदार और ४ नायब तहसीलदार कम्पलसरी रिटायर हुये। ७ तहसीलदार और ३ नायब तहसीलदार को कहा गया कि या तो रिटायर हो जाओ वरना छुट्टी चले जाओ। तो दस यह हुये और इन्होंने कहा कि हम खुद अप्लीकेशन देकर रिटायर हो जायेंगे। इस प्रकार ६ का कम्पलसरी रिटायरमेंट हुआ और १० का वालंटरी रिटायरमेंट हुआ। इनके अलावा २ तहसीलदार और ३ नायब तहसीलदार डिसमिस हुये। इन सब के अलावा ५९ तहसीलदार और २० नायब तहसीलदार के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की कार्यवाही की गयी, रिवर्ट किये गये, इंक्रीमेंट रोका गया जो उनका प्रोबेशन पीरियड है उसमें तौसीह की गयी। कुछ तहसीलों के कानूनगो का कैरेक्टर रोल मंगा करके उनकी स्क्रूटिनी की गयी। पूरा काम अभी नहीं हुआ है। लेकिन २३ सुपरवाइजर कानूनगो से यह कहा गया पेंशन जाओ, यानी कम्पलसरी रिटायरमेंट उनका हुआ। बाकी के करेक्टर रोल्स पर विचार हो रहा है। अब तक कायदा यह था कि एक कानूनगो सारी उमर एक जिले में रह सकता था। इसके सिलसिले में यह हुक्म जारी हुआ कि कोई कानूनगो दस साल से ज्यादा एक जिले में नहीं रह सकेगा और किसी एक हल्के में तीन साल से ज्यादा नहीं रह सकेगा। अब तक इसकी कोई मियाद नहीं थी रायबरेली और दूसरी जगहों के दोस्तों ने मुझे बतलाया कि १६-१६ साल, १९-१९ साल एक ही जगह और गालिबन एक ही हल्के में यह लोग रहे हैं। इससे कोई आफिसर कितनी ही ईमानदारी से क्यों न काम करे लेकिन उसको अपने कर्तव्य का पालन करने में कठिनाई होती है। तो उस नियम को बदल दिया गया। और जो कलेक्टोरेट के दफ्तर हैं उनके सिलसिले में लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में काफी शिकायत रही है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य तो जानते भी होंगे लेकिन जो न जानते हों उनकी इत्तिला के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सहयोगी माननीय श्री द्वारका प्रसाद जी मौर्य हैं मैंने उनसे दरख्वास्त की और वह तकरीबन हर जिले में गये और दफ्तरों का मुआयना किया और इतने तफसील से मुआयना किया है कि उनकी जो रिपोर्ट आती है उससे मालूम होता है कि कितनी उन्होंने मेहनत की और जो भी सदस्य देखना चाहें अपने जिले के बारे में वे

देख सकते हैं। यहां तक मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी उनकी रिपोर्ट को मैं पूरी पढ़ भी नहीं पाया और उन सब पर फौरन कार्यवाही हुयी, सब पर जवाब तलब हुआ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा गया कि आप कार्यवाही करें और क्या कार्यवाही की है इसकी रिपोर्ट करें और अध्यक्ष महोदय, जिन कलेक्टरियों की ज्यादा शिकायतें हुयीं वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यहां पर हमने पर्सनली बुलाया और कहा कि क्यों नकलें वक्त पर नहीं मिलतीं, क्यों मिसलें वक्त पर बरामद नहीं होतीं। मौर्य जी ने उनका इतना अध्ययन किया, बहुत तफसील में अध्ययन किया है, मुझे तो मोटी सी बात मालूम है कि हर जगह के बस्ता रखने वाले, हेड कापिस्ट और और बहुत सा अमला होता है, उनके कितने कर्त्तव्य हैं, उनके कितने नियम हैं, उनकी तफसील में वह गये हैं और कोशिश की है कि हमारे कलेक्टोरेट के दफ्तरों की जितनी शिकायतें हैं वे जिस हद तक मुमकिन हो कम की जायं।

इसके अलावा कोर्ट आफ वार्ड्स पहले से एक महकमा कायम है। जैसा कि सब दोस्तों को मालूम है, अब जमींदारी नहीं रही लिहाजा इस महकमे की भी जरूरत नहीं रही और इस साल वह वाइंड अप कर दिया गया और अब कोई उसके पास काम करने को नहीं है, शायद एक आध कोई इस्टेट बची हो।

अन्त में मैंने जो संकेत पहले भी किया मैं फिर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आज हमारे देहात की स्थिति है आज इतने वास्ट ऐग्रेरियन फ्रन्ट पर, सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक शांति है। हमसे कहा करते थे जमींदार जब जमींदारी खत्म हो रही थी कि कम्यूनिज्म को आप बुलावा दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से जमींदारी खत्म हुयी और जिस तरह से किसानों को बात समझाने की कोशिश की गयी और किसानों की जिस तरह से बात सुनने की कोशिश की गयी और जिस तरह से मेरे माननीय मित्र जो यहां बैठे हुए हैं उनमें से बहुतों ने अपने कर्त्तव्य का पालन करने की कोशिश की आज उसका नतीजा यह है कि आज पूर्णशांति है, उनको इत्मिनान है और ऐग्रेरियन फ्रंट पर जब शांति होती है तभी निर्माण का कार्य और आगे इत्मिनान से किया जा सकता है। आज हम सब को बहुत से विकास के काम करने हैं। तो उस गरीबी को दूर करने के लिए जो निर्माण का कार्य करना है, यह गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट उस काम को इत्मिनान से कर सकती है जब कि बुनियादी प्रश्न हल हो चुका है, और मुझे यह कहने में खुशी है कि जिस तरह से यह प्रश्न हल हुआ और जिस तरह से हमारे देहात में शांति है तो जो ऐंटी सोशल और ऐंटी नेशनल फोर्सेज हैं उनके करने के लिए कोई काम नहीं रह गया है, वे दूसरे मौके ढूंढें। वे तसलीम करें या न करें, उनके घर के अन्दर जब विचार होता है वहां वे तसलीम करते हैं कि किसान मोर्चा अब खत्म है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कर्त्तव्य के पालन करने में चूकूंगा, अगर जिस तरह से कि हाकिम परगना और दूसरे लोगों ने काम किया है, उसको एकनोलिज न करूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गल्तियां हुयी होंगी और जैसा कि मैंने कहा कि होती ही हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हम सब लोगों के लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह से हमारे राज्य कर्मचारियों ने बड़े परिश्रम से काम किया। मुझे ऐसा भी मालूम हुआ कि एक एक आदमी घर से निकलता है तो वह २३ दिन के बाद घर वापस आया है और लोग १५-१५ दिन के बाद घर वापस आये हैं। इस तरह से लोगों ने काम किया है। मैं जो बात कह रहा हूं उससे उपाध्याय जी को या किसी और मित्र को कुछ और कहना हो, लेकिन जो बात मैंने कही है, उससे इंकार नहीं हो सकता है। जिन लोगों के साथ मुझे सेक्रेटेरियट में काम करने का मौका मिला है। आज उनके काम करने का वक्त ७-८ घंटे नार्मल हो गया है वह किसी रोज ७ बजे घर चले जाते होंगे। यह उनके लिये एक साधारण सी बात है। उनके लिए आज मैं आपके जरिये कृतज्ञता प्रकाशित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन लोगों ने जो यह मेहनत की है वह रायगां नहीं जायगी और उनको आत्मसंतुष्टि होगी और इससे बेहतर किसी को मेहनत का और कोई ईनाम नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों अनुदानों को सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब श्री गेंदासिंह जी २० मिनट बोलेंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्तुत दोनों अनुदानों में एक ओर २ संख्या में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

सब से पहले पहले अनुदान के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब पिछले वर्ष में आमदनी कम होगी तो फिर वसूल करने में खर्चा क्यों बढ़ रहा है। यह बात सही है कि पिछले वर्ष में १२,००० लोगों से कृषि आय कर वसूल करना था लेकिन अब २४,००० लोगों से वसूल करना होगा लेकिन आमदनी न जाने क्यों कम दिखाई जाती है ५,३३,००,००० रुपये की आमदनी सेल्स टैक्स विभाग को होगी। और उसकी वसूली में कुल २३,४८,००० रुपया खर्च कर रहे हैं। ५,३३,००,००० रुपये की वसूली की बात कर रहे हैं और ३,२२,००० रुपये का मेरे अनुमान में ज्यादा खर्च है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस कृषि आय कर की उगाही में ज्यादती हो रही है। इसलिये इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिये। ऐसे लोगों को भी कृषिकर की उगाही के सम्बन्ध में नोटिस मिलता है और उन्हें अदालत में आना पड़ता है, जिनको कि नहीं देना चाहिये। ऐसे नोटिसों की बात को वह ध्यान में रखें और सदन को समझने की मेहरबानी करें। इससे हम लोगों को आँखें खुलेंगी कि कितने लोगों को इस तरह का नोटिस दिया गया पिछले वर्ष। कृषि कर की उगाही के सम्बन्ध में या यह करने में कि किस तरह से लगाया जाय और मान लिया जाय, उसमें भी मैं समझता हूं कि जो लोग डिजर्व करते हैं वह उसमें छूट जाते हैं और जिन लोगों से नहीं लिया जाना चाहिये उन लोगों को तंग किया जाता है।

अब मैं मालगुजारी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मालगुजारी विभाग जो है वह हमारे प्रदेश का सब से बड़ा विभाग कहा जा सकता है। अगर पुलिस और मालगुजारी विभाग दोनों को एक जगह कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि ये दोनों मिलकर के सारे प्रदेश का जो शासन है उसके चौथाई आना हिस्से में आते हैं। मालगुजारी विभाग का खास तौर से तीन कामों से सम्बन्ध है। एक तो यह कि भूमि व्यवस्था सम्बन्धी जो कानून लेजिस्लेचर से बने उनको अमल में लावें। दूसरे यह कि वह स्टैटिक्स इकट्ठा करें और तीसरे यह कि वह मालगुजारी वसूल करें। इन तीनों कामों में माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनमें कुछ जगहों पर जरूर मैं उनसे इत्तिफाक करता हूं लेकिन यह कहने कि उनसे मुझे चाहूंगा कि एक शब्द अंग्रेजी का है सैल्फ कम्पेलेंसी तो, उससे वह बहुत नफर कर रहे हैं माननीय राजस्व मंत्री जी। मैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं समझता हूं क्योंकि उस बेंच से कभी किसी विभाग के सम्बन्ध में यह स्वीकार नहीं किया गया कि हमारा विभाग कुछ गड़बड़ी भी करता था। इसलिये माननीय राजस्व मंत्री जी भी किस तरह से इसे स्वीकार कर सकते हैं। यह तो उनकी बुद्धि की कमी का परिचय देती। इसलिये वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन यह मैं उनके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि क्या यह सूबे भर में आठ दस तरह के जो कानून उन्होंने जारी कर रखे हैं, यह उनकी बुद्धिमत्ता का या उनके विभाग की बुद्धिमत्ता का परिचय है। मैं समझता हूं कि उससे उलटी चीज है। मैं कहता हूं कि रामपुर स्टेट में, बनारस में कसिवार राजा में, कुमायूं में, जौनसार बावर में, मिर्जापुर में दुद्धी में, टेहरी में वह तरह तरह के कानून उन्होंने जारी कर रखे हैं और दो तीन वर्ष के जमाने में जमींदारी को विनाश कानून लागू होने के बाद अभी भी वक्त नहीं आया कि वहाँ पर भी इस कानून को लागू किया जा सके। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वह कुछ उपनिवेश रखना चाहते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। इसलिये एक जगह तो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून लागू हो और दूसरी जगहों पर न हो। कुछ जगह ऐसी भी रहे जहाँ एक दम छूट कर खेला जाय जैसे तराई भाबर छूट कर के खेला जा सकता है, बनारस में भी जमीन दी जा सकती है। हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामने एक फेहरिस्त आयी है जिनके नाम पढ़ना मुझे भी अध्यक्ष महोदय कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। तीन तीन और दो हजार एकड़ वाले कई आदमी हैं जिनको कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अता फरमाया है।

श्री चरण सिंह—बिलकुल ग़लत है कि मैंने किसी को दो दो हजार एकड़ जमीन दी हो। मैंने किसी को दो हज़ार एकड़ ज़मीन नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्तुत राजस्व मंत्री की नहीं पूर्व के राजस्व मंत्री के लिए कह रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—यही मतलब है। लेकिन हम तो वहां बैठे नहीं थे। मैं या राजनारायण जी तो कभी वहाँ थे नहीं। वर्तमान राजस्व मंत्री ने दिया या उनके पहले वाले राजस्व मंत्री ने दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी अगर वह उस कानून को उठाने की बात नहीं करते हैं तो हम तो सन्देह करते हैं। इसलिये कि सन्देह की गुंजाइश है। आप सफाई उसकी दें। जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो कुछ कहा उस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में जो भावना थी, जमींदारी विनाश कानून में जो बातें कही गयी हैं, उन बातों को तो ताक में रख दिया और दूसरी बातें ऐसी की हैं, जिनसे खून खराबा तक की बातें उठ सकती हैं। जब कि किसी आदमी के हक को ज्यादा नुक्सान पहुंचे तो वह खूनखराबी की बातें उठ सकती हैं। जमींदारों को जमींदारी से तो समाप्त कर दिया। जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि हम इसलिये जमींदारी खत्म नहीं कर रहे हैं कि हमको जमींदारों से बदला लेना है बल्कि इस लिये कि अगर हम नहीं खत्म करेंगे तो जमींदारों को किसान स्वतः खत्म कर देंगे। यह उसके कुछ शब्द हैं। तो इसलिये किया गया कि किसानों को राहत पहुंचे और किसानों को राहत पहुंचाने में कहाँ तक कामयाब हुई है वह कभी कभी राजस्व मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं लेकिन आज उसका मौक़ा नहीं है, कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इतनी राहत जरूर हुई है कि ७ करोड़ रुपया जमींदार सरकार को देते थे। अब १९ करोड़ रुपये की आमदनी सरकार को बढ़ गई है। गाँवों में जिन संस्थाओं को जमींदार किसानों से लूटकर के सहायता करते थे और जो संस्थायें बिलकुल सब उन्हीं पर निर्भर थीं, जैसे किसी शिक्षा संस्था को वह चलाते थे या किसी और संस्था को वह चलाते थे, वह आज मर रही है। (बहुत शोर) मैं यह जानता हूं कि ये जो आवाजें आ रही हैं यह ऐन्यूटी की हैं। ऐन्युटी की बात माननीय राजस्व मंत्री जी कहेंगे लेकिन ऐन्युटी की बात तो सिर्फ उन संस्थाओं के लिए है जिनके लिये कि ट्रस्ट मुकर्रर हो गये थे या उन संस्थाओं के लिए है जिनका कोई दस्तावेज़ था। लेकिन ऐसी भी संस्थायें हैं जिनका कोई ट्रस्ट या दस्तावेज नहीं है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जमींदारी विनाश होने के बाद गाँव में जो एक जिन्दगी आने की आशा थी उस तरह की जिन्दगी नहीं आ सकी। मैं यह भी कह रहा था कि जमींदार चाहे जितने बुरे रहे हों लेकिन जमींदार कुछ अच्छे काम भी करते थे। सरकार उनके बुरे होने पर भी उनको कुछ रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दे रही है उनके परिवारों को रिहैबिलिटेट करने के लिये। तो मैं यह कह रहा था कि उन बुरे लोगों की आमदनी से जनता की जो भलाई के काम होते थे क्या सरकार ने उनके बारे में कोई जाँच की। कितने स्कूल, धर्मशालायें और कितने अनाथालय वे चलाते थे और किसी दस्तावेज के न होते हुये भी साल में अपनी कमाई से उनको चलाने के लिये रुपया दे देते थे। तो क्या अब सरकार को उनको चलाने की जिम्मेदारी नहीं हो जाती।

[श्री गेंदा सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को थोड़ा सा बदकिस्मत समझता हूं कि इस समय राजस्व मन्त्री जी नहीं हैं, हालांकि मैं मौर्य जी को ही पर्याप्त समझता हूं लेकिन उनका भी मौजूद रहना आवश्यक था। माननीय राजस्व मंत्री जी का यह कहना है कि कानून में उन्होंने बड़ा भारी परिवर्तन किया है और ऐसा परिवर्तन किया है कि सारे सूबे को उन्होंने स्वर्ग बना कर छोड़ दिया। यह बात जरूर है कि कुछ कानून का जंगल हम देखते हैं। अगर किसी एक मामले को समझना पड़े तो एक दर्जन किताबें देखने की जरूरत पड़ेगी जो हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। इस कानून के जंगल के कुछ ही शेर हैं जैसे एल० आर०, एम० एम० आर० और आर० एस० और कोई उस कानून के जंगल का उपयोग करना चाहे तो नहीं कर सकता।

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा बतलाना चाहता हूं कि ग्राम समाज मैनुअल से सब बातें ज्यादा स्पष्ट हो गई हैं।

श्री गेंदा सिंह---मैं उसी पर आ रहा था। एक गाँव समाज मैनुअल नाम की पुस्तक इन सब चीजों के समझने के लिये हमारे सामने है लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह कानून का जंगल इतना बड़ा है कि उसको जरा छोटा करने की जरूरत है। गाँव के लोग जिनको कहा जाता है कि वे पढ़े लिखे कम होते हैं वे तो इन किताबों को समझ ही क्या सकते हैं, मैं तो समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मामूली तौर पर सब-डिवीजन में जो काम करते हैं वकील लोग उनकी भी समझ में यह कानून की १०, ११ किताबें नहीं आ सकती। लेकिन हमारे माननीय राजस्व मंत्री जो यह समझते हैं कि जो कुछ काम उन्होंने किया है उससे ऐसा परिणाम हुआ है जिससे यह सारा सूबा उनकी जय जयकार कर रहा है। पटवारियों को निकाल कर उन्होंने यह समझ लिया है कि जो लेखपाल उन्होंने मुकर्रर किये हैं ये दूध के धोये हुये हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर यही भावना रही तो किसानों के लिये बड़ी मुसीबत की बात हो जायगी। पटवारियों की जगह जो लेखपाल आ गये हैं उनमें भी कुछ ऐसी बात है जो यह समझते हैं कि हम पटवारियों की जगह पर हैं जहाँ रह कर हमें कुछ पैसा जरूर प्राप्त करना है। दो तीन दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि गोरखपुर में लेखपालों का हाथ काट लिया। बी० पी० गंज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सरकार एंटी सोशल कहती है जिन पर राजस्व मंत्री का कोई जोर नहीं है। किन लोगों ने काटा वह भगवान जाने। किन बदमाशों ने हाथ काट लिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि जरा इन लेखपालों से होशियार रहिये।

इसी तरह से चकबन्दी की योजना कार्यान्वित की जा रही है। उससे हमारा देश स्वर्ग बन जायगा। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों के लिये स्वर्ग हो सकता है। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी यह कहना चाहता हूं कि इस चकबन्दी करने की कल्पना और जमींदारी विनाश के बाद जो कल्पना हुई है अगर उसी तरह से स्वर्ग बनाने की कल्पना होगी तो यह कल्पना बन कर ही रह जायगी। मैं समझता हूं कि इस चकबन्दी की असल भूख जो है वह जमीन का बटवारा है। लेकिन कुछ लोगों की यह भूख है कि हमारी जमीन को इकट्ठा किया जाय तो यह जमीन इकट्ठा हो जाय लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग भूमिहीन हैं और जो लोग आमतौर जमीन पर गुजारा करते हैं, उन भूमिहीन लोगों की छोटी छोटी जमीन के लिये एक हिस्सा है और उनको चकबन्दी के लिये कोई प्रेरणा नहीं है। लेकिन अगर चकबन्दी ऐसी चीज है कि जिससे काफी लोगों का लाभ हो सके तो वह काम शुरू किया जाना चाहिये। ४७ लाख रुपये की गुंजाइश इस बजट में की गयी है और मैं उसकी आलोचना करने के लिये तैयार नहीं हूं। वह चकबन्दी के काम की चीज है और वह सामने आने वाली चीज है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस तरफ अपना ध्यान दें। इस चकबन्दी के काम में लेखपालों ने जो गड़बड़ी की है और जमींदारी विनाश के बाद में लेखपालों की नियुक्ति हुई है उनकी नियुक्ति के बाद जो एतराज हो रहे हैं वह चकबन्दी के सम्बन्ध में न हों।

मैं दो एक बात और कहना चाहता हूं। १० गुना लगान की वसूली के लिए सरकार ने बड़ा जोर दिया था और क़रीब ४१ लाख किसानों ने अपना १० गुना जमा किया था। उसमें जो क़रीब ३६ लाख लोगों को अभी तक सनद भूमिधरी की मिली है और ५ लाख आदमियों को अभी तक नहीं मिली है। हमारा ख्याल यह है कि उस ३४ करोड़ रुपये में कुछ करोड़ रुपया उनका भी होगा। लेकिन बराबर इस तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाने के बाद भी सरकार ने अभी तक उन लोगों को रुपया वापस नहीं किया है और न उनको भूमिधरी की सनद ही दी है और न कोई उनको सूद ही दिया है। अगर माल विभाग इतना कमठ है तो उसको इन किसानों का रुपया देना चाहिये। सरकार अपना रुपया वसूल करने में तो तेजी दिखाती है और अगर उसका बाक़ी रह जाता है तो उसको भी तेजी से वसूल करती है लेकिन वापस करने में तेजी नहीं दिखाती है तो अगर वह तेजी से इस रकम को वापस करे तो मैं उसको बधाई दूंगा। मैं मुआविजे के बारेमें कुछ कहना चाहता हूं। मुआविजा जमींदारों को आपको दे देना है और मेरा यह ख्याल है कि इसकी जानकारी माल मंत्री जी को होगी कि मुआविजे के लिए जमींदारों को काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। छोटी छोटी रक़म के लिए काफी परेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि उनको रिश्वत भी देना पड़ता है। मैं देखता हूं कि हमारे राजस्व मंत्री जी क्यों नहीं इस बात को स्वीकार कर लेते कि ऐसे लोगों को रुपया डाकखाने और मनीआर्डर के जरिये से उनका मुआविजा भेज दिया जाय। जब बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है तो राजस्व मंत्री जी इसको मानने से इन्कार करते हैं।

आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार का यह भी काम है कि वह आंकड़े इकट्ठा करे और किसी तरह से खेतीबाड़ी का हाल जाने। आवश्यक बातें इकट्ठा कर के जो हमारी योजना बने उस योजना के साथ उस काम में आंकड़े का उपयोग करे। हमारे राजस्व मंत्री जी का जो विभाग है वह राजस्व मंत्री जी को गलत रिपोर्ट देता है और जब सरकार से इस बात की शिकायत की जाती है तो सरकार उसको सुनने के लिये तैयार नहीं है और इसका परिणाम यह हो जाता है कि ग़लत रिपोर्टों के आधार पर योजनाएं बनती हैं, हम अंधेरे में रहते हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात के लिये तैयार हैं कि देवरिया और गोरखपुर से जो बाढ़ संबंधी रिपोर्ट आयी है उसकी जाँच कराएं कि वह सही है। मैं उनको इसके लिये चेलेंज करता हूं कि वह ग़लत है। सरकार के सामने पहले भी इस बात को रक्खा गया लेकिन सरकार ने आनाकानी की। देवरिया से ४८७ गांवों की रिपोर्ट आयी है जबकि वहाँ २,००० गाँवों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। मैं कहता हूं कि उस ज़िला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर कितने आदमी विश्वास करते हैं लेकिन हमारी सरकार उस पर विश्वास करती है और जब कि हजारों आदमी और पशु मर जाने पर भी सरकार के कानों तक पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी-लिये मैं कहता हूं कि हर चीज के आंकड़े ग़लत आते हैं।

मालगुजारी वसूली की बाबत भी मुझे कहना है। क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को मान जायेंगे कि वे इस बात की जाँच करायेंगे कि किन किन परगनों और तहसीलों में कोआर्सिव मेजर इस्तेमाल हुए हैं। इसके बारे में और जो जुर्माना वसूल होता है उसके बारे में कागजात में कहीं लिखा नहीं होता। मैं इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि कोआर्सिव मेजर्स के जो आँकड़े हैं वे ग़लत हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस कानून के जंगल को कुछ कम करने की कोशिश करे। यह कानून का जंगल खत्म हो कर सीधा सीधा कानून हो। जैसे कि उन्होंने मेहरबानी करके गाँव समाज मैन्युअल बनाई वैसे ही मेहरबानी करके रूल्स बनाने की कृपा करें।

आखिर में मैं वसूली की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। २८२ गांव सभाओं की वसूली का काम सुपुर्द किया गया। उनमें ऐसी गांव सभायें भी हैं जिनमें एक ही घंटे में सारी की सारी मालगुजारी वसूल हो गयी। तो फिर मैं समझता हूं कि गाँव सभाओं को वसूली का काम देने

[श्री गेंदासिंह]

में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। तजुर्बा यह साबित करता है कि गाँव सभायें वसूली करने के लिए ज्यादा अच्छा साबित हुई है। गाँव सभा के २८२ गांवों में अलीगढ़ और २-१ और जगहें भी हैं बड़ी आसानी से वसूली हुई। और अगर वहाँ कोआर्सिव मेजर्स अख्तियार करने की जरूरत नहीं पड़ी तो क्या वजह है कि इन गाँव सभाओं को वसूली का काम नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि इससे बेकारी को हल किया जाता है। १९ हजार आदमी इसके बन्द करने से बेकार हो जायेंगे। लेकिन माल मंत्री जी से यह बात पहले भी कही गयी थी और उस समय भी मालगुजारी विभाग ने इसको नहीं सुना।

यह कहा जाता है कि सरकार ने जमींदारी अबोलिशन कानून बना कर एक बड़ा भारी काम किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जमींदारी अबालिशन का कानून बनाया गया और उसके बनाने की मंशा थी, उसकी हत्या हो कर दी गयी है। हम नहीं सोचते थे कि जमींदारी के विनाश होने के बाद भी किसानों की वही मालगुजारी रह जायगी, जो लोग जमीनों के मालिक पहले से थे वही मालिक बने रहेंगे। २५-२५ और ५०-५० लाख एकड़ जमीनें जिनके पास थीं वह उन्हीं के पास अभी तक हैं। दूसरे लोग आज भी भूखों मर रहे हैं। उनको भूखों मरते देख कर भी सरकार ने आज तक कोई प्रबन्ध नहीं किया है। एग्रेरियन रिपोर्ट तथा दूसरी अन्य रिपोर्टों में यह बताया गया कि जमीन का बटवारा होना चाहिये और जमीन भूमिहीनों को दी जानी चाहिये। लेकिन जमीनों के बटवारे के सवाल को माननीय राजस्व मंत्री जी सुनने को भी तैयार नहीं हैं। उनके नाम से ही उनको खतरा हो जाता है, उनके नाम से ही उनको चिढ़ लगती है। लेकिन अगर जमीन का बटवारा नहीं होता है तो कौन सी ताकत है जो बेकारी और बेरोजगारी को रोक सकती है और उसके सवाल को हल कर सकती है। अतः आज यह जमीन का बटवारा सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर यह प्रश्न नहीं हल किया गया और उसके द्वारा बेरोजगारी को हल नहीं किया जाता तो हम लोग खतरे में पड़ जायेंगे।

अब शहरों की जमींदारी को खत्म करने के बारे में दो शब्द कह कर खत्म करूंगा। १९५० से आज ४ साल हो गये वह विचाराधीन है। इन ५ वर्षों में हमारी सरकार को फुर्सत नहीं हुई कि वे जमींदारी जो शहरों की है उसको खत्म करें। इतनी देर होने के बावजूद भी क्या वजह है कि वह कानून अभी तक पास नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि क्या इसमें कोई मंत्री जी का स्वार्थ तो नहीं है। मुझे क्षमा करेंगे माननीय राजस्व मंत्री जी मुझे यह कहने के लिये कि आखिर जमींदारी अबोलीशन कानून (शहरों के लिये) क्यों पास नहीं किया गया।

श्री चरणसिंह—नाराजी केवल इतनी होगी कि जवाब जो दिया जायगा वह जरा कड़वा माननीय सदस्य को लगेगा।

श्री गेंदासिंह—मैं तो कड़वा सुनने और कड़वा भोगने के लिये भी तैयार हूं और भोगता ही रहता हूं।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि हम कभी भी माननीय राजस्व मंत्री जी से यह उम्मीद नहीं करते थे कि वे दौरे पर जायं, १२-१२ आदमी वहां मर जायं, जल कर मर जायं और वहां से माननीय मंत्री जी बैरंग लौट कर आयें। सिर्फ एक मीटिंग करके माननीय चरण सिंह चले आये। खड्डे में जो आग लगी उसमें १२ आदमी मर गये और एक हजार घर जल गये लेकिन माननीय मंत्री जी मीटिंग करके वापस आ गये। मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि माननीय चरण सिंह जी ने इस तरह का काम कैसे किया। मैं समझता हूं कि इस तरह के काम को करके वे एक दूसरा नमूना हमारे सामने पेश करते हैं जिससे मैं समझता हूं कि सारे अधिकारियों को बल मिलेगा उपेक्षा करने का और फैक्ट्स को छिपाने का। मैं दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम इस प्रकार की बातें वे अपनी आदत में न डालें, नहीं तो फिर आगे बहुत खतरा है हमारे लिये।

श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त अनुगृहीत हूं और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि आप ने मुझे कुछ अवकाश देने की कृपा की इस भवन के समक्ष निवेदन करने को। श्रीमन्, यह अनुदान जो माननीय मंत्री महोदय ने इस भवन के समक्ष विचार और स्वीकृति के लिये उपस्थित किया है, बड़े महत्व का है क्योंकि इस अनुदान का सम्बन्ध हमारे प्रदेश की ९० फीसदी जनता से है। इसके पहले कि मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ विवेचनात्मक विश्लेषण उपस्थित करूं, मैं आवश्यक समझता हूं कि कुछ नम्र निवेदन अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कर दूं। श्रीमन्, हम लोग यहां पर सत्य के शोधन के लिये बैठे हैं। सत्य का परिमार्जन और सत्य का अन्वेषण निरर्थक बातों से नहीं होता है बल्कि सत्यता के लिये ईमानदारी से क़दम बढ़ाने से होता है। आज विशेष कर श्री गेंदा सिंह जी के भाषण को सुन कर मुझे बड़ा दुःख है और बड़ी वेदना हुई है क्योंकि मैं श्री गेंदा सिंह को विरोधी पक्ष के समस्त सदस्यों में सबसे अधिक परिमार्जित और परिपक्व विचारों का समझता था। यही कारण है कि मुझे उनके भाषण से पीड़ा हुई है। मैं स्वप्न में भी यह विश्वास नहीं करता था कि उनके मुख से ऐसा भाषण सुनने को मिलेगा।

विरोधी पक्ष का जो मौलिक सिद्धान्त है वह यह है कि सरकारी पक्ष का जो काम हो उसे खुले शब्दों में इस भवन के समक्ष तथा जनता के समक्ष उपस्थित करे। उसका एक स्पष्ट रूप जनता के सामने, भवन के सामने प्रकाशित करे। मैं तो समझता था कि इधर दो वर्षों में विधान सभा के अनुभव के पश्चात् विरोधी दल के माननीय सदस्यों का स्तर ऊंचा हुआ होगा लेकिन वही पुरानी बात देख कर मुझे आश्चर्य होता है। जो भाषण अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुआ वह तारतम्य से बहुत दूर था, असंगत था, अपरिमार्जित था, अपरिपक्व था, अतिरंजित था। उसके लिये कितने भी विशेषण प्रयोग करें कम ही दीखते हैं। मुझे इस भाषण को सुन कर अमेरिका पिरिआडिकल में निकली एक बात याद आ गयी। सन १९४४ में अमेरिका में सेंसस हो रहा था। सेंसस अधिकारी न्यूयार्क में एक अमेरिकन परिवार के पास पहुंचा। उस परिवार का स्वामी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, केवल महिला थी। उस सेंसस अधिकारी ने उस महिला से पूछा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। उस महिला ने उत्तर दिया कि मेरे परिवार में मैं ही हूं, मेरे पति हैं और मेरा बच्चा है। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि आपके परिवार के सदस्यों की राजनैतिक विचारधारा क्या है? महिला ने उत्तर दिया कि मेरे पति रिपब्लिकन हैं, मैं डेमोक्रेट हूं और मेरा कुत्ता सोशलिस्ट है। यह सुन कर उसने कहा कि आप यह क्या अनर्गल बात कहती हैं? उस महिला ने उत्तर दिया कि मैं ठीक कह रही हूं क्योंकि दिन भर वह काहिलों सा बैठा रहता है और भूंकता बहुत है।

इस मौक़े पर मुझे एक क़िस्सा और भी याद आता है कि किसी ने रूजवेल्ट से पूछा कि जनतांत्रिक देश का वरदान क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि जनतांत्रिक देश का वरदान स्वस्थ विरोधी दल है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल का जो स्तर है वह ऊंचा हो। जो सत्यता के परिमार्जन में और उसके संशोधन में हमें सहायता दे।

हम चाहते हैं कि हमारा विरोधी दल अभिशाप के स्थान पर इस प्रदेश की जनतान्त्रिक-पद्धति के लिये वरदान बन जाय।

अब इन शब्दों के साथ मैं कुछ निवेदन अनुदान के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। किसी भी जनतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक और अपेक्षित होता है कि वह शीघ्रातिशीघ्र वहां की भूमि व्यवस्था की समस्या को हल करे और जितनी जल्दी वहां की भूमि सम्बन्धी समस्या हल होती है उतनी ही जल्दी देश का विकास होता है। स्वतंत्रता के बाद और खास तौर से यह जो मंत्रिमण्डल बना है उसके बाद इस ओर हमारे इस प्रदेश ने जो प्रगति की है वह स्तुत्य है और इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी के आने के बाद से जो प्रगति

[श्री अवधेश चन्द्र पाँडेय]

इस डिपार्टमेंट में हुई है, इतना बड़ा प्रयास हुआ है, जमींदारी उन्मूलन बिल से नये समाज की रचना, नई व्यवस्था का क्रियात्मक सृजन हुआ है वह क्या ज्वलन्त प्रमाण नहीं है इस विभाग की प्रगति का ? कितना क्रांतिकारी क़दम उठाया गया है, जमींदारी खत्म हुई, उसके बाद जमींदारों को उचित मुआविजा भी दिया जा रहा है और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि करीब साढ़े तीन करोड़ रुपया अंतरिम प्रतिकर का लोगों को प्राप्त हो चुका है, कम्पेंसेशन रोल्स भी तैयार हो चुके हैं और जहां तक अन्दाज है बान्ड्स भी अप्रैल के महीने में मिल जायेंगे। मैं एक भूतपूर्व जमींदार होने के नाते तथा एक भूमिधर होने के नाते अनुभव करता हूं कि जो काम माल विभाग में हो रहा है, जिस तेजी से हो रहा है उसके लिये मैं यह कहने को तैयार हूं कि हमारे प्रदेश में जितना काम माल विभाग में हो रहा है उतना सूबे के और किसी भी विभाग में नहीं हो सका है। माननीय मन्त्री जी की योग्यता, उनकी कर्मनिष्ठा और उनकी विचारशक्ति जो इस सम्बन्ध में है वह स्तुत्य है और मैं समझता हूं कि उनके हाथों में माल विभाग का कार्य अत्यन्त शीघ्रता से उत्तरोत्तर विकास के साथ सम्पूर्ण होगा।

इसके पूर्व कि मैं अपने निवेदन को समाप्त करूं मैं कुछ मिर्जापुर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मिर्जापुर पहाड़ी इलाका है, वहां पर लगभग तीन चौथाई जमीन पर्वतीय है। एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स में आज बुंदेलखंड में ६० एकड़ की छूट दी जाती है। ६० एकड़ से नीचे पर एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स नहीं लगता लेकिन मिर्जापुर में वह यूनीफार्मिटी नहीं बरती गयी है। जो परिस्थितियां हमारे यहां पर हैं वही बुंदेलखंड में हैं। इसलिये यह उचित नहीं मालूम होता कि एक जगह इन्हीं परिस्थितियों के लिये कुछ लोगों को छूट मिले और दूसरी जगह उससे ज्यादा दूसरे लोगों पर लगे। एक जगह ६० एकड़ के ऊपर टैक्स लगे और दूसरी जगह ३० एकड़ से ऊपर। यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती, मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था और जहां तक मुझे मालूम है कि उसमें काफी प्रगति हुई है। मैं चाहूंगा कि जो छूट बुंदेलखंड में है वही मिर्जापुर में भी लागू किया जाय और ६० एकड़ से ऊपर वालों पर ही इन्कम टैक्स भविष्य में लगाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनके सबल हाथों में हमारे इस प्रदेश की भूमि व्यवस्था उत्तरोत्तर अच्छी होती जायगी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, जहां हमारे साथी ने कृषि विभाग की प्रशंसा की वहां मैं समझता हूं कि जो विभाग की त्रुटियां हैं, जिनके कारण हमारे किसान भाइयों को कष्ट हो रहा है या उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या आयकर के कारण कुछ असुविधायें हमारे काश्तकारों के ऊपर हैं वह मैं सरकार के सामने रखूंगा। मैं समझता हूं कि आय कर लगाना देश के हित में है, ठीक है लेकिन आज जो मैं अपने जिले में देख रहा हूं कि आय कर की वसूली और तशखीस उसके एस्टीमेट करने की जो विधि है वह हमारे प्रदेश में बड़ी संतोषजनक है। मैं तो यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि अगर आज एक पढ़ा लिखा आदमी जिले में जाय और असेसिंग आफिसर या एग्रीकल्चरल आफिसर का कार्यालय किधर है यह मालूम करना चाहे तो यह बड़ा कठिन हो जायगा। हम जानते हैं कि हमारे एस० डी० ओज असेसिंग आफिसर्स हैं लेकिन आज जो असेसिंग होती है उसकी विधि जो है वह बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण और असंतोषजनक है। मैं तो कचेहरियों में १३, १४ सालों से काम कर रहा हूं लेकिन यह टैक्स तो हाल ही में लगा है लेकिन फिर भी इन तीन चार सालों में मैंने एस० डी० ओज० को स्वयं असेसमेंट करते हुये नहीं देखा है। वह असेसमेंट किस तरह से होता है उसके सम्बन्ध में मैं भी दो चार शब्द कह देना चाहता हूं। आज हमारे असेसी जो कचेहरियों में जाते हैं वह सब से पहले नायब तहसीलदार या कानूनगो या और सब से बड़ा आदमी जो होता है जिसे क्लर्क कहते हैं उनके पास जाते हैं। जो कुछ वह कर देता है, उसी की रिपोर्ट पूरी की पूरी एस० डी० ओ० जो कि एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स आफिसर होता है उसके पास चली

जाती है और वह आर्डर का रूप बन जाती है। मैं तो समझता हूं कि नीचे से जो कुछ लिख दिया जाता है अधिकांश वही होता है। वास्तव में जो जुडिशल प्रोसीडिंग्ज एग्रीकल्चरल टैक्स आफिसर के सामने होनी चाहिये वह बिल्कुल गायब हैं। इसी के कारण केवल सुनने में ही नहीं आया है बल्कि मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि ऐसे प्रमाण हम लोगों के सामने आये हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि यह काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है और एग्रीकल्चरल आफिसर के बीच में जो कर्मचारी हैं, जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है वह अपने को भ्रष्टाचार में समा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख वह असुविधायें रखना चाहता हूं जो कि आज हमारे किसानों के सामने हैं। हम देखते हैं कि इस एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स के मातहत जो टैक्स देते हैं जो कि हमारे किसान एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको नान-एग्रीकल्चरिस्ट जिन पर कि इनकम टैक्स लगाया जाता है उसकी अपेक्षा कम सुविधाएं हैं। हमारे किसान भाइयों पर टैक्स की लिमिट तीन हजार के ऊपर की है जब कि इनकमटैक्स के अन्तर्गत जो टैक्सेबिल एमाउन्ट है उसकी लिमिट ४ हजार दो सौ के ऊपर है। हमारे किसान भाइयों से एक आना प्रति रुपया लिया जा रहा है टैक्स जब कि मालदार आदमी हैं उनसे केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा केवल तीन पाई प्रति रुपया लिया जा रहा है।

इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो प्रार्थना-पत्र (पेटिशन्स) अफसरों के सामने देने पड़ते हैं उन पर कोर्ट फीस देना आवश्यकीय है लेकिन जो बड़े बड़े मालदार आदमी हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत इनकम टैक्स देते हैं उन्हे पेटिशन इनकम टैक्स आफिसर के सामने प्रस्तुत करने पर कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है केवल वकालत नामे पर एक रुपया लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐग्रीकल्चर इनकमटैक्स कमिश्नर के सामने जब कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो दो रुपया देना पड़ता है और वकालत नामा पर भी दो रुपया देना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ी असुविधा जो हमारे बड़े काश्तकार को है (जो टैक्स देता है) वह यह है कि अगर एक्स पार्टी कोई असेसमेंट हो जाता है और किन्हीं कारणों से वह अपने को असेसिंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करने से विवश हो जाता है, तो उस केस के कितने ही अच्छे कारण क्यों न हों, वह केस खोला (reopen) नहीं जा सकता है। उसके लिये रेमिडी यही रह जाती है कि वह अपने गांव से सैकड़ों मील चल कर लखनऊ आये और ऐग्रीकल्चरल इनकमटैक्स आफिसर के समक्ष अपनी अपील को प्रस्तुत करे। वहां से आने में उसका क्या खर्चा पड़ता है, क्या उसको वकीलों को देना पड़ता है, क्या असुविधायें हो सकती हैं, यह उपाध्यक्ष महोदय आप जान सकते हैं। उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि असेसमेंट आर्डर्स की कापीज जो होती हैं,, उनके लिये आज पैसा देना पड़ता है, लेकिन इनकमटैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत वह हमको फ्री मिलती है। जहां तक लिमिटेशन की मियाद का सवाल है हम देखते हैं कि जो हमको अपील करना चाहिये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में वह होती है फ्राम दि डेट आफ आर्डर, लेकिन जो दूसरा ऐक्ट है उसमें हम देखते हैं कि जो लिमिटेशन का पीरियड है वह रन करता है नोटिस से, जिस दिन से कि नोटिस असेसी को मिलती है। तो कभी कभी इस ऐक्ट के अन्तर्गत यह भी हो जाता है कि १५ तारीख को असेसमेंट आर्डर हुआ है लेकिन उसके दुर्भाग्य से एक महीने बाद उसको नोटिस मिल रही है और अपील का जो पीरियड है वह भी खत्म हो जाता है, तो ऐसी ऐसी असुविधायें हैं। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जब मालदार आदमियों को इतनी सुविधायें हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे जो किसान हैं जिन पर टैक्स लगाया जाता है उनको भी वही सुविधायें दी जायं। हमारे मंत्री महोदय उस ऐक्ट का अनुकरण करें और सुविधाएं प्रदान करें जो आज केंद्रीय सरकार द्वारा बड़े बड़े आदमियों को दी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि यह जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो सुविधायें हैं, यह क्यों नहीं गरीब आदमियों को और काश्तकारों को दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और आप के समक्ष कह देना चाहता हूं। हमारे कमिश्नर, लैंड रिफार्म्स से कभी ऐसे आदेश जाया करते हैं जैसे कि उनके नियमों में है कि किस तरह से पैदावार के आंकड़े लिये जायं, किस तरह से जो खर्चा लगाया जाय, मैं समझता हूं

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

कि इसकी तरफ से कोई आदेश नहीं जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आफिसर फ्रान्क दि स्याद को पूर्ण सुविधा होनी चाहिये कि किस तरह से पैदावार निकाली जाय और किस तरह से इन्कम का खर्चा लगाया जाय। यही सिद्धांत हमारे इंडियन इन्कमटैक्स के अन्तर्गत माना गया है। यहां के सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू से कोई आदेश नहीं होता है। जो इनकम टैक्स आफिसर्स हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। इन शब्दों के साथ मैं ये सुझाव रखता हूं।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सम्बन्ध में बोलना नहीं चाहता था लेकिन चूंकि एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलीमेंट की चर्चा कर के माननीय राजस्व मंत्रीजी ने मुझे भी प्रेरित किया कि कुछ बोलूं, मैं उनसे निहायत अदब के साथ अपील करूंगा कि एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलीमेंट्स कौन हैं। मेरे दिमाग में अगर इस समय एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलीमेंट कोई है तो यह कांग्रेसी सरकार है और यह कांग्रेसी पार्टी है। श्रीमन्, जमींदारी उन्मूलन कमेटी की जो रिपोर्ट है, यदि उस कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाय तो एक बार नहीं कई बार इस सदन में मैंने पेश किया है कि छे आने, चार आने, दो आने और एक आने तक किसानों के लगान में छूट की सिफारिश की गयी थी। अगर वह छूट हो गयी होती तो उससे क्या कोई एंटी नेशनल काम होता, क्या वह छूट हो गयी होती तो उससे किसानों का अहित होता या उससे किसानों का हित होता। मैंने, श्रीमन्, यहां पर जान डाल्डन के कथन को कहा था तो माननीय राजस्व मंत्री मेरे पास आ कर के उसके बाक्यांश को ले गये थे। मैं समझता था कि इस समय जब वे बोलेंगे तो शायद वे उसको उद्धृत करेंगे। अगर वे उसको खामोशी के साथ पी गये तो अच्छा है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि 'ए वीक विद गांधी' जो लुई फिशर की पुस्तक है जरा उसका वे अध्ययन करें। महात्मा गांधी ने जमींदारी उन्मूलन के बारे में, जमींदारी व्यवस्था के बारे में क्या उद्गार प्रकट किये थे। क्या महात्मा गांधी से वह ज्यादा शांतिप्रिय हैं? इस सरकार के मंत्रि मण्डल का एक-एक सदस्य, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के पास पहुंचने से लाखों कोस दूर है। महात्मा गांधी ने बहुत ही बुलन्द आवाज से कहा कि हमें कोई फ़िक्र नहीं है, अगर अराजकता फैले तो फैलने दो, मगर किसानों को वाजिब हक़ हासिल होगा अगर अब जमींदार अपने को सचेत नहीं करेंगे और एंटी-नेशनल और एंटी-सोशल कार्यों में लगे रहेंगे तो किसान खुद जमींदारी खत्म कर देंगे। तो वह महात्मा गांधी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और उसके अनुसार काफी काम हो रहा है और आगे होगा। आखिर माननीय राजस्व मंत्री जी किस एंटी-नेशनल और एंटी-सोशल फोर्सेज की चर्चा करते हैं जो कि अब किसानों में नहीं जायंगे और दूसरी तरफ जा कर सरकार को उखाड़ फेंकने में प्रयत्नशील हैं। श्रीमन्, बड़ा कम समय है हमको भी सवा तीन बजे की ट्रेन से जाना है, मैंने आप से निवेदन किया था कि कुछ पहले समय दिया जाय मगर आप की उदारता नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने तो कइयों के टर्न से पहले आप को मौका दिया है।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन् मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था से जो फायदा किसानों को होना चाहिये था अगर जिस तरीके से हम बताते हैं उस तरीके से जमींदारी उन्मूलन किया गया होता तो क्या न होता। मैं समझता हूं कि जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था आज जो किसानों को फ़ायदा दे रही है अगर हमारे कथनानुसार जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था की गई होती तो उससे पचास हजार गुना ज्यादा फ़ायदा किसानों को हुआ होता। माननीय राजस्व मंत्री की बुद्धिमत्ता पर मुझे बड़ा यक़ीन है। यही माननीय राजस्व मंत्री जी ने ६ हफ्ते के अन्दर १ अरब ७२ करोड़ रुपया किसानों से वसूल करने की योजना बन यी थी। अखबार इनके बयान अखबारों में निकला करते थे जब यह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे कि ६ हफ्ते में हम पूरा रुपया वसूल कर लेंगे और आज किसानों के घरों में तो नोटों के गड्डे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छप्परों में खोंसे हुये हैं जो दीमक चाट रही है और मूस कुतर रहे हैं उनको निकालने के लिये बराबर उनके लगान में बढ़ोतरी करते चले जाते हैं। समय नहीं है नहीं तो मैं एक नहीं अनेक उदाहरण आप को बताता और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था का यहां गुण गान किया जाता है उसकी हालत यह है कि १५९ में किसानों के नाम इन्दराज हैं और उन्हीं किसानों के खिलाफ बेदखली के मुकदमें चलाये जाते हैं और दफा १४५ में कुर्की की जाती है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह कौन सी शांति वह देख रहे हैं। अगर यह शांति है तो बवंडर आने से पहले जिस तरह से आकाश में शान्ति होती है वही शान्ति आज भी है।

मिर्जापुर के एक सदस्य ने एक बहुत लाक्षणिक प्रयोग किया और विरोधी पार्टी को बहुत कुछ उपदेश दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे विरोधी पार्टी को उपदेश देने की कृपा न करें। वे ट्रेजरी बेंच के लोगों को ही उपदेश दें और देखें कि वे क्या कर रहे हैं।

अब, श्रीमन्, मैं चकबन्दी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी जिला ले लें, आज तहसीलदारों ने और हमारे राजस्व मंत्री का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके जो अफसर लोग हैं उन्होंने इतनी मुसीबत बर्पा कर रखी है किसानों के सिर पर कि अगर आज किसान उनका बदला ले तो सिवाय माननीय राजस्व मंत्री को गर्दन से पकड़ कर बाहर फेंक दें और दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिये श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार और मंत्री लोग हैं वे इन-वाइट कर रहे हैं।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री राज नारायण--खूब।

श्री शिव नारायण--मैं आप की इजाजत से चेयर की रूलिंग चाहता हूं कि ऐसे शब्द इस सदन में प्रयोग किये जायं कि मंत्री को गर्दन से पकड़ कर बाहर फेंक दें तो क्या ये पार्लियामेंटरी हैं? और अगर नहीं हैं तो ये वापस लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---वास्तव में ये शब्द अनुचित हैं।

श्री राज नारायण---श्रीमन्, ऐसे शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं, आप ने यह नहीं कहा है। ऐसे शब्द किसी के सुनने में कर्णकटु हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मगर मैं यह समझता हूं कि ये शब्द अनुचित हैं और आप को इन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री राज नारायण--मैं आप की रूलिंग मानता हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों के खून को चूस रही है और किसानों का गला घोंट रही है। ऐसी सरकार को किसान किस समय तक बर्दाश्त करेगा। आप की आज्ञा से इस सदन को बताना चाहता हूं कि अगर यह सरकार ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहते हैं, किसानों में शान्ति रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि अमन चैन कायम हो तो लच्छेदार शब्दों में और रचनात्मक ढंग से माननीय मंत्री जी का भाषण हो जाय, इससे काम बनने वाला नहीं है। वह जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, हम एक नहीं ५० आंकड़े पेश कर सकते हैं कि सारे के सारे आंकड़े गलत हैं। अभी अभी मैं बनारस से आ रहा हूं। वहां पर परगना हाकिम के सामने जा कर लेखपालों के जरिये जो आंकड़े पेश हुये थे उन सब को हमने गलत साबित किये। वह तो बैठ कर आंकड़े दे देते हैं कि सब जगह शान्ति है। वहां के किसान यह नहीं चाहते हैं वह नहीं चाहते हैं। इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर के राजस्व मंत्री स्वप्न देखते हैं और विरोधी पार्टी को सबक देने के लिये ट्रेजरी बेंच के सम्मानित सदस्य अच्छे भाषण करते हैं, अच्छे प्वाइंट आफ आर्डर रेज करते हैं। मैं कहूंगा कि इनसे काम नहीं चलेगा बल्कि वह वस्तु-स्थिति को देखें।

[श्री राजनारायण]

इस सदन में अच्छे भाषण दे सकते हैं और आंकड़ों के जाल में वह सदन को लुभा सकते हैं। लेकिन वह आंकड़ों के जाल में लुभायें नहीं बल्कि वस्तु स्थिति को देखें। आज बेदखली की मार से और बढ़ोत्तरी लगान के भार से किसान तरसते हैं और परेशान हैं। किसानों की परेशानी को दूर करने के लिये आप क्या कर रहे हैं। एक बार नहीं ५० बार कहें कि यह ऐंटी-सोशल है, ऐंटी नेशनल है।

श्री देव दत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी के प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने पर आप ने रूलिंग दी थी कि माननीय राज नारायण जी वह शब्द वापस लें। लेकिन उन्होंने वह शब्द वापस नहीं लिये तो यह क्या ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं श्री राज नारायण जी से पूछना चाहता हूं कि वह शब्द आप ने वापस लिये या नहीं।

श्री राज नारायण---अगर आप उनको अनपार्लियामेंटरी घोषित करते हैं तो मैं वापस लेने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो मैंने कह ही दिया।

श्री राज नारायण---मैंने वापस ले लिये हैं। अगर अनपार्लियामेंटरी हैं तो मैं वापस लेने को तैयार हूं। मैं आप की रूलिंग से सहमत नहीं हूं। लेकिन आप उपाध्यक्ष हैं और आप अनपार्लियामेंटरी कहते हैं इसलिये मैं वापस ले रहा हूं।

श्री भाड़ी लाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन और कटौती के प्रस्तावों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी वेदना हुई जब मैंने विरोधी दल के नेता, जिनकी सदन के नेता के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी है, के मुख से यह शब्द सुन कर हुई कि इन माल मंत्री की गर्दन को पकड़ कर उतार दिया जायगा। उनके मुख से ऐसे शब्द निकलना एक शर्म की बात है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि जिस समय वह बोलने के लिये खड़े होते हैं उस समय वह इस बात को भूल जाते हैं कि उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उनका स्वप्न एक बड़ा स्वप्न है जिसके लिये मैं भी समझता हूं कि कभी सम्भव हो सकता है कि वह इन जिम्मेदार कुर्सियों को संभालेंगे जिनकी आज वह इन अनुचित शब्दों में आलोचना करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गेंदा सिंह जी के व्यक्तित्व का जहां तक संबंध है उनके बारे में मेरे एक मित्र ने पहले ही कहा है कि उनके सम्बन्ध में हमारा सदन एक ऊंचा विचार रखता है और उनसे यह आशा की जाती है कि उनके मुख से जो बात निकलेगी वह गम्भीरता, वास्तविकता को लेते हुये निकलेगी।

मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। यह मेरा विषय है। मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। जहां तक उनके २० मिनट के भाषण का सम्बन्ध है उसमें उन्होंने सिवाय दो बातों को छोड़ कर और कोई बात ऐसी नहीं कही जिनके लिये मैं यह विश्वास करूं कि वह माननीय गेंदा सिंह जी भी कह सकते हैं। दो बातें कहीं एक तो उन्होंने भूमि वितरण की बात कही और दूसरी गांव सभाओं के द्वारा मालगुजारी की वसूलयाबी करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने और बहुत सी बातें कहीं जिनमें इस सरकार, इस विभाग और माननीय मंत्री जी के कार्यों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने अपने विभाग के कर्मचारियों की तारीफ की। लेकिन यह स्वीकार नहीं किया कि उनके विभाग में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो ठीक काम नहीं करते। मैं यह समझता हूं कि उसके लिये यही उदाहरण काफी था कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह बात कही और सब से पहले प्रकट किया कि कुछ नायब

तहसीलदार हटाये गये हैं, कुछ तहसीलदारों को दंडित करके उनके स्थान से हटा दिया गया है। क्या यह काफी नहीं था कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके विभाग में कुछ इस तरह के कर्मचारी थे जिनको अच्छा न समझ कर हटाया गया और भविष्य में भी अन्य की शिकायतों पर भी विचार हो रहा है। मैं नहीं समझता कि क्यों इस तरह की गैर जिम्मेदारी और बिलकुल बेमतलब बात कह कर के सदन का समय नष्ट किया जाता है। तो इससे उन्हें क्या लाभ होगा। मैं तो यह मानता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी की कुछ अपने ठोस सुझाव रखने चाहिये थे जिनको कि वह अपना या अपनी पार्टी का प्रोग्राम मानते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विभाग के कार्यों का सम्बन्ध है और इस विभाग द्वारा जो शान्तिमय क्रांति हमारे इस प्रान्त में हुई है, अगर हम निष्पक्ष और न्यायपूर्वक उनके ऊप विचार करें तो मैं समझता हूं कि इतने शीघ्र और इतने अच्छे तरीके से जो ठोस कदम क्रांति के लिये इस सरकार द्वारा उठाया गये हैं, वह किसी भी दूसरी सरकार के लिये एक मुश्किल काम था। आज हमारे प्रान्त की ५ करोड़ से अधिक जनता इस जमींदारी खात्मे के बाद यह अनुभव करती है कि एक बहुत बड़ा जुआ जो उनके कंधें पर था, वह उतर गया है और यही नहीं बल्कि जैसा कि आज विनोबा ही कहते हैं कि भूमि पर सभी का अधिकार है और सब को समान अधिकार मिलना चाहिये, वैसा ही आज हमारा समाज भी अनुभव करता है। गांव की सार्वजनिक भूमि पर सभी गांव वालों को अधिकार दे दिया गया है जैसा कि गांव समाज मैनुअल के द्वारा हमारी भूमि प्रबन्धक समितियों के कर्त्तव्य में बताया गया है। तो मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसे आप एक शान्तिमय क्रान्तिकारी कदम नहीं समझते हैं। यह थोड़ी बात नहीं है कि आज गांव का रहने वाला, भूमिहीन मजदूर भी आज गांव की सार्वजनिक भूमि में जो कि पहले जमींदार के कब्जे में थी उस पर अपना अधिकार समझता है। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें हैं जिनमें कि ज्यादा समय न ले कर मैं कुछ मांगें माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। जहां तक भूमि वितरण की बात है मैं माननीय मंत्री जी से यह सानुरोध प्रार्थना करूंगा कि अब उनको यह क़दम शीघ्र से शीघ्र उठाना चाहिये जिससे कि हमारे प्रान्त में रहने वाले भूमिहीन मजदूर और किसान यह समझें कि अब उनको भी स्वराज्य आया है और उसके लिये एक मात्र कदम यही है कि ३० एकड़ से अधिक जितनी भी भूमि ऐसी है जो कि बड़े आदमियों के क़ब्जे में है उस पर सरकार का क़ब्जा हो और सरकार के द्वारा वह स्थानीय खेतिहर मजदूरों को दी जाय। मैं उनको यह आश्वासन व विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से उन्होंने जमींदारी खत्म की उसी तरह से आज जनता की मांग है कि भूमि वितरण शीघ्र से शीघ्र किया जाय। हमारे प्रान्त में भूमिहीन लोग जिनकी तादाद, जो हमारे श्रम विभाग की तरफ से निकली पुस्तिका के अनुसार ६३ लाख होती है, उनको भूमि मिलनी चाहिये। दूसरी मांग मैं नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक के लिये करना चाहता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र इस सदन में आना चाहिये। जनता बड़ी तेजी के साथ उसका इन्तजार कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता का भाषण सुना। मुझे उनका भाषण सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। इस प्रजातंत्र की प्रणाली में विरोधी दल की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर विरोधी दल के नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, जो जो मैं आये कह दें तो न जाने हमारे देश का क्या होगा। मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। जहाँ तक हमारे इस विभाग का ताल्लुक है, इस कृषि से हमारे देश की ९० फीसदी जनता सम्बन्धित है। इसमें जमींदारी विनाश कानून से बड़ी क्रांति हुई है और उस क्रांति के द्वारा समाज का नया निर्माण हो रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी ने जिस योग्यता के साथ उस क्रान्ति को कर के जिस तरह से समाज का निर्माण कर रहे है वह हमारे ही देश के लिये नहीं संसार भर के सब लोग कहेंगे कि वह बधाई के पात्र हैं। इस तरह से शान्तिमय क्रांति का हो जाना और शान्ति के साथ ठीक तरह से नया निर्माण हो सके यह बड़ा कठिन कार्य है।

[श्री रतन लाल जैन]

अब मैं जरा उन बातों का जिक्र करूंगा जिनको विरोधी दल के सदस्यों ने कहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कर पर उतना अधिक व्यय क्यों हो गया जब कि कृषि कर कम हो रहा है। अगर माननीय सदस्य ने इस बजट की पुस्तिका को पढ़ा होता तो उनका यह भ्रम दूर हो जाता। कृषि कर की आमदनी जरूर कम हो गई है क्योंकि जमींदारों पर जो टैक्स लगता था वह कम हो गया। परन्तु साथ साथ इस कानून में संशोधन होने के कारण तीस एकड़ से ऊपर वाले जो किसान हैं उन पर भी टैक्स लगने लगा। उनके पास भी नोटिस जायगी। इसलिये इससे आज कृषि कर देने वालों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। पहले यह था कि पचास एकड़ से कम वाला बिल्कुल मुस्तसना था अब तीस एकड़ से कम वाला मुस्तसना है। इस तीस एकड़ के कर देने से आज कृषि कर देने वालों की संख्या बहुत बढ़ गयी है जिसके कारण हमारे राज्य के ५६ नायब तहसीलदार और ३२ क्लर्क रखने पड़ रहे हैं जिसके कारण यह खर्चा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जमींदारी के नाश होने से जनता को कोई राहत नहीं मिली। मुझे यह सुन कर भी आश्चर्य होता है। जो किसान लोग अपने घर के मालिक हैं, उनके जो ग्राम समाज हैं वह पूर्ण-तया मालिक हैं उसको वह अधिकार भी हैं जो पहले जमींदारों को नहीं थे कि रास्ते को अपने आप चौड़ा कर दें लेकिन आज गांव समाज यह कर सकता है। आज गांव का किसान पूरा मालिक है और अपने भाग्य का निर्माता है। अपने गांव के सुधारने की तमाम जिम्मेदारी और अधिकार उसके पास हैं। इससे राहत नहीं मिली तो दुख मिला है ?

मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। चकबन्दी हो रही है। इससे अच्छी बात दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं। हमारे गांव में चरागाह नहीं रहे हैं। चरागाह न होने से पशुओं को हरा चारा नहीं मिलता है। उसमें दिक्कत यह है कि अगर चकबन्दी हो गयी और बाद में आपने चरागाह का मामला उठाया तो यह समस्या फिर हल नहीं हो सकेगी। चरागाह हर गांव में होना बिलकुल जरूरी है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह जो नियम बनायें उसमें ऐसा कर दें कि फी गांव में जमीन, पांच फीसदी या दस फीसदी ऐसी रखी जाय जिसमें चरागाह हों। उसमें दिक्कत यह हो सकती है कि आप जहां चकबन्दी कर रहे हैं वहां कोई चरागाह न हो तो उसके लिये आप यह कर सकते हैं हर एक की जमीन में से कुछ हिस्सा कम कर सकते हैं।

श्री चरणसिंह—उसमें है।

श्री रतनलाल जैन—तो बहुत खुशी की बात है कि यह उसमें है।

दूसरी बात जो मैं कह देना चाहता हूं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी जिक्र भी किया कि कृषि आय कर के अन्दर हमारे जो एस० डी० ओज० हैं वे तो सब देखते नहीं, उनके नीचे नायब तहसीलदार वगैरह यह सब करते हैं और वे बहुत परेशान करते हैं। उनका ईमान-दारी में बहुत बड़ा सन्देह है। इसलिये बड़ी परेशानी होती है। सरकार को यह दिखा देते हैं कि हमने इतना टैक्स लगा दिया। दो से कुछ ले लिया और दस पर बढ़ा दिया। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और इस सम्बन्ध में उचित कदम उठायेंगे जिससे इस कृषि आय कर के मामले में हमारे किसानों को ज्यादा परेशानी न हो।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने उन सब लायक साथियों की स्पीचेज को सुनकर आश्चर्य हुआ जिन्होंने इस कृषि विभाग में जो थोड़ा सा काम हुआ है या इतिहास में आने वाले कानूनों को बनाया है उनकी भी सराहना वे नहीं कर पाते हैं। इस थोड़े से काल में हमारे राजस्व मंत्री जी ने जिस मेहनत और योग्यता से कानून बनाये हैं वे सराहनीय हैं। जमींदारी विनाश कानून बनाकर किसानों को जो उनकी सम्पत्ति

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर अधिकार दिया है उससे न सिर्फ इस प्रदेश की जनता को ही भारी संतोष हुआ है बल्कि दूसरे प्रदेशों को पथ-प्रदर्शन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त जो भूमि संरक्षण विधेयक, उपज बढ़ाने के लिये लाया गया है वह भी सराहनीय है। लेकिन साथ ही जहां सरकार इतनी तेजी से कानून बना रही है वहां वह भी देखे कि उनका सही–सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने जमींदारी विनाश करके जो ९३ लाख एकड़ जमीन गांव समाज को दी है वे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। मैंने देखा कि जो जमीन गांव समाज को मिली है उस पर किसान वैसे ही काबिज है, उसका एलाटमेंट नहीं हुआ। इसलिये सरकार देखे कि जो जमीन सरकार ने गांव समाज को दी है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अगर देखे कि सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा है कि सरकार उस को अपने अधिकार में लेले और अपने अधिकार में रख कर उसका इन्तजाम करे।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि प्रति वर्ष हमारे प्रांत में रेगिस्तान बढने की रफ्तार बढ़ती जा रही है और सरकार चाहती है कि इसे बचाने के लिये हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा बाग लगाये जायं। ऐसी हालत में मैं यह चाहूंगा कि कृषि आय कर तै करते समय बागों की आमदनी को उसमें से निकाल दिया जाया करे। सरकार की तरफ से क्या आदेश गये हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन जो रिवाज है कृषि आयकर तै करने का वह यह कि प्रति पेड़ की औसत आमदनी १५ रुपये लगाई जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो पुराने बाग हैं जिनसे उनके मालिकों को अब आमदनी नहीं होती, जिनसे पहले गांव के लोगों को वैसे ही फल खाने को मिल जाते थे और अब वे मालिकों के लिये लायबिलिटी हो गये हैं, उनको मालिक लोग रोजमर्रा काटते जाते हैं। सरकार यदि चाहती है कि ज्यादा बाग लगें और पिछले दो सालों में सरकार ने बागों को लगाने के लिये दो लाख रुपये खर्च भी किये, तो मेरा अनुरोध सरकार से है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे और बागों की आमदनी को कृषि आय कर से मुक्त कर दे।

तीसरा मेरा अनुरोध यह है कि सरकार की जो लगान लगाने की नीति है उसमें भी थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे प्रांत में ८५.४ प्रतिशत लोग खेती करते हैं। उसमें से ५८ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास दो एकड़ जमीन है और वे साल भर खेती करते रहते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा व्यवसाय नहीं होता। मेरी राय में उपज बढ़ाने के लिये यह उचित होगा कि दो एकड़ से कम जिनके पास जमीन है उनका लगान काट दिया जाय।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि मैं भी दूसरे माननीय सदस्यों की तरह मंत्री महोदय को बधाई दूं किन्तु अफसोस है कि बधाई देने के लिये मेरे पास कुछ गुंजाइश ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जमींदारी उन्मूलन के कारण मंत्री जी को बधाई दी लेकिन मैं बधाई देने के लिये इस वजह से लाचार हूं कि मंत्री महोदय ने प्रश्नोत्तर के जवाब में जो कुछ कहा उससे मुझे कुछ संतोष नहीं हुआ सब से पहले जब जमींदारी उन्मूलन इस इलाके में किया गया तो उस समय पर्वतीय इलाकों के लिये ख्याल नहीं हुआ। वहां के लिये यह कहा गया कि काश्तकारी की समस्या वहां पर नहीं है। इस वास्ते टेनेंसी को अभी निकट भविष्य में वहां के लिये लाने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य गेंदासिंह ने कहा कि कम से कम प्रदेश में यूनिफार्म लेजिस्लेशन होना आवश्यक है तो अगर पर्वतीय इलाकों को देखा जाय तो जो कि ४, ५ जिले हैं वहां पर कोई यूनिफार्म टेनेंसी ला नहीं है। कुमायूं डिविजन में कुछ कस्टम हैं, कुछ दस्तूरात तथा फैसले हैं जिनको कई तरह से बांध कर रखा गया है। टेहरी में पुराना भूमि संबंधी अधिनियम है जो अभी तक वहां पर लागू है। इसके प्रचलित रहने से, यद्यपि सरकार ने वहां पर कुछ दूसरे नियम परिवर्तित किये हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसकी वजह से काफी कठिनाई वहां पर महसूस की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर जो भूमि संबंधी अधिकारों का नियम है उसको आप देखिये कि वहां रजिस्ट्रेशन ऐक्ट

[श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट]

भी लागू है । और इसके साथ ही ट्रांसफर आफ प्रापरटी ऐक्ट भी लागू है तो इनमें आपस में बहुत विषमता है । पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन ऐक्ट लोकल था । भूमि संबंधी अधिनियम भी था तो कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ती थी लेकिन अब यदि कोई भूमि मुन्तकिल होती है तो उसमें भी कठिनाई होती है और इसके लिये भी वहां पर विषमता है । हिन्दू ला भी वहां लागू है और भूमि संबंधी कानून भी लागू है । इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर कोई आदमी अपनी जायदाद को मुन्तकिल करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है लेकिन भूमि संबंधी कानून के मुताबिक उस पर बन्धन है और वह भी फिर इनवैलिड माना जाता है । इसका यह नतीजा होता है कि बहुत से लोगों को व्यर्थ मुकदमे बाजी में खर्च करना पड़ता है । हम जरूर चाहते हैं कि कुछ बन्धन जायदाद पर रहे कि लोग ज्यादा ट्रांसफर न कर सकें और ऐसा न हो कि किसान लोग अपनी जायदाद को बेचकर बिलकुल लैंडलैस हो जाय । लेकिन यह होते हुये भी वहां की यह जो व्यवस्था है उससे वहां पर लिटीगेशन बढ़ रहा है । लोग रजिस्टर्ड डीड करा रहे हैं और फिर वह सिविल कोर्ट में जाकर नल एन्ड वायड हो जाते हैं ।

दूसरी बात मैं यह बताऊं कि भूमि संबंधी अधिकार कानून और हिन्दू ला वहां पर लागू हैं । हिन्दू ला के मुताबिक यह जायदाद पुश्त दर पुश्त चलती है किन्तु भूमि संबंधी अधिकार कानून के मुताबिक वह ३ पीढ़ी के बाद भुवाली करार दे दी जाती है । इस तरह से यह भूमि संबंधी कानून और हिन्दू ला में विषमता है ।

तीसरी बात यह है कि भूमि संबंधी व्यवस्था न होने की वजह से और भी दिक्कत होती है । भूमि प्राप्त करने में वास्तव में कोई वहां पर सुविधा नहीं है और न उसके लिये कोई रास्ता दिखाई देता है कुमायूं नयावाद कानून की जो शरतें हैं वह इतनी कड़ी हैं और इतनी ज्यादा शरतें हैं कि उसके मुताबिक लोगों को जमीन मिलना असंभव है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इन कुमायूं नयावाद के ऐक्ट में संशोधन किया जाय ।

मैं एक बात की तरफ और तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि पटवारी जो वहां पर काम करते हैं वहां पर उनकी पोस्ट को परमानेंट न माने जाने की वजह से उसको पेन्शनेबिल नहीं माना जाता है । उनके चपरासियों को पेंशन मिलती है लेकिन पटवारियों को जिनके पास इतने कागजात रहते हैं उनको टैम्पोरेरी माना जाता है । उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह २४ घंटे काम करें लेकिन उनको परमानेंट नहीं माना जाता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अव्यवस्था को दूर करने की कोशिश करें ।

*श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करके किस प्रकार जमींदारी शोषण से उन्मुक्त किया और उसके बाद गांव समाज की स्थापना करके किस प्रकार किसानों को अपनी जमीन और अपनी तरक्की करने का मौका दिया तथा उसके पश्चात् चकबन्दी का कानून पास करके, जो उनकी जोतें अलग-अलग बंटी हुई थीं, उनको अवसर दिया है, उसका बहुत ही सुन्दर चित्रण हमारे मंत्री जी ने अपने भाषण में दिया । लेकिन मुझे ताज्जुब है कि उनकी पैनी दृष्टि से कुमायूं किस प्रकार वंचित रहा इसके पहले एक बार मंत्री जी ने यह भी कहा कि कुमायूं में काश्तकारों की समस्या नहीं के बराबर है । आपने यह भी बताया कि वहां ५ प्रतिशत काश्तकार ही ऐसे हैं जो सिरतान कहे जाते हैं । मैं नहीं कह सकता कि किन आंकड़ों के आधार पर माननीय मंत्री जी ऐसा कहते हैं लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि यह संख्या सही नहीं है । सन् ५१ की जनसंख्या के अनुसार १ लाख से ज्यादा शिल्पकारों में ९५ फीसदी सिरतान थे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त केवल शिल्पकार ही सिरतान नहीं और भी लोग सिरतान हैं। इसलिये ५ फीसदी को जो फिगर्स हैं वे सही नहीं मालूम होतीं। अगर थोड़ी देर के लिये यह भी मान लिया जाय कि ५ प्रतिशत की संख्या सही है तो जब कि कुमायूं की आबादी ३३ लाख है करीब १ लाख के सिरतान होते हैं। इस हिसाब से यह एक लाख की संख्या नगण्य नहीं है। ऐसी सूरत में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां के काश्तकारों के कानून को टाला न जाय और जल्दी से जल्दी उनके लिये कानून बनाया जाय। अभी तक सरकार ने ऐसे आदेश दे रक्खे थे जिससे वहां के सिरतान बेदखल नहीं हो सकते थे लेकिन हाल ही में कुमायूं कमिश्नर का जो फैसला हुआ है उसके फलस्वरूप कोई भी जमीन का मालिक अपनी जमीन से बेदखल करा सकता है। इससे वहां पर बेदखलियां बढ़ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसा कोई उपाय किया जाय जिससे ये बेदखलियां रोकी जा सकें। आज कांग्रेस का शासन हुये इस प्रदेश में ७,८ साल हो गये लेकिन कुमायूं में काश्तकारों और भूमिहीनों का सवाल वैसा ही बना हुआ है। मैं नहीं समझ पाता कि वह इस समस्या को सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। कुमायूं में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है और जिनकी आजीविका भूमि पर निर्भर करती है। वे लोग दूसरों के यहां मजदूरी करते हैं। दूसरी ओर वहां ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ५–७ सौ और १ हजार एकड़ जमीन है। मैं निवेदन करूंगा कि तराई का वह हिस्सा जहां पर लोगों के पास ५–७ सौ या हजारों एकड़ जमीन है वह कुमायूं के भूमिहीनों में बांट दी जाय। जब तक सरकार ऐसे कदम नहीं उठाती है तब तक कुमायूं के भूमिहीनों की समस्या हल नहीं हो सकती है। वहां के ९१ फीसदी लोग खेती का काम करते हैं जिसमें केवल ५ फीसदी जमीन ऐसी है जिसमें सिंचाई हो सकती है, बाकी जमीन आसमान के पानी पर निर्भर करती है इसलिये लगातार कई सालों से समय पर बारिश न होने से वहां इस प्रकार से फसल बरबाद हो रही है कि सरकार को सहायता के लिये वहां टेस्ट वर्क्स खोलने पड़े हैं लेकिन इस तरह से इस समस्या का ज्यादा दिनों तक हल नहीं निकाला जा सकता। वह हालत ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकती। आज वहां के किसानों की हालत बहुत खराब है, लोगों की क्रय शक्ति बहुत गिर चुकी है और किसी भी जिले के लोगों को टेस्ट वर्क खोल कर वह अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रख सकती है। उसके लिये कोई स्थायी इलाज करना पड़ेगा और वह इलाज यह है कि सरकार वहां के भूमिहीनों को, जिन लोगों के पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, उनसे जमीन छीन कर दे। जब हम विषमता समाप्त करने की बात कहते हैं तो इसके लिये भी लाजिमी है कि हम जिन लोगों के पास अधिक भूमि है उसका एक अधिकतम स्तर मुकर्रर करें और उस जमीन को दूसरे लोगों में बांटें। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कुमायूं के उन बेचारे सिरतानों के नाम पर, उन भूमिहीनों के नाम पर जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन भूमि ही है उनको भूमि प्रदान करें। आज से दो साल पहले सरकार ने तराई भावर के इलाकों में कुछ भूमि देने का प्रबन्ध किया था लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक एक भी व्यक्ति वहां ऐसा नहीं है जो बसाया गया हो और जिसको भूमि दी गयी हो। मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां के जंगल को काट कर आज से कुछ महीने पहले साफ किया गया था लेकिन आज वे जंगल फिर जंगल के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं और जब वहां के भूमिहीन बेचारों को जमीन मिलेगी तो वह उस वक्त उन्हें जंगल के रूप में ही मिलेगी। चूंकि वे जंगल कट चुके हैं इसलिये हो सकता है कि कहीं वे जंगल फिर पहले ही जैसे न हो जायं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तराई भावर में जब उसने भूमिहीनों को जमीन देने के लिये निश्चय किया है तो उस भूमि को जल्द से जल्द देने की व्यवस्था करे और जो जमीन साफ हो गयी थी और पेड़ काटे जा चुके थे उसमें फिर जो जंगल के रूप में पेड़ खड़े हो गये हैं उनको भी कटवा देने की व्यवस्था करे। इतना ही नहीं बल्कि मैं तो यह भी बतला देना चाहता हूं कि वहां बहुत से भूमिहीन ऐसे हैं जिनकी केवल अपने शरीर के अलावा और कोई सम्पत्ति नहीं है। वे दिन भर दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपनी गुजर करते हैं। अगर सरकार ने उनको जमीन दिया भी तो उस जमीन को वे तब तक आबाद नहीं कर सकते जब तक कि सरकार

[श्री गोवर्धन तिवारी]

उनको आर्थिक सहायता न दे। बगैर ट्रैक्टर के वहां की जमीन तोड़ी ही नहीं जा सकती, बगैर आर्थिक सहायता के वहां की जमीन को आबाद करना मुमकिन नहीं है। इसलिये अगर केवल उनको भूमि ही दे दी गयी तो उनको जमीन देना और न देना बराबर हो जायगा। इसलिये मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वहां भूमिहीनों को बसाने के लिये न केवल भूमि दी जाय बल्कि उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाय। जब तक उनको आर्थिक सहायता नहीं प्रदान करते हैं उनका वहां बसना मुश्किल ही है।

*श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन के समक्ष उपस्थित किया है उसके मंजूर करने में मुझे कोई उज्र नहीं है लेकिन एक तरफ मुझे उनका ध्यान तो आकर्षित करा ही देना है कि जहां पर यह लाखों रुपये का अनुदान वे इस सदन से मांग रहे हैं, वहां उनको यह भी देखना है कि खासकर जिसके वास्ते यह रुपया खर्च किया जायगा वह कार्य कुशलतापूर्वक हो रहा है अथवा नहीं। मैं जहां तक समझ पाया हूं, और उनके भाषण को भी मैंने गौर से सुना, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि जिस अदम्य उत्साह के साथ, जिस परिश्रम के साथ जमींदारी उन्मूलन का कार्य उन्होंने और उनके विभाग ने किया है उनके साथ मेरी सहानुभूति है और इस प्रदेश के जितने भी निवासी हैं उनकी भी सहानुभूति है। किन्तु एक सफेद चादर पर चाहे वह एक छोटा सा ही बिन्दु क्यों न हो बदनुमा मालूम होने लगता है। इस सदन में माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस बजट के सिलसिले में उन कर्मचारियों की बड़े ऊंचे स्वर में सराहना की गयी है लेकिन आज हमारे सफेद चादर पर कालिमा के रूप में चाहे वह छोटा ही बिन्दु क्यों न हो दिखाई पड़ रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जिनकी प्रशंसा व्यवहार माननीय मंत्री जी ने अभी इस सदन में की है कि माननीय मौर्य जी ने जिले की कलेक्टरियों में जाकर वहां के कर्मचारियों की गतिविधि को देखा है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि कुछ अंश ऐसे भी रह गये हैं जिनको वह पढ़ नहीं सके कि वे वही अंश तो नहीं हैं जो कृषि आय कर से संबंधित हैं जहां उनके लगाने का वर्णन है। मैं समझता हूं कि कृषि आय कर लगाने की जो व्यवस्था की गई है वह ऐसी है जो किसी के कलेजे पर छाप लोटा सकती है। वे बड़े कर्मचारी जिनकी वह तारीफ करते हैं मुनासिब नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लूं लेकिन बीस-बीस और पचीस-पचीस हजार रुपये तक टैक्स लगा देते हैं। इतना ही नहीं वे अपने अहलकारान पर इतना विश्वास करते हैं, उन बड़े अफसरों पर विश्वास करते हैं उनके अथक परिश्रम की सराहना करते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें उनकी हैं जिनसे इस सरकार की निन्दा हो सकती है और मैं उसको गुप्त रखना नहीं चाहता चाहे वह छोटी मोटी ही शिकायत क्यों न हो मैं उसको रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वे छोटी छोटी गलती तक को सुधारने में सदैव अग्रसर रहते हैं। मैं इसीलिये कहता हूं कि ये डिप्टी कलेक्टरान, मैं भी जहां वे अच्छा काम करते हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं लेकिन मैं लीपापोती नहीं करना चाहता, जहां उनकी स्तुति करनी चाहिये वहां स्तुति करता हूं और जहां निन्दा करनी चाहिये वहां निन्दा करता हूं लेकिन उनके छोटे मोटे कारनामों से इस कांग्रेस सरकार की बदनामी होती है और उस तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन डिप्टी कलेक्टरान के पास रेवेन्यू के इतने काम होते हैं कि वे जो चिट्ठा नीचे के अहलकारान बनाते हैं वह ठीक मान लेते हैं और उसी को आगे बढ़ा देते हैं। न मालूम कितनी नोटिसेज निकाली गई हैं और उन नोटिसेज का नतीजा यह होता है कि जो रुपया दे देता है उसका तो कृषि आयकर कम लगाया गया। मेरे जिले में कितनी ही शिकायत इस बात की है और मैंने उन शिकायतों को सरकार के पास भेजा भी है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसके बाद मैं माननीय गेंदा सिंह जी की विवेचना से भी चिन्तित हूं। वह तो प्रौढ़ विचार के हैं। मैं नहीं समझ पाया कि चकबन्दी से नुकसान कैसे किसानों का होगा। हमारा प्रदेश एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि प्रधान प्रदेश है उसमें तो जहां फुटकर खेती करते हैं, बिखरी हुई जमीन उसको एकत्रित कर देते हैं, तो उसमें आसानी होगी, साधन अच्छे जुट सकेंगे तो चकबन्दी से तो लाभ ही होना चाहिये। यहां पर शोरगुल यह भी रहा कि जब जरा ठीक तरीके से प्रबन्ध भूमि का न हो सके तो जब तक भूमि का बटवारा न हो भूमि व्यवस्था बिलकुल ठीक नहीं होगी, मैं उससे बिलकुल सहमत हूं लेकिन यह बड़े-बड़े फार्म्स उन गरीबों को जिनके पास साधन उपलब्ध न हों बांट देना ठीक नहीं है लेकिन प्रदेश में जहां पर भी मांग हो कि हमारे यहां जमीन का वितरण होना चाहिये वहां माननीय मंत्री जी की सेवा में कहना चाहता हूं कि जो बड़े फार्म्स हैं उन्हें वहां जरूर छोटे काश्तकारों के सुपुर्द कर देना चाहिये। ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)–– माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ा दुख है कि माननीय अमरेश चन्द्र पांडेय के भाषण से इस सदन में कुछ गरमी आ गई। मुझे इस बात का भी दुख है कि उन्होंने सन् १९४४ में अमरीका की एक किताब पढ़ी थी उसकी याद हमको आज इस सदन में दिलाई। सन् १९४४ में तो सोशलिस्ट पार्टी भी कांग्रेस में ही थी और उस वक्त कोई झगड़ा नहीं था लेकिन उन्होंने जो वह पुराना ख्याल सोशलिस्ट पार्टी के लिये कुत्ते के रूप में यहां प्रकट किया है उससे कुदरतन यह आवश्यक था कि इस सदन में गरमी आजाती। मुझे इस बात का भी दुख है कि यहां किसी भी माननीय सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया लेकिन जब हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने उस पर कुछ कहा तो बड़ा दुख होने लगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि इस सदन में किसी मामले में भी गरमी आये।

श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)–प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैंने जो कुछ कहा है वह किसी सोशलिस्ट के लिये नहीं कहा है। वह तो जनरल बात थी। उस पीरियाडिकल में जो कुछ लिखा था वह इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के लिये नहीं था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय––मैं भी सोशलिस्ट पार्टी के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि जनरल कह रहा हूं।

खैर, जो कुछ भी हो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी के लिये बहुत सी बातें कहनी थीं। कुछ तो माननीय गोवर्धन तिवारी जी ने कह दी हैं और कुछ माननीय जयेन्द्र सिंह जी ने कह दी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा मेरी तरफ ध्यान दें तो उचित होगा। माननीय मंत्री जी ने सवा घंटे के भाषण में कहीं भी कुमायूं के कानून का जिक्र नहीं किया। इस समय मुझे शिव जी की बात याद आती है। कहा जाता है कि शिवजी के ३ नेत्र थे। उनमें से २ नेत्र तो खुलते रहे हैं लेकिन सुना है कि तीसरा उनका नेत्र जब खुलता है तो दुनिया भस्म हो जाती है। उसी तरह से माननीय मंत्री जी के भी नेत्र हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उस तीसरे नेत्र को भी खोल दें, हम पहाड़ों के रहने वाले हैं इसलिये हम भस्म होने वाले नहीं हैं।

(इस समय ३ बजकर ४२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री बेचन राम गुप्त पीठासीन हुये।)

५ परसेंट लोग सिर्फ ऐसे हैं जिनपर उसका असर होता है। आज माननीय गोवर्धन तिवारी ने बताया कि एक लाख आदमी कम से कम ऐसे हैं जिनमें ९० प्रतिशत हरिजन हैं। तो क्या सिर्फ हरिजन यहीं के रहने वाले हैं, हमारे यहां के हरिजनों के बारे में भी कोई बात करते। क्या हरिजनों में मेहतर या चमार ही गिने जाते हैं।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

अधिष्ठाता महोदय, आज यह कहा जा रहा है कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं उन्हें बड़ा तकलीफ है लेकिन मेरे यहां जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं उनपर भुकदमे चल रहे हैं और वे बेदखल किये जा रहे हैं। आज हमारे यहां किसान एक नाली पर सवा रुपया लगान देने के लिये तैयार हैं। एक एकड़ में २० नालियां होती हैं। हमारे यहां किसानों को जमीन देने पर जो आय होती है उसका आधा हिस्सा जमींदार ले लेते हैं और आधा हिस्सा किसानों को मिलता है। सन् ३७ से अधिष्ठाता महोदय कमेटियां बनती गईं और सन् ४६ में भी कमेटियां बनीं लेकिन कुमायूं के कानून का नाम कहीं नहीं आया। अभी हाल में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि बम्बई में पहाड़ी इलाकों के लिये कोई कानून बना है उसे ही वह यहां लागू कर देंगे।

अधिष्ठाता महोदय, आज वहां पर बड़ा झगड़ा है, जमींदारी एबालीशन की खबर जब से वहां के जमींदारों को लगी है कि पहाड़ में भी कानून लागू होगा, तब से जो वहां की जमीन सिंचाई के कारण दूनी हो गयी है, उससे आज वहां के जमींदार चाहते हैं कि किसानों को बेदखल किया जाय। आज वहां पर इस तरह से बेदखलियां शुरू हुई हैं कि वह हरिजन भाई जिन के पास वर्षों से जमीन कब्जे में चली आ रही थी, वह आज बेदखल किये जा रहे हैं। अभी उनके लगान का कोई नियम नहीं है। वहां सन् १९०२ में सेटिलमेंट हुआ था, तब से आज पचास साल हो गये हैं लेकिन कोई सेटिलमेंट वहां नहीं हुआ है। कितनी जमीन पर कौन सी रकबा काबिज है, किस जमीन का क्या लगान है, इसका कुछ पता नहीं है। ये एक बड़ा लम्बा चौड़ा इतिहास है। वह बार्डर एरिया है, यहां पर आज हमारे कम्युनिस्ट भाई किसानों को बरगलाना चाहते हैं और उनसे यह कहते हैं कि तुम रिवोल्ट करो। लेकिन जब कोई घर में आ जाता है तब इस सरकार को खबर लगती है, उससे पहले इस सरकार को खबर नहीं लगती है। मैं यह चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय कि यह कुमायूं टेनेंसी ऐक्ट अवश्य बनना चाहिये और अगर इसमें कुछ देर हो तो तब तक के लिये एक ऐसा विधेयक पेश कर लिया जाय जिसमें यह हो कि बेदखलियां बन्द कर दी जायं। इसके बाद यह देखने की आवश्यकता है कि किस के पास कितनी जमीन है। आज वहां का किसान जमीन खोदता है लेकिन जमींदार यह कहता है कि मैं तुम्हें जमीन नहीं देना चाहता। आज वहां का किसान अपनी जमीन पर मकान नहीं बना सकता है। इसके पहले कि वहां कोई गड़बड़ी हो, वहां के लिये एक कानून बन जाना चाहिये। आज हमारे तमाम एम० एल० ए० लोगों ने इस बात की जोरदार मांग की है कि हमारे यहां के लिये एक कानून बन जाना चाहिये।

मैं एक प्रार्थना माननीय मंत्री जी से और करना चाहता हूं और वह यह है कि आज हमारे यहां के पटवारी की पोस्टें टेम्पोरेरी हैं। वे १९ विभागों का कार्य करते हैं, वे थानेदार भी हैं, कम से कम उनकी पोस्ट पेंशनेबिल और परमानेंट कर दी जाय।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भूमिहीन जो किसान हैं उनमें शिल्पकार ज्यादा हैं। जैसा गोवर्धन तिवारी जी ने कहा है, उनके बसने का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये वरना वह बार्डर का एरिया है, वहां कुछ गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है।

*श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय राजनारायण जी इस वक्त मौजूद नहीं हैं। जो माननीय राजनारायण जी ने अच्छे-अच्छे चुन-चुन करके शब्द इस्तेमाल किये हैं उनके सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि डेमोक्रेसी एक खेल है जिस में दो दल खेलते हैं और उनके कुछ नियम होते हैं जैसे किसी खेल के होते हैं। अगर उन नियमों का उल्लंघन एक दल बराबर करता रहे तो दूसरा दल चाहे कितना आत्म नियंत्रण करने की कोशिश करे, वह खेल फिर चल नहीं सकता। एक विरोधी पक्ष के नेता होते हुये इतना गुस्सा उनमें है और बेतुले लफ्ज इतने इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर दूसरा आदमी अपने आप को न रोके तो जैसा बहराइच में या किसी जगह हुआ उम्मीद यह है कि यहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाथा पाई की नौबत आ जाय। मैं उनसे तो उम्मीद नहीं करता हूं लेकिन उस दल के जो दूसरे माननीय मित्र हैं उनसे यह उम्मीद करता हूं कि वे जरा अपने नेता जी के ऊपर कुछ नियंत्रण करने की कोशिश करें। क्योंकि उनके नेता हैं इसलिये कुछ जिम्मेदारी उनकी भी है।

अब मैं जो बातें यहां कही गयी हैं, मैं समझता हूं कि २० मिनट मिलेंगे, इसलिये इतने समय में उन बातों का संक्षेप में जवाब देने की कोशिश करूंगा। जितनी भी शिकायतें हुई हैं, यहां हमारे माननीय मित्रों ने जिन गल्तियों की तरफ सदन का ध्यान दिलाया है, वह ९० फीसदी वास्ता रखती हैं एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से और असेसमेंट से। ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स जैसा अमेंडमेंट हुआ है पहले तो उसके अनुसार हर असेसी को यह अधिकार है कि बजाय हिसाब दाखिल करने के वह यह कहे कि सरकिल रेट के साढ़े १२ गुना पर मेरा टैक्स लगा दिया जाय अगर वे ऐसा करते हैं तो हिसाब पेश करने की जरूरत नहीं है और कोई डिस्क्रीशन उस अफसर को हासिल नहीं है। तो जब उस पर नोटिस जाती है कि यह फार्म तुम्हारे पास भेजा जा रहा है, तुम उस पर हिसाब लिख कर भेज दो कि कितनी तुम्हारी इन्कम हुई है तो अगर उस पर वह यह लिख कर भेज दे कि मेरा सरकिल रेट से लगा दिया जाय तो कोई गुंजाइश भ्रष्टाचार की नहीं है। लेकिन ऐसा किसान करता नहीं है और वह यों नहीं करता है कि उसे कानून मालूम नहीं है इसलिये वह शहर को आता है और वकीलों को मेहनताना देना पड़ता है और अगर दूसरी तारीख बढ़ गई तो खर्चा और बढ़ जाता है। यह कठिनाई है और यह मेरी नोटिस में आयी है।

दूसरे बागात के सिलसिले में यह कहा गया कि ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हिदायत नहीं गई कि फलां किस्म के फल के पेड़ के ऊपर इतनी इन्कम फर्ज कर लो और तब टैक्स लगाओ। ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स कमिश्नर का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने एक अपनी राय जाहिर की थी कि कलमी आम के पेड़ की इतनी आमदनी हो सकती है और देसी आम के पेड़ को इतनी हो सकती है, उसको एसेसिंग आफिसर यार्डस्टिक मान कर टैक्स लगाते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं थी। खैर, यह मैं तसलीम करता हूं कि बाज बाज जगह टैक्स ज्यादा लग गया और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट के अमेंडमेंट पर विचार भी कर रही है। पहले से ही हमारे यहां विचार हो रहा है कि किस तरीके से जो शिकायतें हैं वे मिट सकती हैं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि वे शिकायतें जल्दी मिट जायंगी।

माननीय बीरेंद्र पति जी ने मुकाबिला किया सेंट्रल इन्कम टैक्स का और ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स का। लेकिन मैं उनकी इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि हमारे टैक्स का जिस तरह से एसेसमेंट होता है और उसकी अपील और एतराज वगैरह जो होता है वह सब जुडीशल प्रोसीडिंग्ज हैं। सेंट्रल इन्कम टैक्स में वह एक्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्ज हैं। और जिस वक्त यह बिल के रूप में पिछले हाउस में पेश था उस वक्त जमींदार साहबान ने यह जोर दिया था कि इसको जुडिशल इनऐक्टमेंट किया जाय और उसको मान लिया गया। तो जो भी जुडिशल कार्यवाहियां हों वे सब करनी पड़ती हैं और कोर्ट फीस भी सब को देनी पड़ती है। तो खुद विरोधी दल का यह आग्रह था और वह यह समझते थे कि इसमें उनका सेफगार्ड है। तो उनके आग्रह पर ऐसा किया गया और जब है तो कोर्ट फीस वगैरह सब देनी पड़ेगी। जहां तक एसेसमेंट आर्डर की नकल वगैरह देने की बात है कि वह बिना पैसे के दे दी जाय, उस पर हमने विचार किया है और बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी आर्डर निकल जाय कि बिना पैसे के उनको नकल दे दी जाय। लेकिन बाकी जितनी दिक्कतें उन्होंने बतलायीं वे जुडिशल प्रोसीडिंग्ज होने की वजह से हैं।

अब एक बात माननीय गेंदा सिंह जी ने कही कि सेल्फ कम्प्लेसेंसी न हो। उन्होंने यह कहा कि जैसे सब मुहकमे वाले अपनी तारीफ करते हैं ऐसे ही मुहकमा माल वालों ने भी की। ठीक है तो जहां तक यह बात कही जाती है कि गवर्नमेंट को अपने किसी मुहकमे में दोष नहीं दीखता,

[श्री चरण सिंह]

तो क्या मैं उसका यह जवाब दे सकता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी को हर चीज में दोष ही दीखता है।

श्री गेंदासिंह---ऐसी बात नहीं है।

श्री चरणसिंह---अगर नहीं तो उन्होंने कहीं इकरार नहीं किया कि किसी भी मुहकमे में कुछ काम हो रहा है। जहां तक सेल्फ कम्प्लेसेंसी की बात है तो जैसा माननीय मही लाल जी ने बतलाया, २०० तहसीलदार और २०० नायब तहसीलदार हैं, इनमें से २१ को निकाल दिया और ६९ के खिलाफ कार्यवाही हुई। तो ९० के खिलाफ कार्यवाही हो गई, पार्ट २४ पर सेंट के खिलाफ। तो इससे यह तो नहीं जाहिर होता है कि गवर्नमेंट इस बात से बेखबर है कि लोग गलती करते हैं। राज्य कर्मचारियों से गलती हो तो है। तो इससे यह जाहिर हो कि बेखबर नहीं हैं। फिर सेल्फ कम्प्लेसेंसी की क्या बात है? और जहां गवर्नमेंट गलती पाती है और कार्यवाही करती है वहां गवर्नमेंट का यह भी फर्ज है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको इकरार किया जाय कि वह अच्छा काम करते हैं। इसलिये मैंने उनकी तारीफ की है जिन्होंने अच्छा काम किया है। जिनको उनकी दिक्कतें मालूम हैं उनके बावजूद वह जितना कर रहे हैं मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई दुनिया की गवर्नमेंट उन पर गर्व कर सकती है। यह वाक्या है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जो गलती है उस पर कार्यवाही न की गई हो या कोई शिकायत ऐसी हुई जिस पर कार्यवाही न की गई हो तब तो बजा है यह कहना कि सेल्फ कम्प्लेसेंसी है।

माननीय राम कुमार जी ने किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझा बहुत ठीक किया। किसी का नाम लेना ठीक भी नहीं है। लेकिन अगर उनके नोटिस में कोई शिकायत है तो वह मेरे नोटिस में लायें। मेरी उनसे शिकायत है कि वह मेरे नोटिस में क्यों नहीं लाये।

श्री राम कुमार शास्त्री---जिस जमाने का यह मामला है उस समय श्रीमान् जी मंत्री नहीं थे।

अधिष्ठाता---अब आप बैठ जायं और मंत्री जी को कहने दें।

श्री चरणसिंह---मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ों की ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे कर्मचारियों की भी शिकायतें गई हों और उन पर कार्यवाही न की गई हो तो मेरे नोटिस में लायें। वैसे छोटे कर्मचारियों के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत करनी चाहिये क्योंकि यहां से लिखा पढ़ी में देर हो जाती है। लेकिन खैर मेरे नोटिस में अगर लाई जायगी तो फौरन उस पर कार्यवाही होगी। अगर गलती रह जायगी तो मैं उसका इकरार करने के लिये तैयार हूं अगर यह दिखाया जाय कि हमने कहा था लेकिन कुछ किया नहीं।

पहली बात यह है कि बहुत से हिस्सों में जमींदारी अभी खत्म नहीं हुई। मैं इसको मानता हूं कि खत्म नहीं हुई लेकिन इसके माने यह नहीं है कि हम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सूबा बहुत लम्बा चौड़ा है और इसकी मुख्तलिफ कंडीशन्स हैं और इन सबसे स्टडी करने में देर लग ही जाती है और हमारा कांस्टीट्यूशन ऐसा है कि फूंक-फूंक कर कदम उठाना पड़ता है और मैटीरियल इकट्ठा करने में भी देर लगती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारे सूबे में एक टैन्योर हो जाय।

एक सवाल यह उठाया जाता है कि लेगों को बड़े-बड़े प्लाट्स दे दिये गये हैं। माननीय गेंदा सिंह जी के लिये मुझे अफसोस है कि कभी-कभी उन पर संगदोष का असर पड़ जाता है उन्होंने यह कहा कि जमींदारी नैनीताल में इसलिये खत्म नहीं की जा रही है कि जिससे गवर्नमेंट के हाथ में यह हक रहे कि वह जिसे चाहे जमीन दे दे और उसको नाजायज तरीके पर देने के लिये

शायद उन्होंने कहा। मुझे उनके ठीक वर्डिंग्ज तो याद नहीं हैं। मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी जब सैनर मोमेंट्स में होंगे तो उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हरगिज यह वजह नहीं है। जहां तक तराई भावर का सवाल है वहां लोगों को जमीन तोड़ने के लिये दी गई है। वहां कोई बसने के लिये नहीं आता था। यह जो जमीन दी गई है जिसके लिये आपका कहना है कि बहुत बड़े–बड़े प्लाट्स दिये गये हैं वह इस प्रकार है :–

१९३२	३७८१	एकड़
१९३६	१०५३	,,
१९५०	११८६	,,
१९४७	५००	,,
१९१९	४८५०	,,
१९३२	१०६४	,,

यह ६ केसेज ऐसे हैं जिनमें बड़ी–बड़ी जमीन दी गई है। दो केसेज केवल ऐसे हैं जो सन् १९४७ और १९५० के हैं बाकी तो बहुत पुराने हैं। यह उस समय के हैं जब कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को पावर्स डेलीगेटेड थे, उनके आरडर्स से दिये गये हैं। गवर्नमेंट के आरडर्स से नहीं दिये गये हैं। गवर्नमेंट के नोटिस में यह चीज नहीं आई और जब दी जा चुकी तो उसकी शरतों के मुताबिक उन लोगों ने जमीन तोड़ डाली और फिर वह जमीन इसलिये ज्यादा दी जा रही थी कि यह इलाका गैर आबाद पड़ा था, गवर्नमेंट लोगों को इन्वाइट करती थी, अट्रैक्ट करती थी ज्यादा से ज्यादा जमीन देकर ताकि वह इसको आबाद करें। इतने पर भी लोगबाग छोड़कर भाग जाते थे। आज जमीन की मांग हो रही है क्योंकि रिक्लेमेशन हो गया है, सड़कें हो गई हैं, अस्पताल हो गये हैं, बिजली हो गई है और जमीन तोड़ ली गई है तथा मलेरिया बहुत कम हो गया है और तिल्ली की जो बीमारी होती थी, वह भी बहुत कम हो गई है, जंगलात के जानवरों का आक्रमण भी कम हो गया है, वह जगह बसने वाली हो गई है, तब यह शिकायत होती है कि फलां आदमी को जमीन नहीं दी गई। लेकिन जिस जमाने में जमीन दी गई उस वक्त तो एक तरीके से गवर्नमेंट पर एहसान होता था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई आकर के उस जमीन को ले ले। इस गवर्नमेंट ने अपने कार्य काल में इस मंत्रिमंडल के या उस मंत्रिमंडल के जमीन दी हो १०० एकड़ या २०० एकड़ हरगिज नहीं।

माननीय गोवर्धन तिवारी जी ने कहा कि जिन लोगों की जमीन ली गई है उनसे लेकर तकसीम कर दी जाय बाकी लैंडलेस को। लैंडलेस लोगों के लिये जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं और भी अगर कोई सुझाव माननीय सदस्य दें तो उसको भी करने के लिये तैयार हैं। जो जमीन आज किसान के कब्जे में है सिवाय प्वाइन्ट पांच परसेंट को छोड़कर सब के पास २५ एकड़ से कम है। जो जमीन खाली है या आगे खाली होती चली जायगी, उसके लिये १९८ बना दिया गया है। यह कहना तो आसान है कि उन लोगों के पास से लेकर तकसीम करदी जाय, लेकिन उनका उन पर कब्जा हो चुका, उनके वेस्टेड इन्टरेस्ट हो चुके, किस तरह से तकसीम किया जाय। वह काम इतना आसान नहीं है।

जहां तक पहाड़ के भूमिहीनों की बात है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भूमिहीन चाहे एक हो तो उसके साथ मुझे हमदर्दी है, पहाड़ में हो या मैदानी इलाके में। लेकिन यह बात जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि यह भी ख्याल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पहाड़ों में भूमिहीन ज्यादा मुसीबत में है बनिस्बत मैदानी भूमिहीनों के, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय––आप कभी वहां गये नहीं हैं।

श्री चरण सिंह––और आप भी देवरिया के देहातों में नहीं गये हैं।

[श्री चरण सिंह

भूमिहीन चाहे मैदान का हो, या पहाड़ का हो सभी जगह एक हालत है और हम उसकी हालत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाहते हैं। लेकिन पहाड़ी भूमिहीनों की कोई विशेष समस्या है, ऐसा नहीं है बल्कि पहाड़ में भूमिहीन लोगों की संख्या सबसे कम है मैदानी इलाके के मुकाबिले में। बड़ी समस्या वह नहीं है।

लेखपालों के मुताल्लिक कहा जाता है कि पटवारी तो निकल गये लेकिन लेखपाल भी वैसे ही हैं। पटवारी के मुताल्लिक यह कहा जाता था कि ये बड़े तजुरबेकार हैं और ईमानदारी और गैर-ईमानदारी में उनको ज्यादा भेद नहीं मालूम होता, ऐसे घुट गये हैं और इसलिये भी करते थे कि पहले उनके अख्तियारात ज्यादा थे। दो शिकायतें थीं कानूनों हमने बदल दिये। लेखपालों के अख्तियारात कुछ भी नहीं रहे सिवाय इसके करने के, टाइटिल वगैरह के अख्तियारात उनको नहीं रहे और यह लड़के नये हैं। अब फिर भी अगर ये गलती करते हैं तो किसका कसूर है? यह गवर्नमेंट का कसूर है। यह सारी कौम और सारी सोसाइटी का कसूर है अगर बेईमान लड़के पैदा करती है और उनके माँ बाप उनको इस तरह से पालते हैं। यह बतलाया जाय कि गवर्नमेंट क्या करे, अगर इस तरह की शिकायत है तो सिवाय इसके कि जो चीज उसकी नोटिस में आये और उस पर उसने कार्यवाही न की हो तो उसमें गलती गवर्नमेंट की है। लेखपाल आमतौर पर अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी शिकायतें मेरे पास आईं तो मैंने जिलाधीशों को लिख दिया कि लेखपालों में भी अगर आपको कोई शिकायत मिले तो एक महीने की नोटिस देकर उन्हें अलाहिदा कर दें और कई जगहों पर जिलाधीशों ने कार्यवाही की भी। अब इसके अलावा अगर कोई और कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया जाय कि क्या हो तो मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं। फिर यह बात कि सबको एक ब्रुश से टार कर देना कि कहीं अगर दस बीस शिकायतें हों तो सब आदमियों को कह देना कि सब बेईमान हैं तो फिर आदमी आखिर आयेंगे कहाँ से!

चेयरमैन के सिलसिले में.....

अधिष्ठाता----अभी आपको एक मौका और मिलेगा।

*श्री गेंदा सिंह----माननीय अधिष्ठाता मैं सबसे पहले तो अपने उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी इस कटौती के प्रस्ताव का किसी न किसी रूप में समर्थन किया है। मैं एक बात का जरूर सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि उनकी जो मेरे प्रति कृपा है उससे मैं बंचित हो जाऊं। लेकिन उसी के साथ यह कहना जरूर चाहता हूं कि यहाँ कोई इसलिये तो मैं नहीं आया हूं कि प्रसन्न करने के लिये ही बात किया करूं। जो कटु सत्य हो, उसे भी कहना मैं अपना आवश्यक कर्त्तव्य समझता हूं। मैं तो यह भी समझता हूं कि कुछ लोगों को शायद सन्देह हो लेकिन मैं अपने को माननीय राजस्व मंत्री जी का मित्र ही मानता हूं। और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो यह कहा कि एक ही ब्रश से सबको झाड़ते हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको मित्र मानकर भी मैं सत्य न बोलूं और जो मेरे देखने में सत्य हो चाहे उनके देखने में झूठ हो, वह न कहूं तो मैं अपने को धोखा दूंगा, माननीय राजस्व मंत्री जी को धोखा दूंगा और इस सदन को भी धोखा दूंगा। इसलिये मैं जो सही समझता हूं कह दूं। मैं इतना ही कहता हूं जितना अपने पर विश्वास है कि मैं रिश्वत नहीं लेता। तो मैं उसी तरह से विश्वास करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी भी रिश्वत नहीं लेते हैं यह मुझे विश्वास है। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी अपने ही तरह से सबको मान लें कि सारे लोग वैसे ही मेहनत करते हैं, तो उसके लिये मैं तैयार नहीं हूं। जो विभाग उनकी आँखों में धूल झोंके, हजारों पशु मर जायं और उसकी सही खबर जो विभाग न दे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस विभाग को मैं धन्यवाद दूं और कहूं कि ईमानदार है, यह मुझ से नहीं होता। जो विभाग हजारों आदमियों को बेदखल करने में सहायक हो और अपना काम न पूरा करे, उसको सच्चा मानने को कहें तो मैं नहीं मान सकता। जो विभाग आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने में तत्पर हो, जो विभाग इस सरकार को बरबाद करने में लगा हुआ हो, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, उस विभाग पर इस तरह से अभिमान करना माननीय राजस्व मंत्री को ही शोभा देता है कि वह उस कुरसी पर खड़े होकर उसकी तारीफ करें। मैं तारीफ करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं जानता हूं कि उनकी एक कमजोरी है। वह उस अपनी निर्बलता की वजह से उसकी तारीफ करते हैं। वह यह समझते हैं कि वही उनकी असली बुनियाद है। उसी पर वह खड़े हैं। जनता, नीचे की जमीन खिसक रही है और नौकरशाही की बुनियाद पर खड़े हुये दिखलाई दे रहे हैं इसलिये उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ बैठे रहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि कोई नौकरशाही की बुनियाद पर यह कुरसी नसीब नहीं हो सकती। यह कुरसी नसीब हुई है गरीब जनता की खिदमत के नाम पर और उस गरीब जनता के प्रतिनिधि आज नौकरशाही की तारीफ कर रहे हैं वह उनकी तारीफ करने के लिये यहाँ पर नहीं आये हुये हैं। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस अवस्था में यह माल विभाग जो है यह सारी की सारी ताकत लेकर बैठा हुआ है और उस ताकत से इस सूबे को भीख मांगने की नौबत कर रहा है। इसलिये मैं सोचता हूं कि मैं इस तरह से तारीफ करने में मजबूर हूँ। माननीय राजस्व मंत्री जी ने भूमिहीनों को नैनीताल और और जगहों के संबंध में कहा कि हमने जमीन नहीं दी। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पीलीभीत, रामपुर और नैनीताल इन तीन जिलों की फेहरिस्त भेजें कि इसमें कितनी कितनी जमीन के कितने फार्म हैं। फिर सारी कलई खुल जायगी। फिर यह मालूम हो जायगा कि किन किन लोगों के पास कितनी जमीन है। मैं आपसे कहूं कि ऐग्रेरियन कमेटी जो कि जे० सी० कुमारप्पा की सदारत में बैठी थी और कांग्रेस का इकानामिक प्रोग्राम था, वह यह बताती है कि जो जमीन नयी हो, वह सारी की सारी भूमिहीनों को ही दी जाय।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने के लिये तैयार हैं कि कितनी जमीन भूमिहीन किसानों को दी गयी। मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं नैनीताल और तराई की बात नहीं कहता हूं, मैं तो और जगह की बात कहता हूं बनारस में बताइये कि कितने लोगों को पट्टे पर जमीन दी गयी। क्या हजार या पाँच सौ एकड़ के पट्टे लोगों को नहीं दिये गये हैं। मैं जब आपसे कहता हूं कि ३० प्रकार के कानून आप सारे सूबे में जारी रखना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है। फिर जब आपसे बतलाया जाता है तो उस पर आप कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं उस विभाग की तारीफ क्यों करूं जो इस बात पर भी ध्यान न दे। फाइल से हमारे सेक्रेटरी साहबान दबे रहते हैं लेकिन उस फाइल से हमको क्या मिलता है। अगर उस फाइल से कुछ प्रोडक्टिव नतीजा निकलता और उससे कुछ किसानों को मिलता और उनका लाभ होता तब तो मैं जरूर तारीफ करने के लिये तैयार होता लेकिन जिस विभाग के जरिये से ५ लाख आदमियों को उनके रुपये का सूद न मिले और उनको भूमिधरी की सनद भी न मिले तो उस विभाग की कैसे तारीफ की जाय।

एक शब्द राजनारायण जी के बारे में भी कहना चाहता हूं उनकी जबान से जो शब्द निकले राजस्व मंत्री जी उस पर नाराज हो गये, मिश्रा जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिनके कारण उनके मुंह से यह बात निकली लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम अन्टीनेशनल या अन्टी सोशल होने के लिये कभी भी तैयार नहीं हैं। मैं इसलिये कहता हूं कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ कहें तो इस बात को ध्यान में रखकर कहें।

*श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अन्त में यह भूमिधरी सनद की बात कही उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका कई बार जवाब दिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

जा चुका है कि वह वही केसेज हैं जो विवादास्पद हैं। अब जो ज्यादा तादाद मालूम होती है वह इस वजह से कि उसमें दो दो फरीक ने वह रुपया जमा किया इस लिये वह तादाद ५ लाख दिखाई देती है। तो आधी रहने से २ लाख के करीब तो यों ही रह गयी। इसमें कुछ ऐसे हैं जो पार्ट पेमेंन्ट के केसेज हैं और उनके टाइटिल क्लियर नहीं हैं लेकिन उन्होंने पूरा रुपया जमा कर दिया है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसे केसेज मेरे नोटिस में लायें कि जहां पर टाइटिल का झगड़ा नहीं है और पूरा रुपया जमा कर दिया हो। और उसको भूमिधर की सनद जारी नहीं की गई हो। इस प्रकार का कोई केस वह बतलायें तो जिसने ऐसा किया होगा उस कर्मचारी के खिलाफ कार्य किया जायगा।

रही इन्टरिम कम्पेन्सेशन की बात और जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया कि बड़ी कठिनाई है। पहले यह बात सामने आई थी कि जिनका थोड़ा रुपया है उनको मनिआर्डर से भेज दिया जाय। यह तजवीज एक दफा सामने आयी थी और हमने इसपर गौर किया लेकिन यह समझा गया कि यह मुनासिब नहीं है। जब उसको रुपया दिया जाता है तो उसमें यह लिखना होता है कि अगर तुम इस रुपये के मुस्तहक नहीं पाये जाओगे तो तुमको यह रुपया वापस करना होगा। दूसरे यह कि उसमें गलती हो सकती है तो इस प्रकार से रिस्क लेना जहां कि ६ करोड़ रुपये स्टेट के इन्वाल्व हों मुनासिब नहीं समझा गया। छोटी उन लोगों की है जो आमतौर पर खुद काश्त करते हैं उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। इसलिये यह टैक्निकल बात है।

पंचायतों के लिये कहा गया कि इनके जरिये से रुपया वसूल कराया जाय। इसका जवाब भी दिया जा चुका है। जमींदारी अबालीशन से कोई इसके लिये फायदा नहीं है जो पुरानी माल-गुजारी आज है वही ली जाती है और माल गुजारी के लिये कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि इतनी ही माल गुजारी हमेशा रहती ही चली जायगी अगर यही मालगुजारी रह कर अगर भाव घट जाय तो एक बर्डिन हो सकती है और भाव बढ़ जाय तो आसान हो सकती है तो फिर एक सी बात कैसे हो सकती है। कराची कांग्रेस सेशन की बात माननीय मित्र कहते हैं जो कि प्रोग्रेसिव कहलाते हैं और बात कहते हैं २५ साल पहले की। २५ साल पहले का वही पत्थर पकड़े बैठे हैं।

शहरों की जमींदारी अबोलीशन की बात कही गयी। शहरों में कुल जमीन जिसके बारे में यह अधिनियम लागू होगा १ लाख ४० हजार एकड़ है जब कि दूसरी जगह एक ही तहसील में १ लाख ८० हजार एकड़ जमीन है। इसका मतलब यह हुआ कि शहरों में जो जमीन है वह एक तहसील के बराबर भी नहीं है। इसके अलावा जो जमीन गांवों में अनकल्टीवेटेड थी वह गांव सभाओं को दे दी गयी लेकिन यहां पर वही जमीन ज्यादा कीमती है। अगर उसी को निकाल कर के यहां भी जमींदारी का खात्मा कर डालें तो वह फिट नहीं बैठ सकता। यह बिल दूसरी बार सेलेक्ट कमेटी में गया है लेकिन उसकी मीटिंग अभी तक इसलिये नहीं बुलाई गयी कि शहरों से और आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। उन आंकड़ों के आ जाने पर अन्तिम फैसला किया जायगा।

एक बात के लिये राम सुभग जी वर्मा ने एक अमेंडमेंट मोशन दिया था और उसी बात का जिक्र माननीय गेंदा सिंह जी ने कर दिया कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जब दौरे पर गये तो गांव जो जल गया था उसको देखने नहीं गये। उनको यह मालूम है कि मैं वहां साढ़े चार घंटे लेट पहुंचा। साढ़े ६ बजे से ९ बजे तक मीटिंग हुई और वे देहाती मेरा वहां इन्तजार कर रहे थे। उनको यह भी मालूम है कि इतनी रात गये वहां मैं कैसे जाता और क्या वहां जाकर वहां के निवासियों को जगाता? यह तो मेरी मजबूरी थी कि मैं वहां नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह है कि यह वाकया २ मार्च का है और मैं वहां ६ मार्च को पहुंचा। चार दिन के बाद। मैं वहां जाकर क्या करता, क्या मुझे वे लाशें वहां मिलतीं? जब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां एक-एक जगह हो आया था और हमें यहां ४-५ तारीख को तार दिया था कि आदमी १२, २३ मवेशी और ७६६ घर जल गये। ७,५०० रुपया तार के जरिये मनीआर्डर

से भेज दिया गया और हमने यह भी तसल्ली दिलाई कि अगर और रुपये की जरूरत हो तो वे फौरन लिख दें। इस पर यह कहना कि इस गवर्नमेंट के सदस्य हृदयहीन हैं यह साबित होने वाली बात नहीं है। कोशिश यह की जानी चाहिये जिस पर दूसरे लोग विश्वास भी कर लें।

एक बात शिवराज सिंह जी ने जमीनों के मिसयूज की कही। मैं यह मानता हूं कि यह हो रहा है लेकिन धारा २१२ और नियम ११५ के अनुसार उनको उसकी कार्यवाही करनी चाहिये। जब मैं वहां गया था तो मैंने कितनी लम्बी चौड़ी व्यवस्था की थी। लेकिन अगर लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो क्या किया जाय। गांवों में अगर कहीं उसका मिसयूज हो रहा है तो गांव के लोगों को समझाया जाय और अगर उनको समझ में नहीं आता है तो दफा २१२ और नियम ११५ के मातहत डी० एम० को उसकी सूचना दी जाय। ऐसा करने से ही कुछ हो सकता है। यहां लखनऊ में बैठी-बैठी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। केवल यह कहना कि ऐसा हो रहा है, इससे कोई चीज होने वाली नहीं है। केवल गांव समाज और राजकर्मचारियों पर इस बात को छोड़ देना ठीक नहीं है। हमें एक-एक गांव में जाकर देखना चाहिये कि इन्तजाम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर कहीं गड़बड़ है तो लोगों की मदद करें। फिर देखिये कि उससे लोगों को कितना लाभ होता है और आपको कितना लाभ होता है।

एक बात और है, माननीय गेंदा सिंह जी ने राजनारायण जी की सफाई देने की कोशिश की। मैंने यह कहा था कि ऐंटी सोशल और ऐंटी नेशनल फोर्सेज जो इस फिक्र में रहते हैं कि कहीं कोई मौका मिल जाय तो गड़बड़ करें लेकिन यू० पी० में उन्हें एग्रीकल्चरल फ्रन्ट छोड़ कर कोई दूसरा फ्रन्ट देखना होगा। अगर मैंने एन्टी सोशल व एन्टी नेशनल किसी के लिये कहा तो माननीय श्री गेंदा सिंह व माननीय श्री राजनारायण जी उसे अपने ऊपर मंसूब कर रहे हैं, मुझे अफसोस तो इस बात का है। इससे यह मालूम होता है कि उनके दिल में कुछ है। हरगिज मेरे दिल में यह बात नहीं थी कि माननीय श्री गेंदा सिंह व माननीय श्री राजनारायण जी एन्टी सोशल व एन्टी नेशनल से कोई वास्ता रखते हैं लेकिन जब अब आप अपने ऊपर लगा रहे हैं तो आशंका की गुंजायश है। इसके अलावा एक और बात यह कि मान लीजिये मैंने कहा तो कांग्रेस के जितने भी विरोधी पक्ष में हैं उन सबके लिये कहा। जब सब पार्टियों के लिये कहा तो कम से कम मुझ से तसदीक तो कर लेते कि यह क्या मेरे लिए कहा था? ऐसा न करके माननीय श्री गेंदा सिंह तथा माननीय श्री राजनारायण जी ने इसको अपने लिये समझ लिया इसका मुझे बहुत दुःख है। मैं मानता हूं कि और लोग हैं, और पार्टीज हैं जो एन्टी सोशल व एन्टी नेशनल हैं और जिन को हम आप सभी जानते भी हैं। तो जब और पार्टीज के लिये कहे जाने की गुंजायश थी तो फिर अपने ऊपर लगा लेना यह ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि मान लीजिये मैंने पार्टी के लिये कहा तो व्यक्तिगत इस प्रकार की बात कहने का क्या हक था। अपनी गलती को तसलीम कर लेने में शक की गुंजायश नहीं रहती है। इन अल्फाज के साथ मुझे उम्मीद है कि जो अनुदान मैंने उपस्थित किया है उसे सदन स्वीकार करेगा।

अधिष्ठाता––अब मैं श्री राजनारायण जी के प्रस्ताव को लेता हूं जिसे श्री गेंदा सिंह जी ने पेश किया है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १––लेखा शीर्षक ४––कृषि आयकर की उगाही पर व्यय––कारपोरेशन कर को छोड़ कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १--कृषि आय कर की उगाही पर व्यय (लेखा शीर्षक ४--कारपोरेशन कर को छोड़ कर आय पर दूसरे कर) के लिये ३,२२,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--अब मैं श्री वीरेन्द्रपति यादव के प्रस्ताव को लेता हूं जिसको माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने मूव किया है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २--मालगुजारी (लेखा शीर्षक-७--मालगुजारी) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २--मालगुजारी (लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी) के लिये ४,२२,४८,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या--२१ लेखा शीर्षक ४०--कृषि सम्बन्धी विकास और खोज

*श्री चरण सिंह--चेयरमैन महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास और खोज (लेखा शीर्षक ४०--कृषि) के लिये १,५६,४८,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मुझे इस सिलसिले में ज्यादा नहीं कहना है लेकिन जो नयी-नयी मदें हैं उनमें से कुछ की वजाहत कर देना मैं जरूरी समझता हूं। एक तो १० लाख रुपया एफारेस्टेशन के लिये रखा गया है। पिछले साल ५ लाख रुपया इटावा, मथुरा और आगरा जिले में खर्च हुआ था और इस साल सिर्फ ५ लाख रुपये में २,३०० एकड़ में जंगल लगाये गये हैं जिसमें कई सौ एकड़ तो जो गिरिराज गोवर्द्धन की ७ मील लम्बी पहाड़ी है उसमें लगाये गये हैं।

गिरिराज गोवर्द्धन में सावन भादों में कई धार्मिक मेले होते हैं और परिक्रमा भी होती है। हमारे पुराणों में गिरिराज गोवर्द्धन का बड़ा जिक्र है लेकिन आज वहां एक पेड़ नहीं है और आगरा और मथुरा की भूमि दिन ब दिन खराब होती जाती है। ३२ हजार एकड़ जमीन बालू और रेत की शक्ल अख्तियार कर रही है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वहां पर वनस्पति ज्यादा हों, पेड़ जंगल और बागात ज्यादा हों। इसी दृष्टि से वहां एक एफोरेस्टेशन की स्कीम बनाई गई और अब की बार १० लाख रुपया लगा कर ६ हजार एकड़ जमीन में वहां पेड़ लगा दिये जायेंगे।

दूसरे जापानीज मेथड से हमारे यहां पिछले साल २९ जिलों में धान बोये गये और ३५ हजार एकड़ में यह बोया गया था। उसमें जो ऐवरेज ईल्ड बढ़ी है वह साढ़े सात मन फी एकड़ है। पहले ६, १० मन फी एकड़ होती थी अब १६ मन फी एकड़ होती है और यों तो इंडविजुअल हैसियत से तो एक जगह साढ़े ८१ मन तक धान एक एकड़ में हुआ है लेकिन साधारणतया १६ मन फी एकड़ उत्पन्न हुआ है।

जो क्राप कम्पेटीशन की स्कीम थी उसमें पिछले साल ७९ हजार आदमियों ने शिरकत की लेकिन अब की बार ८० हजार आदमियों ने शिरकत की और १ लाख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३८ हजार रुपया इनाम दिया गया। यह जो आगामी साल आ रहा है उसमें हम समझते हैं कि डेढ़ लाख आदमी उसमें शरीक होंगे और किस तरह से डेढ़ लाख आदमी उसमें शरीक हों उनको उत्साहित किस तरह से किया जाय इसके लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

इस साल जो पटसन है उसकी पैदावार में हमारे यहां कमी हो गयी थी। पहले हमारे यहां पटसन की पैदावार १ लाख एकड़ हो गई थी लेकिन अब वह ५० हजार एकड़ रह गई है। इसका कारण यह है कि पटसन का भाव बहुत कम रह गया है। हम अच्छा पटसन पैदा कर सकें इसलिये रेटिंग टैंक्स की जरूरत है जहां उस पटसन की सफाई होती उनको बहुत गहरा होने की आवश्यकता है और इनको गहरा करने के लिये गवर्नमेंट ५० फीसदी उस खर्च में सबसिडी देगी। इसलिये ४५ हजार रुपया इस काम के लिये रखा गया है।

जहां तक कपास का रकबा था वह अब की बार २ लाख ९ हजार एकड़ बढ़ा। तीन चार साल पहले कपास खत्म हो गया था इस द्वितीय महायुद्ध के जमाने से अब धीरे-धीरे हर साल कपास का रकबा बढ़ता जा रहा है।

इसके साथ ही जो वन-महोत्सव की स्कीम है वहां हमने ११ हजार एकड़ में १६ लाख दरख्त लगाये और ग्रोव भी लगाये गये। करीब १३ लाख एकड़ बगीचे के नीचे है। हम चाहते हैं कि कम से कम ५० लाख एकड़ हो जाय। हमारी इच्छा यह है कि १० फीसदी कुल भूमि का बाग बगीचों के नीचे आ जाय। अभी तक केवल ३ फीसदी जमीन ऐसी है जो बाग बगीचों के नीचे है। तो इस साल ११ हजार एकड़ रकबा हमने इसमें बढ़ाया है। ताकि हमारे यहां फलदार दरख्त ज्यादा लगने लगें, उसके लिये जो यह साल बीत रहा है उसमें ३० जिलों में हार्टीकल्चर कान्फ्रेन्सेज हुईं जिनमें बागदारों को बुलाकर जो हार्टीकल्चर के आफिसर्स हैं उन्होंने उनके सामने लेक्चर्स दिये, उनको फिल्म्ज इस सम्बन्ध में दिखाये कि किस तरह से इन बागात में जो बीमारी लग जाती है उनको दूर किया जाय, किस तरह से और किस मौसम में कौन से फल बोये जायं यह उन लोगों को बताया। यह तीस जिलों में हुआ था क्योंकि उनके पास काम बहुत थे और इसीलिये कुछ हार्टीकल्चर कान्फरेंसेज कम हुई थीं, जो हुईं भी उनमें कुछ जगहों में बहुत सफल हुई और कुछ जगहों में संतोषजनक नहीं रहीं। इसलिये अब की बार यह इरादा है और हर तहसील में अप्रैल और मई के महीने में हम हार्टीकल्चरल कान्फरेंसेज करने जा रहे हैं और जो माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अपने-अपने हल्के में जो कानफरेंसेज हों उसमें बहुत दिलचस्पी लें। हर तहसील में यह होगा। हर तहसील में हार्टिकल्चर सुपरिंटेंडेंट या इन्सपेक्टर हो जायंगे। वहां भूमि प्रबन्धक कमेटी के प्रेसीडेंट, बागदार या जो ९ लोग इन्टेरेस्ट रखते हों वह आ सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, खेती के मुहकमे में एक बड़ी समस्या यह है कि आज जो ज्ञान हमारे विशेषज्ञों को हासिल है वह किसानों तक नहीं पहुंच पाता। जो खेती करते हैं उनको ज्ञान नहीं है और जो खेती नहीं करते हैं, जो उनको सिखाने के लिये बैठे हैं, उनको ज्ञान है, यह आज एक बड़ी खाई उनके बीच में है। इसको कैसे पाटा जाय, यह सवाल हमारे सामने है। इस सम्बन्ध में हमने तय किया कि किसान तो आ नहीं सकते हैं इसलिये विशेषज्ञों का यह फर्ज है कि वह किसानों के पास जायं। अब विशेषज्ञ गांव गांव में तो जा नहीं सकते हैं लेकिन हर तहसील में वह जरूर जायंगे। इन्हीं के लिये यह १४,९०० रु० खर्च होगा। हम चाहते हैं कि अगले साल २९ हजार रुपया रक्खें। अगर हम अपने प्रयोग में सफल हुये और अगर लोगों ने दिलचस्पी ली तो अगले साल ज्यादा रुपया भी रक्खा जा सकता है।

[श्री चरण सिंह]

अच्छी तम्बाकू पैदा करने के लिये भी एक स्कीम है। उसके लिये १०,३०० रु० रखा गया है। एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर और बुलन्दशहर और गोरखपुर के खर्चे के लिये भी कुछ थोड़ा रुपया रक्खा गया है। ऐसे ही हमारे ब्यूरो के लिये जहां से पशु पालन किताब निकलती है रुपया रक्खा गया है। वह ब्यूरो भी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी तरीके से और भी २, ४ छोटी मोटी स्कीमें हैं जो कि पहले से चल रही हैं उनका खर्चा भी है। जो नयी मदें थीं उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को पेश करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने यह देखा कि सारी पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्रारूप खेती के उत्पादन और खेती की रिसर्च की ओर जा रहा है मगर हमारे इस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और रिसर्च के बजट में १२ लाख रुपये की कमी कर दी गई है जब कि इसमें १० लाख रुपये की एक ऐसी योजना भी शामिल है जो इसमें नहीं होनी चाहिये थी। जैसे एफोरेस्टेशन की स्कीम का सम्बन्ध है उसकी ग्रान्ट इस स्कीम में नहीं शामिल होनी चाहिये थी बल्कि उसका स्थान फारेस्ट डिपार्टमेंट के बजट में था। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय वन मंत्री ने अपने भाषण में एफोरेस्टेशन स्कीम का बड़े जोरों से जिक्र भी किया था। इस तरह से मैं देखता हूं कि जिस ग्रान्ट को जिस स्थान पर रहना चाहिये वह वहां पर नहीं रखी जाती और जिस विभाग से उनका संबंध रहना चाहिये वह नहीं रहता। हार्टिकल्चर के दो हिस्से कर दिये गये हैं, एक तो फ्रूट यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट और दूसरा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। सरकार का इस सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। माननीय मंत्री जी ने शुगरकेन डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं यह सोचता था कि माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इस सम्बन्ध में कुछ तो बतलायेंगे। अगर मैं उनका ध्यान फाइव ईयर प्लान की ओर आकर्षित करूं तो वह देखेंगे कि उसकी रिपोर्ट में ५९। लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई है लेकिन जब मैंने बजट को देखा तो मैं हैरान रह गया देख कर कि इस साल १२,१८,००० रु० पिछले साल के मुकाबिले में कम कर दिये गये हैं और स्कीम भी रिवाइज कर दी गई है। ऐसा मालूम होता है कि उसमें रिवीजन करने की जरूरत है और रुपया कम करके रिवीजन होता है। पिछले साल के अगर गन्ना विकास को देखा जाय तो इंडियन टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट सब से अच्छे माने में है। हमारे गन्ना विभाग के जितने भी डेवलपमेंट थे जैसे खाद और लोन देना, अगर उसकी रिपोर्ट को हम देखें और शुगर रिकवरी के हिसाब से अगर हम देखें तो सन् ४३-४४ में १०.२० एवरेज रिकवरी चीनी की थी।

सन् १९५१-५२ में वह ९.२७ रह गयी। तो शुगर की रिकवरी की हालत यह है। जहां तक शुगरकेन पर एकड़ पैदा होने का सवाल है, सन् १९३६-३७ में १५.३ टन पर एकड़ पैदावार थी और आज कल वह सवा १४ टन पर एकड़ है। आज विकास की हालत यह है कि सन् १९४६-४७ या १९३५-३६ में जितनी शुगर होती थी उससे कम आज हो रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का हाल यह है कि जितना रुपया गवर्नमेंट पिछले साल खर्च कर रही थी उतना भी इस साल नहीं रखा है। हां, इतनी बात है कि कामदारों को पर्मानेंट जरूर किया गया है। पिछले साल सदन में इसकी मांग हुई थी और वे पर्मानेंट कर दिये गये हैं, इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। पंचवर्षीय योजना में ५९ लाख रुपया रखा गया है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना उत्पादन के लिये हमारे इस बजट में रुपया कम रखा गया है। मेडिकल बजट में मैंने यही हाल देखा, प्लानिंग बजट में मैंने यही हाल देखा और इस बजट में भी यही हाल देखा। नाम तो फाइव ईयर प्लान का है लेकिन उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। इसमें बहुत से ऐसे ही अनुदान हैं लेकिन आज इतना समय नहीं है कि उन सब पर कुछ कहा जाय।

रैट (चूहों) की बात देखिये। पश्चिमी जिलों और खासकर तराई भावर के सम्बन्ध में मैं खास तौर से जानता हूं कि वहां चूहों ने फसल को जितना नुकसान पहुंचाया है उसको माननीय मंत्री जी ने सुना होगा। चूहों को नष्ट करने वाला एक विभाग खुला है। जिला प्लानिंग कमेटी के सामने उस चूहा मारने वाले विभाग की रिपोर्ट आयी है कि एक लाख ४४ हजार चूहों के बिलों में उन्होंने दवा डाली और उन एक लाख ४४ हजार बिलों में ४,४०० चूहे मरे यानी १०.५ बिलों के बीच एक चूहा मरा। माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं यह रिपोर्ट उनको दिखा सकता हूं।

इसी तरह से और भी डिपार्टमेंट हैं जैसे इंसेक्टिसाइड के लिये कुछ नहीं कहा गया है। जिन कीड़ों से पेड़ों को नुकसान पहुंचता है उनको नष्ट करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है? कुछ नहीं मालूम है।

माननीय मंत्री जी ने इस बात का दावा किया कि तहसील कांफ्रेंसेज होंगी। हार्टिकल्चर तहसील कांफ्रेंसेज होगी, इसके बारे में बजट में प्राविजन है। लेकिन दाल स्कीम, ज्वार स्कीम, बाजड़ा स्कीम, गेहूं स्कीम, मक्का स्कीम यह जो सन् ४३ से चलती आ रही हैं और इन पर जोरिसर्चेज हो रही हैं वह, सिवाय उनके कि जो बड़े बड़े पैम्फलेट निकल जाते हैं और आंकड़े निकल जाते हैं, किस तरह से देहात में पहुंच रही हैं। इस प्रकार जितनी भी हमारी ऐक्टीविटीज हैं वह देहातों में नहीं पहुंच रही हैं। तहसील कान्फ्रेंसेज जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया १४ हजार रुपया केवल उनके लिये रखा गया है। मैं समझता हूं कि १४ हजार रुपया बहुत कम होगा और दस जिलों में कान्फरेंसेज हो करके बन्द हो जायंगी। जितनी यू० पी० में तहसीलें हैं हर तहसील में कान्फरेंसेज हो सकेंगी, मुझे इसका यक़ीन नहीं है।

ऐसी ही बी कीपिंग की बात है। शहद के छत्तों के विकास में १ लाख ४५ हजार रुपया कम कर दिया गया। वैसे कोई स्कीम बी कीपिंग की नहीं थी। अब इसका सेंट्रल आफिस कानपुर में बनाया गया है। इसकी एपीयरी तो ज्योलीकोट में है और हेड आफिस है कानपुर में। तो इसमें १ लाख ४५ हजार की कमी है।

स्टेट के एक्सपेरीमेंटल फार्म्स का जिक्र किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एक्सपेरीमेंट्स इन फार्म्स में होते हैं उनसे कितना लाभ किसानों को पहुंचता है। अगर माननीय मंत्री जी अपने फार्म्स में डिमांस्ट्रेशन करते हैं, तो मैंने कई रिपोर्टें देखीं लेकिन कहीं नहीं देखा कि डिमांस्ट्रेशन लोगों के सामने होता है। तराई स्टेट फ़ार्म हमारे यहां है और हेमपुर स्टेट फार्म है। मैंने तो कभी यह नहीं सुना कि जहां डिमान्सट्रेशन्स होते हैं वहां तराई भाबर के किसानों को बुलाया गया हो, ग्राम पंचायतों के पंचों को बुलाया गया हो, गांव सभाओं के सभापतियों को बुलाया गया हो। आखिर किस को इन डिमान्सट्रेशन्स से फ़ायदा होता है? हां, अगर रिसर्च एक्सपर्ट्स डिमान्सट्रेशन्स से अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हों तो दूसरी बात है।

कृषि उपमन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—डिमान्सट्रेशन काश्तकार के फार्म पर जाकर किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आपको समय मिल जायगा। इसके साथ सवाल उठता है कि ६८ स्टेट फ़ार्म्स हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी जमीन पर डिमान्सट्रेशन्स होते हैं। अगर सेलेक्टेड डिमान्सट्रेशन्स हों वहां की भूमि को देख कर तो समझ में आता है, लेकिन हर प्रकार के डिमान्सट्रेशन्स हर फ़ार्म पर हों यह समझ में नहीं आता है। कुछ फ़ार्म्स तो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं जैसे जूट फार्म, शूगरकेन फार्म हैं, लेकिन अधिकतर फ़ार्म्स खाली गन्ना पैदा करने के लिये या आमदनी और खर्च को बराबर करने के लिये चलाये जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि या तो इन फार्मों में कमी की जाय, भूमिहीन किसानों को कुछ फ़ार्म्स दे दिये जायं या इनका सही उपयोग किया जाय।

इसी प्रकार कुछ हरी खाद का यहां जिक्र किया गया है। पांच जिलों में हरी खाद का कोई जिक्र ही नहीं है।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

*श्री पहलवान सिंह (जिला बांदा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बुन्देलखंड का रहने वाला हूं। इस सदन में बहुत से विद्वान् माननीय सदस्य मौजूद हैं परन्तु खेती के बारे में वही आदमी बोल सकता है जिसको खेती का अनुभव हो और जो खेती करता हो। मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है वह महज कुछ सुझाव देने के लिये पेश किया है। खास बात इसमें यह है कि आपने खोज के लिये बहुत सी योजनायें बनायी हैं, मसलन् गेहूं, आलू वगैरह। तो यह तो आपने सब किया, लेकिन इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता कि जिस तरह से किसी का जवान बेटा मर जाता है और उसके बाप को दुःख होता है उसी तरीके से हम लोग जो खेती करते हैं और जमीनें जोतते हैं, बोते हैं, बीज लेते हैं, मेहनत करते हैं, अपना खून सुखाते हैं लेकिन प्राकृतिक प्रकोप से जो खेती नष्ट हो जाती है उसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। अगर कोई प्रबन्ध किया गया है तो अपने लिये किया है लेकिन जनता के लिये कुछ नहीं किया जाता है। मिसाल के लिये जैसे गेरुही लग जाती है और किसान बीज के लिये जो अनाज रखता है उसमें घुन लग जाता है, तो इसके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया। एक मामूली सी चीज है लेकिन वह हमको इतना नुक़सान पहुंचाती है, मसलन् लूस, इसके लिये सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इससे खेती को जो नुक़सान होता है उससे बचाने के लिये आज तक कोई योजना हमको नहीं बतायी गयी। मैंने इसी सदन में एक दफा माननीय मंत्री जी के सम्मुख यह भाषण दिया था कि हमको ट्रैक्टर कम्पनी वाले लूट रहे हैं। यह आप की ही योजना है। आपने रुपया दिया और उनको दिया जिनके पास लाखों रुपया था, किसी ग़रीब आदमी के लिये यह योजना नहीं थी। किसी को बैलों के लिये रुपया नहीं मिला। अगर बैलों के लिये मिलता तो ग़रीबों को मिलता। और हमारे खेतों से पानी बरसने से जो मिट्टी बह जाती है और खेतों की पैदावार घट जाती है अगर इन सब कामों के लिये रुपया बांटा जाता और खेतों की मिट्टी न बहती तो खेत की पैदावार बढ़ जाती। और गरीबों को मदद मिलती। लेकिन उनको मदद नहीं दी गई। जो धनवान थे उनको मदद दी गई लेकिन वह भी बारहबाट हो गये। आपने उनको रुपया दिया लेकिन उन्होंने उस रुपये से बैल नहीं लिया और खेती ट्रैक्टरों के द्वारा की। उससे खेती को भी नुकसान पहुंचा और कम्पनी वाले ट्रैक्टर्स की केवल तीन महीने की गारंटी देते हैं। बाद को कहते हैं कि बोरिंग कराना पड़ेगा और ले जाते हैं तो सिर्फ कुछ विदेशी कम्पनियां ही इसकी हैं। सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया है। इधर बैल भी खत्म हो गये। आज कल बैल नहीं हैं। जिस बैल की कीमत पहले २५ रुपये थी आज उसकी कीमत ५०० ——————

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये हैं। दिनों दिन बैल घटते चले जा रहे हैं । खेती भी घट रही है और खेती दिन ब दिन गिरती चली जा रही है।

आज जो खाद बनाई जाती है वह सब ज्यादातर फार्मों में ही चली जाती है और ग़रीब काश्तकारों को खाद नहीं मिल पाती है। बुन्देलखंड ऐसा इलाका है जो प्रान्त भर को गल्ला सप्लाई करता है। इधर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा कानपुर, बुन्देलखंड वग़ैरह में जहां चना बोया जाता है वहां पर चना में कीड़ा लग जाता है। लेकिन उसकी कोई तरकीब नहीं बतलाई गई है। इसी तरह से गेहूं में गेहुंआ लग जाता है जब गेहूं दिया जाता है तो कहा जाता है कि यह फलां नम्बर का है। लेकिन जब पानी बरसता है तो हम देखते हैं कि उसमें गेहुंआ लग जाता है। तब हमको अत्यन्त दुःख होता है। मैं कहता हूं कि सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये। हमारा नुकसान न हो। यही मेरे सुझाव हैं।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैंने देखा था कि जिन तहसीलों में ५, ७ साल से सूखा पड़ने के कारण खेतों में कई किस्म के रोग किसानों की पैदावार को नष्ट किया करते थे। इस साल भी मैंने देखा कि ४३२ गांवों में एक किस्म के रोग के कीड़े किसानों के खेतों पर लगे हुये थे। लेकिन सरकार के द्वारा इन कीड़ों को मारने की जो व्यवस्था की गई थी उससे किसानों का काफी फायदा हुआ था। हां, यह चीज जरूर थी कि प्रत्येक किसान के खेत में और प्रत्येक गांव में कीड़े मारने वाले सही तरीके से नहीं पहुंच सके तो क्या इसके माने यह हैं कि हम दोष दें कि सरकारी कानून में और सरकारी नियमों में बुराइयां हैं। यह बुराइयां जहां तक मैं समझ सकता हूं कि हमारे काम की कमी में आ सकती हैं। यह रचनात्मक काम है जिसके लिये गांधी जी ने पहले कहा था कि देश के लोग और देश की गाड़ी जभी बढ़ सकेगी जब कि प्रत्येक व्यक्ति में काम करने की ताकत हो, शिक्षा हो और लगन हो। हम विधान सभा में या बाहर कितना ही बढ़िया से बढ़िया कानून क्यों न काग़ज पर बना लें लेकिन जब तक पूरी सफाई ठीक तरह से नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल सकती है।

सरकार ने जिस तरीके से कृषि के लिये कानून बनाये और जिस तरह से खोज कर रही है। यह तो प्रत्येक गांव में चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदानी इलाके हों एक दिन में कोई पानी नहीं पहुंच सकता है। सरकार इसके लिये कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से बड़े बड़े और छोटे छोटे फार्मों द्वारा और केन्द्रों के द्वारा तहसीलों, शहरों और जिलों में इस चीज की कोशिश हो रही है और सरकार ने कानून बना दिये हैं। इसके बाद हम प्रचार करना चाहते हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य हो जाता है। हम भी विधान सभा में बैठ कर जब कानून बनाते हैं तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होता है। हमें मालूम हुआ है कि मूस मारने के लिये सरकार ने कोई दवा पैदा की है लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य होता है कि कीड़ों को मारने के लिये अगर सरकार ने कोई दवा पैदा की है तो उसकी जानकारी किसान को करायी जाय। क्या वह किसान जानता है कि वह क्या तरीका है जिससे कीड़ों को मारा जा सकता है। आपके जो कर्मचारी हैं, वह कहां तक जा सकते हैं। आपके लाखों गांव हैं, मान लीजिये कि आपके दो चार कर्मचारी कहीं गये, जिले में कहीं दस बीस आदमियों की मीटिंग की तो क्या इससे इसका प्रचार हो सकता है। मैं सरकार से भी यह अनुरोध करता हूं कि जहां किसानों को यह फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसके खेतों से रोग हटाये जा रहे हैं, किसानों की तरक्की की जा रही है, वहां उनके बी । में प्रचार का जो तरीका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेशचन्द्र शर्मा]

है उसे और मजबूत करना चाहिये। हालांकि प्रचार में यह कमी तो हमेशा बनी रहेगी, इसलिए बनी रहेगी कि आपका इतना बजट होता नहीं है कि और आदमी रखे जा सकें और इस पर आप और रुपया खर्च कर सकें लेकिन हां, यह हो सकता है, एक चीज मैं इनसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से बहुत से कानून यहां बनते हैं, आज तो उनके पास एक ऐसी चीज है, गांवों में एक ऐसी ताकत उनके पास है जो कि अंग्रेजी राज्य में कभी भी नहीं थी। आज इस गवर्नमेंट ने अंग्रेजी राज्य से दस गुनी ही नहीं बल्कि पचास गुनी ताकत और प्रचार करने के साधन गांवों में पैदा कर लिये हैं। लेकिन अंग्रेजी राज्य में एक पटवारी प्रचार करने वाला होता था, किसानों को कोई कानून पास हो, यदि अंग्रेजी सरकार चाहती थी तो पटवारी सुबह गांव में जाकर उसका प्रचार कर देता था, लेकिन आज हमारी सरकार जहां गांवों के लिए इतना काम करती हो, किसानों की भलाई के लिए इतना काम जहां होता हो, वहां महीनों हो जायं, हमारे कर्मचारी उनके बीच में इसकी खबर तक न पहुंचा पायें, यह आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह खेती का मुहकमा ऐसा है कि इसमें जहां खेती होती है वह खेत तो किसानों के पास हैं, किसानों के कब्जे में है, गवर्नमेंट तो केवल मशविरा ही मशविरा दे सकती है। इस खेती के काम में सब कुछ करना किसानों के हाथ में है। तो इस विभाग की जो विशेषता है कि यहां से हुक्म देकर हम अफसरों से कोई काम करा दें, खेतों में बीज दे दें या जुताई करवा दें, तो जैसा कि और मुहकमों में एक्जीक्यूटिव तरीके से कर्मचारियों को आर्डर्स दिये जाते हैं, इस तरह से यहां काम नहीं हो सकता। करोड़ों किसान हैं। जब तक किसान खुद कुछ नहीं करेगा तब तक कुछ होना मुमकिन नहीं है। अब रहा यह कि माननीय पहलवान सिंह जी ने यह कहा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, पाला पड़ जाय, ओले पड़ जायं, गेरुई लग जाय, कीड़े लग जायं। उन्होंने यह सब बतलाया। लेकिन सारा सवाल यह है कि कितने सारे राजकर्मचारी होने चाहिए इसके लिए। आज अगर किसान यह चाहता है कि राज कर्मचारी उनके खेतों में जाकर सब कीड़ों को मार दें तो इसका अन्दाज तो लगाना चाहिए कि कितने कर्मचारी होंगे। मेरे ख्याल से ७८ करोड़ रुपया जो बजट में रखा गया है उतने में भी यह नहीं हो सकता कि राजकर्मचारी पहलवान सिंह जी के खेतों में या पहलवान सिंह जी के हल्के के खेतों में सब जगह जाकर कीड़ों को मार दें। तो जो समस्या है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हमारे साधन कितने महदूद हैं यह सबको मालूम है। एक साहब हालैंड से आये थे। उन्होंने बतलाया कि वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी बिल्डिंग है जितना बड़ा कि यह कौंसिल हाउस है। वह एक छोटा सा देश है और उसके यहां इतने बड़े साधन हैं और वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर इतना खर्च करता है। हमारे साधन कितने सीमित हैं और हमारी समस्यायें कितनी बड़ी हैं। कितना लम्बा चौड़ा यह प्रदेश है। करोड़ों किसान हैं। हमें यह समझना चाहिए। यहां से गवर्नमेंट सब कुछ कर दे और अगर न कर सके तो गवर्नमेंट निकम्मी है, नालायक है, तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से देखना गलत है। गवर्नमेंट इतने सारे कामों को नहीं कर सकती।

माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि १२ लाख इसमें कम कर दिया, इतना इसमें कम कर दिया। जब गवर्नमेंट रुपया लाने की तरकीब करती है तो इसमें मुखालिफत की जाती है। यह क्रिटिक का प्रिविलेज है। वह सब कुछ कह सकता है क्योंकि जिम्मेदारी उस पर नहीं है। उसे छिद्रान्वेषण करना है। लेकिन हम पर जिम्मेदारी है। हमें देखना है कि कहां से रुपया लाएं। हमें दोनों तरफ देख कर चलना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि चूहे मारने की कोई स्कीम नहीं है। उन्होंने बताया कि १५५ बिलों के पीछे एक चूहा पड़ा। उन्होंने जो यह हिसाब लगाया मालूम होता है कि उनके हिसाब में कहीं कोई होल है कहीं झोल है। उसमें कहीं गलती है। चूहों का हिसाब नहीं हो सकता। बिलों का हिसाब हो सकता है। लेकिन बिलों के अन्दर कितने चूहे हैं इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ग़लत है।

मैं माननीय पहलवान सिंह जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि चूहे का फूल प्रूफ इलाज दुनिया में कहीं नहीं निकला है कि किस तरह से चूहे मारे जायं। कोशिश की जाती है। वह कर रहे हैं। माननीय बलवन्त सिंह जी कोई इलाज बतला दें तो अडाप्ट कर लिया जाय।

यह भी कहा गया कि ट्रैक्टर की तकावी बड़े लोगों को दी जाती है। लेकिन ट्रैक्टर की तकावी १० एकड़ वाले को कैसे दी जाय। ट्रैक्टर की आवश्यकता तो उसी को होती है जिसके पास ज्यादा जमीन होती है उसकी तकावी के लिए कह दिया है कि पांच हजार रुपये से ज्यादा तकावी नहीं दी जायगी।

रहा यह कि किसानों को खाद नहीं दी जाती। मैं उनकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये की खाद तकसीम की जाती है और उसका जिलेवार हिसाब मौजूद है। वह जब चाहें तब देख सकते हैं। हर जिले में खाद दी जाती है। खाद मौजूद है बल्कि लेने वालों की कमी है। पिछली दफा उनको कुछ दिक्कत महसूस होने की वजह से अब हमने यह कर दिया कि तकावी में नकद रुपया न देकर तकावी में खाद देते हैं। इसके लिए रूल्स बदल दिये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे समय की कमी की वजह से कुछ नहीं कहना है। माननीय राजस्व मंत्री शकर के डेवलपमेंट के बारे में बतला दें।

श्री चरणसिंह— आप मेरे पास आ जाइयेगा कमरे में।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज (लेखा शीर्षक ४०—कृषि) के लिये १ करोड़ ५९ लाख ४८ हजार रुपया स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ मार्च, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९९ पर)

१९५४ में संगठित बाढ़-समिति के सदस्यों की सूची

१—ठाकुर हुकुम सिंह विशेन, माल मंत्री (चेयरमैन)।
२—चीफ इंजीनियर, वेस्टर्न कैनाल्स।
३—चीफ इंजीनियर, ईस्टर्न कैनाल्स।
४—चीफ इंजीनियर, डेवलपमेंट।
५—कृषि-संचालक।
६—श्री डी० एल० शाह, कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट्स, वेस्टर्न सर्किल।
७—श्री भगवान सहाय, आई० सी० एस०, फूड कमिश्नर।
८—श्री अल्बर्ट मेयर, प्लानिंग आफिसर।
९—श्री आर० डी० ट्रजेट, टाउन ऐंड विलेज प्लानर।
१०—चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट्स।
११—श्री के० एन० कौल, प्रोफेसर आफ बाटनी, ऐग्रीकल्चर कालिज, कानपुर।
१२—श्री कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, बनारस।
१३—श्री राधामोहन सिंह, एम० एल० ए०, बलिया।
१४—श्री गंगासहाय चौबे, एम० एल० ए०, कानपुर।
१५—श्री जे० निगम, आई० सी० एस०, माल सचिव (सदस्य सेक्रेटरी)।

अदर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ व १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०३ पर)

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	जिले का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में		१९५१–५२ का कुल उत्पादन मनों में	२–५३ का कुल उत्पादन मनों में	१९५१–५२ का कुल व्यय	१९५२–५३ का कुल व्यय	१९५१–५२ में गन्ने का उत्पादन, जो कालम ६ में सम्मिलित है	१९५२–५३ में गन्ने का उत्पादन, जो कालम ७ में सम्मिलित है
			फार्म का कुल क्षेत्रफल	कर्षित क्षेत्रफल						
१	कलाई फार्म	अलीगढ़	१४२.९	१२५.७१४	२५४१	२१७३	६६,४७७	४५,६७२	..	..
२	तारीखेत हिल फार्म	अल्मोड़ा	१४.९२१	१४.९२१	४७	५५	५,८५१	१६,०७१	..	..
३	हवाल बाग फार्म	अल्मोड़ा	१७०	३०	४५८	८९५	९,०११	...	..	..
४	रसौली फार्म	बाराबंकी	११	५	४९	—	७३६	५९१	..	..
५	बाराबंकी फार्म	बाराबंकी	३१.५८	२७.३८	९४२	९९४	१६,१०४	१६,०७१	..	..
६	लक्षवर फार्म	बाराबंकी	८.७५	८.२५	१६६	११९	४,१६०	३,४१५	..	..
७	हैदरगढ़ फार्म	बाराबंकी	४६.४७	४२.४३	८५३	१,११५	१९,९६५	२०,२३०	..	..
८	बलिया प्लाट	बलिया	१५.१५	१३.९८	१५४	२४०	१०,०६५	९,९६८	..	..
९	बहराइच फार्म	बहराइच	१०१.५२	८८.७५	१७१२	२,०१५	४२,२५६	३३,७०१	..	..
१०	अटर्रा फार्म	बांदा	१७१.१०	१४९.१०	३०५२	३,५६९	४२,५५८	४६,७९९	..	..
११	नवाबगंज फार्म	बरेली	११९.८१८	१०३.२००	२३१३	२,३७१	४८,९३९	३५,१३०	..	..
१२	बनारस फार्म	बनारस	७७.६०	६७.८८	१३१५	१,२४१	२९,८१५	३२,२४२	..	..
१३	बदौली फार्म	बनारस	३३.४३	३२	४५२	५४९	१२,८८३	३२,२४२	..	..
१४	राइस रिसर्च फार्म नगीना	बिजनौर	७६.७४७	६२.९२०	१३९३	१,९७१	४०,७२१	१२,७३५	..	..
१५	स्कूल फार्म	बुलन्दशहर	७०.०१	४९.२५	११८४	८६५	२९,३५२	२७,५१७	..	..

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	जिले का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में		१९५१–५२ का कुल उत्पादन मनों में	१९५२–५३ का कुल उत्पादन मनों में	१९५१–५२ का कुल व्यय	१९५२–५३ का कुल व्यय	१९५१–५२ में गन्ने का उत्पादन जो कालम ६ में सम्मिलित है	१९५२–५३ में गन्ने का उत्पादन जो कालम ७ में सम्मिलित है
			फार्म का कुल क्षेत्रफल	कर्षित क्षेत्रफल						
१६	काटन रिसर्च फार्म	बुलन्दशहर	२४.९७	२१.३४	४२९	४३३	१८,००२	१७,३५०	..	..
१७	इटावा फार्म	इटावा	१०१.२५	८६.८४	१,९८५	२,३२९	४३,००९	२८,४५९	..	..
१८	फैजाबाद फार्म	फैजाबाद	२०६.२५	१८५.७९	२,६४७	२,९७७	६८,८९७	६२,२२७	..	..
१९	फर्रुखाबाद फार्म	फर्रुखाबाद	१०.२९	७.९	२७४	४५४	१६,७६३	१४,८६६	..	..
२०	गुर सहायगंज फार्म	फर्रुखाबाद	३७.७०	३१.३६	१९८	२५९	१८,३८७	१६,४७३	..	..
२१	सराय मीर फार्म	फर्रुखाबाद	३६	२६	१६०	२५९	१८,०६९	१५,११९	..	..
२२	स्कूल फार्म	गोरखपुर	१५.०९	१५.०९	२०८	३१९	१५,५८५	१६,११४	..	..
२३	गोरखपुर फार्म	गोरखपुर	९१.९५	७४.६५	२,०४९	१९९५	४७,८७५	४२,२७२	..	..
२४	बेलीपार प्लाट	गोरखपुर	२३.५६	२२.०६	१६८	–	६,५९९	४,६८६	..	..
२५	श्रीनगर प्लाट	गढ़वाल	१२.५०	१२.२५	३१	–}	...	...	..	..
२६	ग्वालदाम प्लाट	गढ़वाल	२३.६	९	४३	१५}	४,४२२	–	..	..
२७	आलमबाग फार्म	लखनऊ	३५.५६	३०	७६१	९५६	४७,४५६	–	..	..
२८	हरदोई फार्म	हरदोई	५४.१५१	४९.२८७	१२६३	१,२६१	२७,५८२	२९,४२१	..	..
२९	चरखारी फार्म	हमीरपुर	९१.२२	५५	२११	२२७	१७,२७६	१०,९८९	..	..
३०	बेलाताल फार्म	हमीरपुर	५८	५१.९	८१८	३९९	१५,९७६	१८,३८९	..	..
३१	चिरगांव स्कूल फार्म	झांसी	२८.४१	२५.५३	२६२	१५५	१०,५७६	१०,९३२	..	
३२	इन्स्ट्रक्शनल फार्म	कानपुर	६९.०७	३३.६६	६९४	७७६	४१,८०६	४१,४४७	..	..
३३	डेरी फार्म	कानपुर	२१४.६२	१६५.९२	७४४३	७,७३१	२४८,१८५	२५८,३२६	..	..
३४	न्यू डेरी फार्म	कानपुर	११३	९२	२,४०३	२,६९५	४९,४८३	४७,१५६	..	..
३५	पूरा फार्म	कानपुर	६३.९४	५३.३३	६३२	८२९	२०,०८४	२२,४४८	..	..

३६	रिसर्च फार्म	कानपुर	९७.२७	८५.१२	१,२५८	१,६८६	६१,८४६	६९,५२७	..	..
३७	कल्यानपुर फार्म	कानपुर	२५५.७६७	२२०.७३०	६,०११	६,०२२	१००,५७६	१,०१,५५४	..	..
३८	तिसुही फार्म	मिर्जापुर	७८.६९	६५.५०	६५२	८,०००	१८,९१९	३७,३१०	..	..
३९	बिसुन्दरपुर प्लाट	मिर्जापुर	१२.९०	११.३९	३७	३७	१,७७७	—	..	..
४०	मैनपुरी फार्म	मैनपुरी	५२.८१	४५.६३	१,२६६	१,१६२	२२,१६७	२२,२४४	..	..
४१	मेरठ फार्म	मेरठ	७६	६८	२,५८४	२,२५६	३६,५८८	३४,६७४	..	..
४२	काटन रिसर्च फार्म	मथुरा	१५०.७	१३४	१,६२४	२,४१४	६५,३७३	६६,२७२	..	..
४३	ज्योलीकोट फार्म	नैनीताल	५०.५	१५.८	४००	१९५	११,१६६	—	..	..
४४	प्रतापगढ़ फार्म	प्रतापगढ़	९०.३३	७२.२४	९६४	१,२५७	३५,५८५	३१,१३९	..	..
४५	टरनर फार्म	रायबरेली	११.६५	९.८३७	१३९	२३९	५,१०७	४,१८५	..	..
४६	धनौरी फार्म	सहारनपुर	५८.१५	५४	४०४	९९८	२१,४३७	२३,१२७	..	..
४७	शुगरकेन रिसर्च फार्म	शाहजहांपुर	१७४.४८६	१५२.६६	३,००३	३,६४८	९२,९७७	९२,१६२	..	..
४८	निगोही फार्म	शाहजहांपुर	३४.४०	३१.८६	८२१	८२०	१३,०६०	११,५९३	..	..
४९	उन्नाव फार्म	उन्नाव	४७.७०	३७.०५	८७१	८०५	२४,९५४	१६,२५७	..	..
५०	किसरवा फार्म	बदायूं	१९.५३	१८.४	३३५	२९४	७,३२३	६,४३२	..	..
५१	शुगरकेन रिसर्च फार्म	मुजफ्फरनगर	१०३.५७	८४.११८	३,१४३	३,१८५	६५,०२४	६३,७४९	..	..
५२	तरकेरा फार्म	रामपुर	८४.०३	८०.९१	११५७	१५८८	३७,७०६	३५,६३४	..	..
५३	अमरोख फार्म	झांसी	१०७.०५	४४.७	—	४०३	६,८८१	२०,८४४	..	..
५४	तराई राजकीय कृषि फार्म	नैनीताल	१६५००	१६५००	४७,६९५ —३६—०	९२,६९६ —२०—११	मन २६,६५,३३२	१८,९६,४९९	..	..
५५	हलद्वानी राजकीय कृषि फार्म	नैनीताल	७२	७२	११० —२५—०	९९-५-०	३३,४४५	१९,५९०	..	..
५६	मनुनगर राजकीय कृषि फार्म	रामपुर	११०	११०	१,०२९ —१५—८	७८१ —८—१२	१,२३,२८७	-१-३ १,८८,९५२	-८-३	..
५७	गंगा राजकीय कृषि फार्म	मेरठ	१५००	१५००	१,७३,८५२	१,९४,१५६	३,४३,३३०	३,०३,१३६	१,१४,२६७	१,२६,६६८

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	जिले का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में		१९५१–५२ का कुल उत्पादन मनों में	१९५२–५३ का कुल उत्पादन मनों में	१९५१–५२ का कुल व्यय	१९५२–५३ का कुल व्यय	१९५१–५२ में गन्ने का उत्पादन जो कालम ६ में सम्मिलित है	१९५२–५३ में गन्ने का उत्पादन जो कालम ७ में सम्मिलित है
			फार्म का कुल क्षेत्रफल	कर्षित क्षेत्रफल						
५८	हेमपुर फार्म	नैनीताल	५२३४	५२३४	१५३,८६०	३,२०,३७७	७,०९,६८७	५,६७,६४०	९२९९-०-०	३,०८,४४९-०-०
५९	कमयार	गोंडा–बाराबंकी	२४००	२४००	२५,८५८	५२,३९६-३१-०	१,९०,१०८	२,०३,६५४	७११-२६-०	४८,८८०-३१-०
६०	भरारी	झांसी	२१२५	२१२५	२०,५३६	४५,५३४-३२-०	२,५०,५७१	२,२२,९०६	९६९-२०-८	३८,९६७-३२-०
६१	नीलगांव	सीतापुर	२०५२	२०५२	४,४२०	२७,२९६-१५-०	९२,७१३	१,१७,५७७	११४२-३९-०	२१,४७०-१५-०
६२	सैदपुर	झांसी	१५४४	१५४४	२,२०१	३,०१६-०-०	१,२६,४८७	१,१०,९६२	१२२७-२९-०	—
६३	माधुरी कुंड	मथुरा	१३९६	१३९६	१७,२८८	११,०४९-२१-०	२,२९,२६०	२,२४,५२८	७१०-१५-०	३७०३–५–०
६४	अन्वेशनगर	लखीमपुर-खीरी	१२४४	१२४४	३४,७४५	७१०३४–२५–०	१,२१,००६	१,२१,६४५	१२३९-१-०	६४८४१-२५-०
६५	निबलेट	बाराबंकी	९०२	९०२	३९,१२१	३५,५५३-३५-०	७१,१३९	६६,५७८	७८–०–०	३५२२१-२५-०
६६	मंझरा	लखीमपुर-खीरी	९५०	९५०	५७,२५८	४९,८१६-१३-०	१,३१,९१२	१,१२,३४३	४५२-३३-०	४७६४७-१३-०
६७	बाबूगढ़	मेरठ	८५६	८५६	६३,१८५	४८,७२७-१०-०	२,३५,१२६	१,९९,४१४	३४३–२०–०	४५९३४-१०-०
६८	आराजी लाइन्स	बनारस	३६५	३६५	१,९१९	४,८४५-२८-०	६८,४१३	५०,८४५	१२०४-८-०	२६९६–१२–०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०–१६४ एल० ए०–१९५४–८५०।